खण्ड-198, अंक-4
सोमवार, 24 भाद्रपद, शक संवत् 1880
(15 सितम्बर, 1958 ई0)

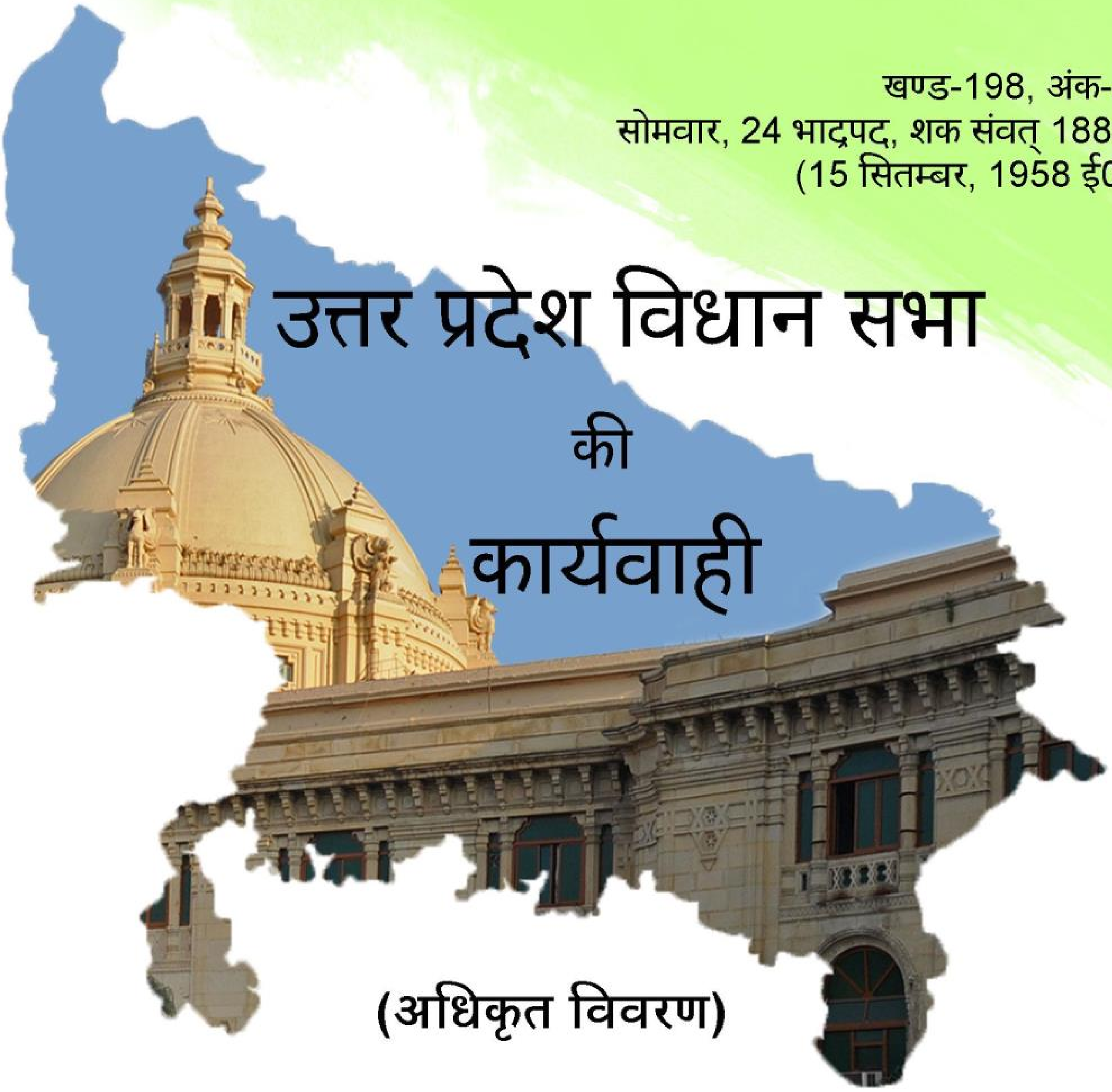

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 198 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १५ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--२४५

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फ़तसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री

डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
(मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
(गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धोलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री

रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम,श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री

ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १५ सितम्बर, १९५८

तारांकित प्रश्न

*१-३--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[हटा दिये गये।]

*४-५--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--[हटा दिये गये।]

*६-७--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--[१० सितम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ७३-७४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*८-१०--श्री मदन पांडेय--[हटा दिये गये।]

*११--श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--[हटा दिया गया।]

ग्राम रक्षा समितियां

*१२--श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस प्रदेश के प्रत्येक जिले में ग्राम रक्षा समितियों का निर्माण हो गया है? यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है?

शिक्षा उप मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--जी हां, विभिन्न जिलों में बनी ग्राम रक्षा समितियों की संख्या ८७,८०३ है।

श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या यह सही है कि प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं, जिनमें बलिया है, कि जहां ग्राम रक्षा समितियां नहीं बनी हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, ग्राम समिति, तो सब जिलों में बनी हैं, किन्तु स्पष्ट है कि सब ग्रामों में अभी नहीं बन पायी है, बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री गंगाप्रसादसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में ग्राम रक्षा समितियों का निर्माण कब से आरम्भ हुआ?

श्री कैलाशप्रकाश--सुचारु रूप से सन् १९५३ से।

श्री शिवराजसिंह यादव (जिला बदायूं)--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन ग्राम समितियों को क्या-क्या मान्यताएं प्राप्त हैं?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न है कि क्या-क्या अधिकार उनको प्राप्त हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—अधिकार तो श्रीमन्, कोई विशेष नहीं कहे जा सकते। इनका निर्माण पुलिस अधीक्षक की देखरेख में किया जाता है। वहां जो व्यक्ति इस बात के लिए तैयार होते हैं कि वह गांव की सेवा करें, रात को पहरा इत्यादि दें, उनकी समितियां बना दी जाती हैं। वह समितियां अपने गांव की रक्षा करती हैं। यह आदेश भी प्रसारित किये गये हैं कि जहां ये समितियां अच्छे तरीके से काम करती हों वहां इनको कुछ हथियारों के लाइसेंस दिये जायं और जब वह अच्छा काम करती हैं तो जो सूचना वह देती हैं उसकी एक इज्जत और वक़अत की जाती है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन ग्राम समितियों के लिए पुलिस अफसरान सदस्यों को नामिनेट करते हैं या गांव के लोग इन समितियों को बनाते हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—ये देख-रेख में तो पुलिस अफसरों की होती हैं, लेकिन गांव वालों से सलाह करके जो इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं और उपयुक्त समझे जाते हैं वह रहते हैं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन रक्षा समितियों को गश्त के समय चोर डकैतों को गिरफ्तार करने तथा संघर्ष के समय फायर आर्म्स के प्रयोग करने का अधिकार है?

श्री कैलाशप्रकाश—जी। जिनको फायर-आर्म्स दिये जाते हैं उनको सामान्य अधिकार प्राप्त रहते हैं कि अगर कोई इस तरह का झगड़ा हो तो फायर आर्म्स इस्तेमाल करें।

*१३-१५—**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)—[१८ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ९-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नहर डिवीजन बलन्दशहर की माइनर टिमकिया व लिफ्ट माइनर टिमकिया से पानी मिलने में असुविधा की शिकायत

*१६—**कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री** (जिला मेरठ)—क्या सरकार के पास गत वर्ष एवं इस वर्ष ऐसी शिकायतें आई हैं कि ग्राम खानपुर आदि जिला मेरठ के किसानों को माइनर टिमकिया व लिफ्ट माइनर टिमकिया, नहर डिवीजन बुलन्दशहर, से पानी न मिलने की बड़ी असुविधा है?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री राममूर्ति)—जी हां। गत वर्ष एवं इस वर्ष ग्रीष्म काल में पानी कम मिलने की शिकायत माइनर टिमकिया व लिफ्ट माइनर से सम्बन्धित कुछ किसानों से प्राप्त हुई है।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस शिकायत में मुख्य बातें कौन-कौन सी हैं?

श्री राममूर्ति—उसमें दो बातें हैं। एक तो लिफ्ट माइनर के ऊपर कुलाबों की खराबी बतायी गयी थी। वह खराबी कुलाबों को बदल कर दूर कर दी गयी है। दूसरे टिमकिया माइनर में पानी की कमी की शिकायत थी। उसका कारण यह था कि माइनर के बजाय डाइवर्जन में से पानी देना पड़ा जिसकी वजह से नीचे के हिस्से में पानी की कमी जरूर हुई लेकिन जो स्केप अब बनाया गया है उसकी वजह से आइन्दा ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आज भी लिफ्ट माइनर, टिमकिया की टेल पर पानी नहीं पहुंचता है?

श्री राममूर्ति—अब इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है बल्कि मेरे पास तो यह लिखा हुआ है कि लिफ्ट माइनर पर कुलाबा बदल जाने के बाद सिंचाई सन्तोषजनक हो रही है।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री--क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि इस माइनर की गूल की सफाई काफी दिनों से नहीं हुई है ?

श्री राममूर्ति--गूलों की सफाई तो किसान लोग स्वयं किया करते हैं जैसा कि हमारे यहां कायदा बना हुआ है। माइनर के बारे में अगर माननीया सदस्या लिख कर देंगी तो मैं महकमे को लिख दूंगा कि अगर उसकी सफाई नहीं हुई है तो कर दी जाय।

विशेषाधिकारी राजनीतिक पेंशन के कार्यालय से कुछ कर्मचारियों का हटाया जाना

*१७--**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या राजनीतिक पीड़ित विभाग को तोड़ दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--"राजनीतिक पीड़ित विभाग" नाम का कोई विभाग न तो था ही और न बन्द ही किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को निवृत्ति वेतन तथा आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकारी (राजनीतिक पेंशन) का जो अलग से कार्यालय स्थापित हुआ था उसको १६ जुलाई, १९५८ से समाप्त कर दिया गया है।

*१८--**श्री गनेशचन्द्र काछी**--यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उस विभाग के कितने कर्मचारी हटा दिये गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--कार्यालय समापन के बाद वहां के तीन कर्मचारियों को, जो कि नियुक्ति के समय ही सचिवालय के सहायकों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके थे, छोड़ कर शेष को उनकी ज्येष्ठता के अनुसार, सचिवालय की गृह शाखा में रख लिया गया। उक्त तीन कर्मचारियों को पूर्व सूचना देकर कार्य से मुक्त कर दिया गया था।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के लिये जो अलग से विभाग खोला गया था उसको १६ जुलाई, १९५८ से समाप्त कर दिया गया है इसके क्या कारण हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन्, जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं, विभाग तो कोई खोला ही नहीं गया। हां, विशेष अधिकारी की नियुक्ति हुई थी क्योंकि उस समय कुछ काम अधिक था, बहुत दिनों से जो प्रार्थना-पत्र आये हुये थे उन पर विचार नहीं हो सका था। प्रार्थना-पत्रों की अन्तिम तिथि ३० सितम्बर कर दी गयी थी। जब यह देखा गया कि अब बहुत कुछ काम समाप्त हो गया है और साधारण विभाग उस कार्य को कर सकता है तो जो विशेष अधिकारी का अलग से कार्यालय था उसको समाप्त कर दिया गया।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो तीन कर्मचारी हटा दिये गये हैं उनकी निर्धारित आयु नौकरी पर बने रहने के लिये कितनी होनी चाहिये थी ?

श्री कैलाशप्रकाश--सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अभी काफी संख्या में प्रार्थना-पत्र शेष हैं और यदि हैं तो कितने हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, प्रार्थना-पत्र तो शेष हैं। संख्या के लिये सूचना की आवश्यकता होगी कि कुल कितने हैं।

श्री केशव पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी उन तीन कर्मचारियों को जो उस विभाग से मुक्त कर दिये गये हैं पुनः रखने पर विचार करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं। यह कैसे हो सकता है, उनकी तो आयु बहुत अधिक है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस समय भी राजनीतिक पीड़ितों के पुनः प्रार्थना-पत्र लिये जाते हैं या बन्द कर दिये गये हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रार्थना-पत्र देने की अंतिम तिथि साधारणतया ३० सितम्बर थी किन्तु इसके पश्चात् भी किसी विशेष परिस्थिति में प्रार्थना-पत्र आता है और आवश्यक समझा जाता है कि उस पर विचार किया जाय तो विचार किया जाता है।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कार्यालय को तोड़ने से कितने रुपये वार्षिक का सरकार को लाभ होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

*१९—**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—[हटा दिया गया।]

*२०—**श्री दशरथप्रसाद** (जिला गोंडा)—[हटा दिया गया।]

पूर्वी यमुना नहर में पानी की कमी

*२१—**श्री दाताराम चौधरी** (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५८ के अप्रैल, मई, जून और जुलाई के महीने में पूर्वी यमुना नहर से सिंचाई के लिये कितना पानी दिया गया और वह पानी सन् १९५७ के पानी से कितना कम था ?

श्री राममूर्ति—पूर्वी यमुना नहर में अप्रैल से जुलाई, १९५८ तक की पानी की सप्लाई की मात्रा २,१६, ३३९ क्यूसेक्स दिन थी जो कि अप्रैल से जुलाई, १९५७ तक की मात्रा से ३३,४५४ क्यूसेक्स दिन कम थी।

श्री दाताराम चौधरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमी का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—दरिया में पानी इस साल कम रहा।

श्री दाताराम चौधरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पानी की कमी के कारण किसानों को जो हानि हुई है तो उसमें सरकार क्या छूट दे रही है ?

श्री राममूर्ति—पूर्वी यमुना नहर के ऊपर पानी की कमी की वजह से जो दर हैं उनमें १/३ छूट दी है यानी जैसे गन्ने में ३२ रुपये एकड़ लिया जाता है उस पर ३ आने रुपया रिबेट मंजूर है यानी बाकी २६ रुपये हुये उस पर एक तिहाई की छूट दे दी है। इस तरह से लगभग आधी छूट है।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि पंजाब सरकार के नये बांधों की वजह से पूर्वी जमुना में पानी कम हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—पंजाब सरकार के बांधों का जो माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, वह शायद ताजे वाले से सब नीचे हैं उससे ऊपर का प्रश्न पैदा नहीं होता है। बांध बनने से पानी की रुकावट कुछ नहीं है। बांध तो किसी तरफ पानी जाने से रोकता है।

श्री दाताराम चौधरी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पूर्वी जमुना नहर में पानी कम आने का कारण उसके हेड का खराब होना है ?

श्री राममूर्ति---हेड का खराब होना भी एक कारण है, लेकिन हेड इतना खराब नहीं है कि जिससे इतने पानी की कमी हो जाय, जितने पानी की कमी हुई है। लेकिन यह बात सही है कि हेड खराब है और उसके ठीक कराने की कोशिश हो रही है। पंजाब सरकार से बातचीत हुई है और वह तैयार है कि हेड ठीक कर दिया जाय और ऐक्सपेरीमेंटल माडल उसका हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट में बनाया जा रहा है और पंजाब सरकार के रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी तैयार किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में पंजाब सरकार इस काम को अपने हाथ में लेगी और काम करेगी।

*२२..२३---श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)---[हटा दिये गये।]

*२४...---श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)---[२ सितम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ७४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*२५..२६---श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---[४ सितम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या ९१-९२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*२७...---श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी गढ़वाल)---[२९ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

गोंडा जिले के उत्तर राप्ती क्षेत्र में मझगवां तथा बघेलखंड बांधों में ली गयी भूमि

*२८...---श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या यह सही है कि कुछ वर्ष पूर्व गोंडा-बहराइच जिलों के उत्तर राप्ती भाग में मझगवां तथा बघेलखंड बांधों के अन्दर वहां के किसानों की ४०,४२० एकड़ भूमि चली गई है ?

श्री राममूर्ति---गोंडा जिले के उत्तर राप्ती क्षेत्र में मझगवां तथा बघेलखंड बांध के निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा ३३२.७२ एकड़ भूमि किसानों से ली गई है।

*२९...---श्री गंगाप्रसादसिंह---यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त किसानों को कहीं अन्यत्र कृषि योग्य भूमि देने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति---निकटवर्ती क्षेत्र में वन विभाग से ३३२.७२ एकड़ भूमि लेकर डिप्टी कमिश्नर महोदय, गोंडा के द्वारा संबंधित कृषकों को अनुवासन हेतु बांटी जा रही है।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या यह सही है कि २२-१-५५ के तारांकित प्रश्न ३४ और ३५ का माननीय सिंचाई मंत्री ने यह उत्तर दिया था कि किसानों से ४०४.२० एकड़ भूमि ली गई है और उसके एवज में ५२४.९८ एकड़ भूमि वन विभाग से दिलायी जा रही है ? यदि यह सही है तो आज वो फीगर में और उस फीगर में अन्तर क्यों हो गया ?

श्री राममूर्ति---मान्यवर, मेरे सामने चूंकि पहले के आंकड़े नहीं हैं इसलिये मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मेरा खयाल है कि वह जवाब किसी और प्रसंग में दिया गया होगा। ऐसा समझ में नहीं आता कि एक ही बात के दो जवाब दे दिये गये हों।

श्री गंगाप्रसादसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कितने किसानों को और कितनी भूमि अब तक बाटी जा चुकी है ?

श्री राममूर्ति---३३२.७२ एकड़ भूमि ली गयी थी। उसमें से २९२.७७ एकड़ भूमि वितरित की गयी और ३९ एकड़ भूमि बाकी है। एक मुकदमा चल गया है ए०डी०एम० के यहां, उसके तय हो जाने के बाद दे दी जायगी।

*३०..३१---श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)---[हटा दिया गये।]

बस्ती जिले में शस्त्रों के लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र

*३२---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में १९५६ तथा १९५७ में कुल कितनी दरख्वास्तें असलहा प्राप्त करने के लिये दी गयीं और उनमें से कितने लोगों को लाइसेंस दिये गये ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---सन् १९५६ तथा १९५७ में क्रमशः २११ तथा १६९ प्रार्थना-पत्र शस्त्रों के लाइसेंस प्राप्त करने के लिये दाखिल हुये।

उक्त वर्षों में क्रमशः ८६ व ४७ व्यक्तियों को विभिन्न शस्त्रों के लिये लाइसेंस दिये गये।

*३३---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)---[२९ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

मिर्जापुर जिले से राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र

*३४---श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मिर्जापुर जिले से कितने प्रार्थना-पत्र राजनीतिक पीड़ितों के आये हैं ? उनमें से कितने स्वीकार किये गये, कितने अस्वीकार किये गये तथा कितने विचाराधीन हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---उक्त जिले से २९२ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये। उनमें से ६० स्वीकृत तथा २०७ अस्वीकृत किये गये ह। शेष २५ प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि इन स्वीकृत प्रार्थना-पत्रों में कितने पेंशन के हैं, कितने आवर्त्तक अनुदान के हैं और कितने एक मुश्त अनुदान के लिये ?

श्री कैलाशप्रकाश---३७ मासिक पेंशन के हैं, ४ आवर्त्तक अनुदान के और १९ को एक मुश्त अनुदान स्वीकृत किया गया है।

श्री राजकुमार शर्मा---कृपया मंत्री जी बतायेंगे कि अस्वीकृत प्रार्थना-पत्र किस कारण से स्वीकार नहीं किये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, नाम की सूची न मेरे पास है और न उचित मालूम होता है कि इस माननीय सदन में सब नाम पढ़े जायं। माननीय सदस्य को किसी विशेष नाम के बारे में या अपने जिले के बारे में सूचना कोई नाम के सम्बन्ध में लेनी है तो वह कष्ट करके मेरे कार्यालय में उस सूचना को ले सकते हैं।

श्री राजकुमार शर्मा---प्रश्न यह है कि जो प्रार्थना-पत्र अस्वीकार कर दिये गये हैं उनके अस्वीकार करने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश---पूरा ब्योरा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने के लिये कुछ नियम रखे गये हैं। वे उन नियमों के अनुसार नहीं आते ह तो अस्वीकार कर दिये जाते हैं।

सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ के छात्रों को विष दिये जाने की दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच

*३५---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या उसे मई, १९५८ में सिविल इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ के छात्रों को जहर देने की किसी दुर्घटना की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उसमें अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां। दुर्घटना की जांच अभी जारी है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक जो जांच हुई है उसके आधार पर कोई सूचना उनको है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, अभी तक जो जांच हुई है उसके अनुसार सन्देह ऐसा है कि खाने में कुछ बेरियम मिला दिया गया था किन्तु जैसा मैंने निवेदन किया जांच अभी तक जारी है और कुछ अभी निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जांच किसके द्वारा कराई गई ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह जांच सी०आई०डी० के द्वारा हुई है और जो चीज़ बरामद हुई थी उसको कैमिकल परीक्षण के लिये आगरा भेज दिया गया था।

*३६-३७---श्री मुक्तिनाथराय (जिला आजमगढ़)---[२९ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किये गये।]

*३८---श्री दशरथप्रसाद---[हटा दिया गया।]

एच०टी०सी० या वी०टी०सी० अध्यापकों को जे०टी०सी० अध्यापकों के समान वेतन ग्रेड देने पर विचार

*३९---श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने हाई स्कूल उत्तीर्ण जू०हा० स्कूलों में कार्य करने वाले एच०टी०सी० या वी०टी०सी० अध्यापकों को जे०टी०सी० अध्यापकों के बराबर वेतन ग्रेड देने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कैलाशप्रकाश---अभी प्रश्न विचाराधीन है।

श्री माताप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह समस्या सरकार के सामने कब से विचाराधीन है और कब तक इस पर निर्णय हो जाने की सम्भावना है ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह समस्या वैसे तो काफी महीनों से विचाराधीन है। इसके लिये कोई समय बताना दुश्वार है कि कब तक इस पर निर्णय हो जायगा। प्रयत्न यह किया जा रहा है कि शीघ्र ही निर्णय हो किन्तु इसमें बहुत से आंकड़ों के एकत्रित करने की आवश्यकता है। यह देखने की आवश्यकता है कि किन किन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कितना उसमें खर्चा होगा। इन सब चीजों के एकत्रित होने के बाद विचार होने पर निर्णय हो सकेगा।

*४०---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[हटा दिया गया।]

टेहरी-गढ़वाल जिले में पुलिस कार्यालय तथा पुलिस लाइन्स के लिये भवन की आवश्यकता

*४१---श्री सूरतचन्द रमोला---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी गढ़वाल के लिये पुलिस 'हेडक्वार्टर' या पुलिस लाइन्स जिसके लिये इस वर्ष बजट मंजूर था वह कार्य आरम्भ हो चुका है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश---टेहरी गढ़वाल जिले में पुलिस कार्यालय तथा पुलिस लाइन्स के लिये भवन बनाने का प्रस्ताव अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। अतः इनके निमित्त बजट में प्राविधान होने का या निर्माण कार्य आरम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूरतचन्द रमोला---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह भवन बनने का प्रस्ताव कब तक स्वीकार किया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह कब तक स्वीकृत किया जायगा यह कहना दुश्वार है क्योंकि इसमें कुछ सहायता केन्द्रीय सरकार से भी लेने के लिये पत्र व्यवहार चल रहा है ।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री महोदय को यह पता है कि टेहरी गढ़वाल में पुलिस का अलग कोई विभाग नहीं है ? सिर्फ माल विभाग के अधिकारियों को ही पुलिस के अधिकार दिये गये हैं । ऐसी सूरत में क्या अलग से पुलिस हेड क्वार्टर बनाने की आवश्यकता है, यदि हां तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, यह सही है कि जहां तक गांवों में पुलिस रखने का सम्बन्ध है वह अधिकार माल विभाग के कर्मचारियों को दिये गये हैं लेकिन फिर भी पुलिस विभाग के अधिकारी वहां पर रहते ही हैं और उनके कार्यालय के लिये आवश्यकता पड़ती है । इसलिये यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस राज्य सरकार के अधिकार में आती है तो फिर जैसा कि उत्तर दिया गया कि केन्द्रीय सरकार से भी स्वीकृति लेनी है तो यह केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति लेने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी ?

श्री कैलाशप्रकाश---मैंने यह नहीं कहा कि केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति नहीं मिली । मैंने यह कहा था कि केन्द्रीय सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है । असल में बात यह है कि प्रदेश की बहुत सी योजनाओं में केन्द्रीय सरकार की सहायता रहती है । कभी अनुदान के रूप में और कभी लोन के रूप में सहायता वह देती है । केन्द्रीय सरकार ने पुलिस हाउसिंग योजना चला रखी है जिसके अन्तर्गत इस प्रदेश की सरकार को रुपया उधार मिल सकता है । इसी सम्बन्ध में यह पत्र व्यवहार चल रहा है ।

श्री सूरतचन्द रमोला---क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुलिस लाइन्स के लिये कोई साइट आदि का सेलेक्शन किया गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

बुलन्दशहर जिले के दन्कौर परगने में यमुना पर बांध बनाने का पंजाब सरकार का विचार

*४२---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि परगना दन्कौर, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के ग्राम मकनपुर, बेला आदि के सामने पंजाब सरकार जमुना नदी पर एक बांध बना रही है ? यदि हां, तो सरकार ने परगना दन्कौर के ग्रामों के बचाव का क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री राममूर्ति---सहायक अभियन्ता मांट ब्रांच डिवीजन, मथुरा द्वारा स्थान का निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि पंजाब सरकार का ग्राम चांदपुर से शेखपुर तक एक ८ मील लम्बा १६ फीट ऊंचा और शिखर पर १० फीट चौड़े प्रस्तावित बांध का निर्माण कराने का विचार है । यमुना नदी का दाहिना किनारा बायें किनारे के मुकाबिले में अधिक ऊंचा है । इस बांध के निर्माण से निम्नस्तर वाला क्षेत्र अलग हो जावेगा और परिणामतः बाढ़ के समय बाढ़ ग्रसित क्षेत्र बढ़ जाया करेगा । इस बांध के निर्माण से उत्तर प्रदेश की सीमा के बाढ़ क्षेत्र में पड़ने वाले निम्न १३ ग्राम प्रभावित होंगे: १---गनपुरा, २---औरंगपुर, ३---बेलाखर्द, ४---बेला, ५---फतेहपुर, ६---अल्टा, ७---सालारपुर, ८---मूंजखेरा, ९---लतीफपुर, १०---क्वादिरपुर, ११---मिरजापुर, १२---मक्खनपुर, और १३---रामपुर । इस संबंध में पंजाब सरकार से बात हो रही है ।

*४३—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि पंजाब सरकार से इस सम्बन्ध में क्या बातें तय हुई हैं ?

श्री राममूर्ति—इस सम्बन्ध में एक पत्र मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, पंजाब, पटियाला को लिखा जा चुका है और उनसे प्रार्थना की गई है कि अगर यदि कोई इस प्रकार का प्रस्ताव हो तो इस कार्यालय को पहले से ही सूचित करें ताकि इस मामले पर यमुना उपसमिति में विचार किया जा सके और उस की अनुमति प्राप्त की जा सके। डायरेक्टर, हाइड्रोलाजी केन्द्रीय जल-विद्युत आयोग का भी ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि वे यमुना उपसमिति की जानकारी में उक्त मामला लावें।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब सरकार से यह वार्तालाप कब से प्रारम्भ हुआ है ?

श्री राममूर्ति—जैसे ही एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की नोटिस में यह बात आयी कि दूसरी तरफ बांध बनाने का विचार है, उसी समय से यह खतो-किताबत जारी की गयी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि यह बांध पंजाब सरकार क्या जमुना उपसमिति की स्वीकृति के बगैर ही बना देगी ?

श्री राममूर्ति—जैसा उत्तर से विदित है, बना नहीं रही है, बल्कि बनाने का विचार है। जमना उपसमिति के अन्दर यह मसले आया करते हैं। अगर किसी सरकार को यमुना नदी संबंधित किसी दूसरी सरकार के काम के बारे में आपत्ति हो तो ऐसे मामले उस समिति में दे दिये जाते हैं और उसके जरिये से जो मामला तय होता है उस पर अमल किया जाता है। अगर उसके विरुद्ध कोई काम करने को तैयार है तो वह सेन्ट्रल वाटर पावर कमीशन और जो केन्द्रीय सिंचाई विभाग है, उस की नोटिस में बात लायी जा सकती है।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अपने प्रदेश की सरकार ने पंजाब और केन्द्रीय सरकार से जो पत्र-व्यवहार किया है उसका कोई भी उत्तर प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो उससे अब इन गांवों को बचाने की क्या संभावना है ?

श्री राममूर्ति—अभी इसके बारे में मालूमात नहीं हैं।

श्री केशव पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जमुना नदी के दाहिने किनारे पर जो पंजाब सरकार बांध बना रही है, उसी किस्म का बायें किनारे पर बांध बनाने का सरकार विचार क्यों नहीं कर रही है ?

श्री राममूर्ति—वैसे तो यह उपसमिति की अवहेलना होगी कि पंजाब सरकार किसी कानून को तोड़ रही है तो हम भी तोड़ने लग जायें। अगर हमारा बनाने का इरादा होगा तो हम पहले उस समिति के सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे और अगर वह तैयार होगी तो फिर वह हमारे ऊपर रहा, अगर हमारे पास कोष होगा तो हम बना सकते हैं।

श्री नन्दकमारदेव वाशिष्ठ—इस पानी से जो हानि होगी उस के सम्बन्ध में पंजाब सरकार से कुछ मुआवजा मिलेगा ?

श्री राममूर्ति—यह दूसरी सरकार की बात है। उससे और मुआवजे से क्या ताल्लुक है, मैं समझा नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल—यमुना उपसमिति में उत्तर प्रदेश सरकार की नुमाइन्दगी कौन कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—उत्तर प्रदेश के चीफ़ इंजीनियर्स।

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)— क्या मंत्री जी को मालूम है कि पंजाब सरकार ने मुजफ्फरनगर की सरहद के साथ और सहारनपुर की सरहद के साथ यमुना के दूसरे किनारे पर बांध बांध लिये हैं और उनसे बहुत हानि हो रही है ?

श्री राममूर्ति—ऐसी खबरें आई हैं कि पंजाब सरकार उस समिति के आदेशों की अवहेलना सी कर रही है। बहरहाल, हमारी सरकार ने यह बात उपसमिति के नोटिस में ला दी है और सेंट्रल वाटर ऐण्ड पावर कमीशन के चैयरमैन के नोटिस में भी ला दी है। ताकि आगे कोई इस प्रकार की कार्यवाही पंजाब सरकार द्वारा न हो सके।

*४४—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—[हटा दिया गया।]

*४५—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[हटा दिया गया।]

*४६-४८—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[हटा दिये गये।]

बांदा जिले की अतर्रा मंडी में गुन्डागर्दी की शिकायत

*४९—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)— क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के अतर्रा मंडी में गत पांच अगस्त से गुन्डागर्दी की शिकायतों के सम्बन्ध में अनिश्चित काल के लिये जो आम हड़ताल आरम्भ हुई थी उस के क्या कारण हैं और क्या वह अब भी जारी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जिला बांदा की अतर्रा मंडी में गुंडागर्दी की शिकायतों के सम्बंध में ऐसी कोई आम हड़ताल अनिश्चित काल के लिये ५ अगस्त, १९५८ से नहीं हुई।

श्री लक्ष्मणराव कदम— क्या मंत्री जी को पता है कि वहां की पुलिस के आश्वासन देने पर कि वह गुन्डों के खिलाफ शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करेगी, अनिश्चित काल के लिये की जाने वाली हड़ताल २ दिन बाद, ७ अगस्त, को समाप्त हो गई थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, कोई गुंडागर्दी की शिकायत तो वहां ऐसी नहीं थी। यह बात अवश्य है कि कि आपस में एक झगड़ा हुआ और वह रुपये पैसे के बारे में था। उस झगड़े के कारण वहां जो कुछ मारपीट हुई तो एक पार्टी वालों ने बाजार बन्द करने के लिये कहा दूसरी पार्टीवालों ने खुले रहने के लिए कहा। एक दिन कुछ दूकानें बन्द रहीं। पुलिस का तो काम था ही कि जो रिपोर्ट उनके पास आवें उसके अनुसार काम करें। उन्होंने यह बात भी कही कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि वहां मुस्तकिल थाना न होन और पुलिस कम होने के कारण गुन्डे लोग कभी-कभी असलाह लेकर लोगों को धमकाते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री को पता है कि वहां की कुछ महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिये रक्षा-बन्धन के अवसर पर कुछ माननीय मंत्री लोगों को राखी भेजी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—मुझे तो याद नहीं पड़ता है कि मेरे पास कोई आई हो।

श्री जगपतिसिंह—क्या सरकार वहां मुस्तकिल थाना बनाने की सोच रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इस समय तो इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता।

*५०—श्री लक्ष्मीनारायण बंसल (जिला आगरा)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २९ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५१-५२--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)-- [हटा दिया गया।]

*५३--श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)--[हटा दिये गये।]

*५४-५५--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला हरदोई)-- [हटा दिया गया।]

मुजफ्फरनगर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन

*५६--श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)-- क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुजफ्फरनगर में कितने राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शनें दी गईं ?

श्री कैलाशप्रकाश--३९ व्यक्तियों को।

श्री बादामसिंह-- क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३९ व्यक्तियों में से सबसे अधिक किस व्यक्ति को पेंशन दी गई ?

श्री कैलाशप्रकाश-- नाम बतलाना शोभनीय प्रतीत नहीं होता है। माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में पूछने का कष्ट करें।

*५७--श्री लक्ष्मीनारायण बंसल--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २९ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

राज्य के पहाड़ी जिलों में नलों से पानी पहुंचाने तथा रिजर्वायर बनाने का सुझाव

*५८--श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में नहरों के बजाय नलों से पानी पहुंचाने और प्रत्येक गांव में एक बड़ा 'रिजर्वायर' बनाने का विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--ऐसी कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में कोई सुझाव उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसका परीक्षण किया गया है ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। यह मैं जानता हूं कि रिजर्वायर हर गांव में बनाना और नलों से पानी पहुंचाना बड़ी खर्चीली योजना है और उसे सरकार कर नहीं पावेगी।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी--क्या सिंचाई मंत्री को याद है कि स्वयं प्रश्नकर्ता ने इसका एक सुझाव उनके सामने रखा था ?

श्री राममूर्ति--मुझे इस समय याद नहीं पड़ रहा है।

*५९--श्री बाबूराम (जिला बरेली)-- [२९ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

सनातन धर्म कालेज, हरदोई के लिये प्रशासक की नियुक्ति

*६०--श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)-- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने सनातन धर्म कालेज हरदोई का मैनेजमेंट कब से और एजूकेशन बोर्ड की किस धारा के अन्तर्गत अपने हाथ में ले लिया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--कालेज की प्रबन्धक समिति में दो दल होने के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई को १७-५-५७ को कालेज के प्रेसीडेण्ट की प्रार्थना पर प्रशासक नियुक्त किया गया है।

*६१—श्री बुलाकीराम—क्या सरकार सनातन धर्म कालेज का मैनेजमेंट छः सदस्यों की एक एडहाक कमेटी को तत्काल सुपुर्द करने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—ऐसा कोई सुझाव अभी तक नहीं आया है।

श्री बुलाकीराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कालेज प्रबन्धक कमेटी के दो दल होने के कारण ही सरकार ने प्रेसीडेंट की प्रार्थना पर प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया या इसके कोई अन्य कारण भी थे ? यदि हां, तो वे क्या थे ?

श्री कैलाशप्रकाश—प्रबन्धक समिति में जो दल थे। उनका काम ठीक तरीके से नहीं चल रहा था। स्कूल में भी काम ठीक तरीके से नहीं चल रहा था। वहां के प्रेसीडेंट महोदय ने अपनी असमर्थता प्रकट की कि वह ठीक तरह से काम चला सकें। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि कुछ दिनों के लिये प्रशासक नियुक्त कर दिया जाय। प्रशासक नियुक्त कर दिया गया उस समय तक के लिए जब तक कि विधिवत् रूप में समिति न बन जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रेसीडेंट द्वारा इस तरह का पत्र प्राप्त होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्वयं भी उस सम्बन्ध में कोई जांच की थी और उसके बाद प्रशासक नियुक्त किया गया या सिर्फ पत्र पाने पर ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, केवल प्रधान का पत्र आने पर ही नहीं किया गया। इस विद्यालय के सम्बन्ध में शिकायतें विभाग में बहुधा आती रही हैं और उनकी जांच भी होती रही है। इसके पश्चात् जब प्रधान महोदय ने प्रशासक के लिये प्रार्थना की तभी नियुक्त किया गया।

श्री जगन्नाथ लहरी—इस विद्यालय में प्रशासक नियुक्त करने से पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस विद्यालय की प्रबन्ध समिति को किसी प्रकार की कोई लिखित चेतावनी दी थी ? यदि हां, तो वह क्या थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसका पूरा ब्यौरा इस समय मेरे पास नहीं है। सूचना की आवश्यकता है।

सिंचाई की बड़ी योजनाओं में कमी करने के सम्बन्ध में जानकारी

*६२—श्री शिवराजसिंह यादव—क्या सरकार यह विचार कर रही है कि सिंचाई नियोजन संबंधी major irrigation Schemes में कमी कर दी जाय और उसके स्थान पर minor irrigation Schemes अधिक चलायी जाय ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

श्री शिवराजसिंह यादव—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फारेन एक्सचेंज की दिक्कत के बावजूद भी क्या चालू मेजर इरीगेशन वर्क्स पर टाइम शैड्यूल के लिहाज से काम की तरक्की संतोषजनक है ?

श्री राममूर्ति—मेजर वर्क्स जितने भी हमारे थे उनमें रामगंगा रिजर्वायर पर तो काम नहीं हो रहा है चूंकि उसका ऐस्टीमेट रिवाइज होकर बहुत बढ़ गया है। इसके अलावा हमारे सभी कामों में संतोषजनक और टाइम शैड्यूल के लिहाज से काम हो रहा है। फारेन एक्सचेंज की कोई खास दिक्कत नहीं पैदा हो रही है।

श्री शिवराजसिंह यादव—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिन सिंचाई योजनाओं पर काम टाइम शैड्यूल के लिहाज से पूरा किया वहां आबपाशी का लक्ष्य पूरा करने के लिये उन्होंने अभी कोई दूसरा प्रबन्ध किया है ?

श्री राममूर्ति--राम गंगा रिजर्वायर को छोड़ कर और सब काम टाइमशैड्यूल से चल रहा है, इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ लहरी--क्या माननीय मंत्री जी को अपने प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के उस बयान की जानकारी है जिसमें उन्होंने मेजर इलेक्ट्रिसिटी स्कीमों के संबंध में एक बयान दिया था और जनता से मांग की थी कि वह मेसनरी वैल्स की ओर बढ़े तथा इसके लिये उन्होंने ६० लाख रुपया भी मंजूर किया था?

श्री राममूर्ति--इन मेजर प्रोजेक्ट्स पर जहां तक काम हो चुका है अब उस स्थिति में नहीं है कि उनको बीच में रोका जा सके। मुख्य मंत्री जी ने माननीय सदस्यों का जिस तरफ ध्यान आकर्षित किया था वह यह था कि मेसनरी कुयें बनाकर और रहट चला कर आबपाशी की जाय।

*६३--**श्री शिवराजसिंह यादव**--[२५ सितम्बर, १९५८ के लिये प्रश्न संख्या ७९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६४--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--[हटा दिया गया।]

*६५--**श्री मिहरबानसिंह** (जिला इटावा)--[२९ सितम्बर, १९५८ के लिये स्थगित किया गया।]

चुर्क सीमेंट फैक्टरी की ४६० बोरी सीमेंट सिधौली स्टेशन पर नष्ट हो जाने की शिकायत

*६६--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)--क्या सिंचाई राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री, मिर्जापुर से ४६० बोरा सीमेंट १४ मई, सन १९५७ ई० को रेलवे वैगन नं० १५०९२ के द्वारा सिधौली (सीतापुर) एन०ई० रेलवे स्टेशन पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रोविंशल डिवीजन को भेजी गई थी?

श्री राममूर्ति--जी हां।

*६७--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--यदि हां, तो क्या सिंचाई राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ४६० बोरा सीमेंट सिधौली रेलवे स्टेशन पर किस तारीख को पहुंची तथा रेलवे महसूल के अतिरिक्त डेमरेज इत्यादि के लिये कितना रुपया रेलवे को दिया गया?

श्री राममूर्ति--यह ४६० बोरे सीमेंट २३-५-५७ को सिधौली स्टेशन पर पहुंची थी। रेलवे अधिकारियों ने डेमरेज के लिये १६४ रुपये लिये। इन रुपयों को लौटाने के लिये रेलवे अधिकारियों के साथ पत्र-व्यवहार हो रहा है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने दिनों तक माल रेलवे गोदाम पर पड़ा रहा, जिसका उनको १६४ रुपया देना पड़ा? यह किस कर्मचारी की गलती के कारण हुआ?

श्री राममूर्ति--इसमें किसी कर्मचारी की गलती नहीं थी। चुर्क सीमेंट फैक्ट्री से जो ४६० बोरे सीमेंट चला, वह पी०डब्लू० डी० के इंजीनियर ने मंगाया था। लेकिन उसकी बिल्टी किसी इंजीनियर के पास नहीं थी। जब हमारे इंजीनियर को पता लगा तो, चूंकि सब विभागों का सीमेंट अक्सर आया करता है, उसने माल को रेलवे स्टेशन पर उतरवा कर रखवा दिया। गलती से उसकी आर०-आर० बाराबंकी पहुंची। जब वहां से आयी तो माल छुड़ाया गया। फिर भी यह सीमेंट हमारे मुहकमे की नहीं थी। रोजाना के कामों के लिये हर मुहकमे के लिये सीमेंट आया करती है और कौन सा वैगन किस मुहकमे के लिये आया है, पता नहीं चलता। पता चलने पर १,६०० रुपया के बजाय १६४ रुपया डेमरेज के रह गये थे।

लेकिन उम्मीद है कि वह भी छूट जायेंगे। अतः इसमें किसी आफीसर या पी०डब्ल्यू०डी० या इर्रीगेशन किसी विभाग की इसमें कोई गलती नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जब किसी कम्पनी के द्वारा कोई सीमेंट भेजी जाती है तो आर०आर० के अलावा एक इनवायस भी खरीदार के पास भेजा जाता है, जिसमें बिल्टी और माल का विवरण रहता है। तो क्या इस ४६० बोरे की सूचना इंजीनियर के पास नहीं आयी थी जिससे पता चल जाता कि वह सीमेंट वहां से रवाना हो चुका है ?

श्री राममूर्ति---यह बदकिस्मती की बात थी कि इनवायस भी नहीं पहुंचा था।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के एक हिस्से का जवाब नहीं आया कि कितने दिनों तक यह माल गोदाम पर पड़ा रहा जिसका १६४ रुपया देना पड़ा ?

श्री राममूर्ति---यह माल १४-५-५७ को रेलवे पर पहुंचा था और ५-१२-५७ को छुड़ाया गया।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि ये ४६० बोरी सीमेंट वर्षा काल होने के कारण सारी की सारी रेलवे गोदाम में ही नष्ट हो गयी ?

श्री राममूर्ति---इसके बारे में मुझे इस वक्त कोई सूचना नहीं है।

मैनपुरी जिले में डकैतियों को नेरके ोक लिये प्रत्येक गांव में बन्दूकें देने का सुझाव

*६८---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में १ जनवरी, १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक कितनी डकैतियां पड़ी हैं और जिन गांवों में डकैतियां पड़ीं हैं उनमें से ऐसे गांव कितने हैं कि जिनमें बन्दूकें नहीं थीं और ऐसे गांव कितने हैं जिनमें बन्दूकें थीं ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस अवधि में कुल २७ डकैतियां पड़ीं। १० गांवों में बन्दूकें थीं और १७ गांवों में नहीं थीं।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन गांवों में बंदूकें थीं उनमें कम डकैती पड़ी और जिन गांवों में बन्दूकें नहीं थीं उनमें बहुत ज्यादा डकैतियां पड़ीं हैं ? ऐसी सूरत में डकैती की रोकथाम के लिये मैनपुरी के जिलाधीश को वह आदेश देने की कृपा करेगी कि कम से कम ५ बन्दूकों के लाइसेंस फी गांव को दे दिये जायं ?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, वह तो स्वीकार करने के योग्य नहीं हो सकता, किन्तु हां, इस बात का प्रयत्न अवश्य है कि गांवों में सुरक्षा हेतु आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस दिये जायं और इस संबंध में जिलाधिकारी को लिखा भी जा चुका है।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों के पास बन्दूकें थीं, उन्होंने डकैतों का मुकाबला करने के लिये उनका उपयोग किया ? यदि नहीं किया तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस संबंध में विशेष सूचना मेरे पास नहीं है। मंगायी गयी है, वह अभी आयी नहीं है।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में जो डकैतियां पड़ी हैं, उनमें से काफी, अधिकांश डकैतियां आगरा और मैनपुरी के बोर्डर के गावों में पड़ीं हैं, जहां एक नया गैंग बन चुका है ?

श्री कैलाश प्रकाश--हो सकता है कि ये जो डकैतियां पड़ी हैं उनमें से ज्यादा बोर्डर के गांवों में पड़ी हों। वैसे गांवों की सूची इस समय मेरे पास है किन्तु वह बहुत लम्बी है, संभवतः अध्यक्ष महोदय इसकी आज्ञा नहीं देंगे।

*६९--**श्री मदन पांडेय**--[हटा दिया गया।]

*७०--**श्री जंगबहादुर वर्मा**--[हटा दिया गया।]

टेहरी-गढ़वाल जिले के राजकीय प्रताप इन्टर कालेज के निम्नश्रेणी के पुराने कर्मचारियों की खपत न होने तथा कालेज में एल०टी०ग्रेड के अध्यापक के न होने की शिकायत

*७१--**श्री सूरतचन्द रमोला**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला टेहरी-गढ़वाल के राजकीय प्रताप इंटर कालेज के राजकीय चपरासी व लैब इंचार्ज कर्मचारियों का अब्जारप्शन (absorption) अब तक टेहरी-गढ़वाल स्टेट के विलीनीकरण के पश्चात नहीं हो पाया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश--सूचना एकत्र की जा रही है।

*७२--**श्री सूरतचन्द रमोला**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल के राजकीय प्रताप इंटर कालेज में अब तक मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले एल० टी० ग्रेड के कोई अध्यापक गत वर्ष से नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, एल०टी० ग्रेड का गणित पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं दिया जा सका, क्योंकि ऐसा अध्यापक उपलब्ध नहीं है किन्तु इंटर क्लास के गणित अध्यापक से सहायता ली जाती है।

श्री सूरतचन्द रमोला--क्या यह कर्मचारी टेहरी-गढ़वाल स्टेट के परमानेंट एम्पलाई हैं?

श्री कैलाशप्रकाश--श्रीमन, जैसा मैं प्रश्न संख्या ७१ का उत्तर दे चुका हूं कि इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है, पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर ही निश्चित उत्तर दिया जा सकता है।

श्री सूरतचन्द रमोला--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सूचना आने में कितना वक्त और लग जायगा?

श्री कैलाशप्रकाश--उम्मीद की जाती है कि शीघ्र ही आ जाय।

श्री सूरतचन्द रमोला--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मैथमेटिक्स से इंटरमीडियेट क्लास पास अध्यापक इंटर क्लास को गणित पढ़ा सकता है?

श्री कैलाशप्रकाश--जो अध्यापक इंटरमीडियेट क्लास को पढ़ा रहा है वह नवीं, दसवीं क्लास को तो पढ़ा ही सकता है।

*७३--**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)--[हटा दिया गया।]

*७४--**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)--[हटा दिया गया।]

*७५--**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़)--[हटा दिया गया।]

*७६-७७--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--[हटा दिये गये।]

मेरठ जिले में भठीपुरा ब्लाक के दो नलकूपों के न चलने की शिकायत

*७८---कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेरठ जिले में कितने सरकारी ट्यूबवेल्स हैं ?

श्री राममूर्ति---मेरठ जिले में कुल ४७० राजकीय नलकूप हैं।

कुमारी श्रद्धा देवी शास्त्री---क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि भठीपुरा ब्लाक के कुछ किसानों ने और मेरठ जिले के कुछ किसानों ने सरकारी ट्यूबवेल्स के बारे में शिकायत की है कि कुछ सरकारी ट्यूबवेल्स ऐसे लगे हुये हैं जो आज तक नहीं चलते हैं ?

श्री राममूर्ति---मेरी इत्तला तो यह है कि ४७० ट्यूबवेल्स में से सब के सब काम कर रहे हैं।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि भठीपुरा ब्लाक के ट्यूबवेल नम्बर ५३ और ५४ सिंचाई कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---मान्यवर, वैसे तो मैंने जवाब दे दिया कि सभी काम कर रहे हैं लेकिन मेरे पास कोई खास शिकायत, जिस ट्यूबवेल का जिक्र अभी माननीया सदस्या ने किया, उसके बारे में नहीं है। लेकिन अगर वह मेरे पास लिखकर दे दें तो उसके बारे में मालूमात करा लूंगा और यदि कोई खराबी होगी तो वह भी ठीक कर दी जायगी।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भठीपुरा ग्राम में वह स्वयं गये थे और काश्तकारों ने उनसे शिकायत की थी उस ट्यूबवेल की ?

श्री राममूर्ति---मुझे याद नहीं पड़ता कि कब मैं उस गांव में गया था और कब शिकायत की थी।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इन ४७० ट्यूबवेल्स में मकनपुर के इलाके के भी ट्यूबवेल शामिल हैं जिन पर अभी तक बिजली नहीं गई है ?

श्री राममूर्ति---मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेकिन अगर माननीय सदस्य लिखकर देदें तो मैं पूरी मालूमात मेम्बर साहबान के लिये मंगा दूंगा और यदि कोई कमी होगी तो वह भी ठीक करा दी जायगी।

अपराध सम्बन्धी मुकदमों में जिला तथा सेशन्स जज आजमगढ़ द्वारा उल्लिखित पैरवी तथा तफतीशी गलतियों के लिये सब-इन्सपेक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही

*७९---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में १ जनवरी, १९५७ से २० जून, १९५८ तक जिला और सेशन जज द्वारा जिन क्रिमिनल मुकद्दमों में अभियुक्त छोड़े गये उनमें से कुछ मुकद्दमों में उपर्युक्त न्यायाधीश ने अपने निर्णयों में मुकदमों की पैरवी व तफतीश में खामी (defects in prosecution and investigation) का उल्लेख किया है ? यदि हां, तो कितने में और भविष्य में सरकार इन खामियों को दूर करने का क्या प्रबन्ध का रही है?

श्री कैलाश प्रकाश---उक्त अवधि में जिला और सेशन जज आजमगढ़ ने ५ मुकदमों में पैरवी और तफतीश में त्रुटियों का उल्लेख किया है।

जिन मामलों में त्रुटियों का उल्लेख किया जाता है उनमें आवश्यक जांच के उपरान्त त्रुटियों के लिये जिम्मेदार पाये गये व्यक्ति को समुचित दण्ड दिया जाता है।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त पांच मुकदमों की पैरवी में जो त्रुटि की गई है उसमें सरकार ने जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है या करने का विचार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इनमें से तीन मामलों में तो सम्बन्धित सब-इंसपेक्टर्स की आचरण-पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई है। एक पर अभी विचार हो रहा है और पांचवें मामले में इंसपेक्टर के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया।

श्री मुक्तिनाथराय—क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त पांच मामलों में सिर्फ पुलिस आफिसरों की ही कमी रही है या डी० जी० सी० और पेनल आफ लाइयर्स की भी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जज ने जिन त्रुटियों का उल्लेख किया था उसके अनुसार पुलिस अधिकारियों की कुछ कमी की ओर ध्यान दिलाया था।

आगरा की अन्न मंडी लूटने का कथित प्रयास

*८०—**श्री गंगाप्रसाद सिंह**—क्या सरकार को सूचना मिली है कि हाल ही में आगरा की अन्न मंडी को लूटने तथा उसमें आग लगाने की कोशिश की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त तथ्य के सविस्तर विवरण को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग उठता नहीं।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय ने उन बयानात को पढ़ा है जिनको कि इस प्रदेश के कई नेताओं ने आगरे में अन्न की मंडी को लूटने तथा आग लगाने की घटनाओं के सम्बन्ध में दिया है तथा व्यापारियों के इस प्रकार भाव बढ़ाने की कुनीति की भर्त्सना की है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, सबको तो मैंने नहीं पढ़ा।

रूपा तथा उसके साथी डाकुओं को पकड़ने का प्रयास

*८१—**श्री गंगाप्रसाद सिंह**—क्या यह सही है कि दस्यु रूपा की गिरफ्तारी एवं उसके गोल के उन्मूलन के लिये प्रदेशीय सरकार ने कुछ विशेष पुलिस दस्तों को भेजा है ? यदि हां, तो कितने पुलिस जवान भेजे गये हैं तथा प्रतिदिन सरकार का उन पर क्या खर्च पड़ रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—दस्यु रूपा की गिरफ्तारी एवं उसके गोल के उन्मूलन के लिये प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी की १० कम्पनियां व २ प्लाटून लगाये गये हैं जिस पर प्रतिदिन ४,५४४ रुपया खर्च होता है। यह कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है क्योंकि स्थायी आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के सदस्य होने के कारण सरकार को इन लोगों का खर्च हर हालत में उठाना पड़ता।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि यह १० कम्पनियां और जो २ प्लाटून हैं कब से लगाये गये हैं और अब तक सरकार को इस दिशा में कितनी कामयाबी हासिल हुई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—दिनांक के लिये कि कब से लगाये गये हैं सूचना की आवश्यकता होगी। लेकिन जब से यह लगाये गये हैं काफी सफलता मिली है।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जब से पुलिस दस्ता बढ़ाया गया है तब से रूपा ने मानवों की हत्या करने का कार्य अधिक तेजी से बढ़ा दिया है और इसी वर्ष रूपा के द्वारा अनेक व्यक्तियों की हत्यायें की जा चुकी हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—ऐसी कोई सूचना इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या मंत्री जी को पता है कि आज से २ मास पूर्व ही आगरा जिले की फतेहाबाद तहसील में रूपा ने एक गांव में ४ व्यक्तियों को गोली से उड़ा दिया था ?

श्री कैलाशप्रकाश—हो सकता है । इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि जो रुपया प्रति दिन व्यय होता है, जैसा मंत्री जी ने बताया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि हर हालत में होगा ही, यह किस प्रकार का व्यय है ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, जितने इसमें कर्मचारी और अधिकारी रखे जाते हैं उनके वेतन पर खर्च होता है, और उनको जो सुविधायें दी जाती हैं उस पर खर्च होता है और उनके पास जो और चीजें रहती हैं अस्त्र वगैरह तथा गाड़ियां इत्यादि, उन सब पर खर्च होता है ।

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या मंत्री जी को पता है कि आगरा जिले की फ़तेहाबाद तहसील में जिन ४ व्यक्तियों को रूपा ने गोली से उड़ाया था उस घटना की जांच करने के लिये प्रदेश के आई० जी०, श्री माथुर, स्वयं उस क्षेत्र में गये थे और उन्होंने जांच की थी ?

श्री कैलाशप्रकाश—इतना पूरा ब्यौरा मेरे पास नहीं है इस समय । इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता है ।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब से यह पुलिस रखी गई है तब से रूपा के गोल के कुछ आदमी मारे या पकड़े गये ? और यदि हां, तो कितने ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

पूर्वी जिलों की बढ़ती डकैतियों को रोकने के लिये आग्नेय अस्त्र लाइसेंस देने के सम्बन्ध में आदेश

*८२—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या यह सही है कि अगस्त, १९५० में सरकार ने बलिया आदि १९ जिलों के जिलाधीशों को जहां डकैतियों की संख्या बढ़ गई थी आग्नेय अस्त्र लाइसेन्स (firearms licence) देने के सम्बन्ध में कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, पर आदेश की प्रतिलिपि काफी बड़ी व सामान्य उपयोगिता की नहीं है, अतः माननीय सदस्य उसे मेरे कार्यालय में देख लें ।

बलिया जिले में श्रीनगर-तुर्तीपार बांध के उत्तरी भाग में सिंचाई के साधनों की कमी

*८३—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह बलिया जिले में श्रीनगर-तुर्तीपार बांध के उत्तर के गांवों की सिंचाई के लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न में उल्लिखित गांवों की सिंचाई के लिये कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है ।

श्री जगन्नाथ चौधरी—मंत्री जी कारण सहित बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन गांवों की सिंचाई की व्यवस्था क्यों नहीं का जा रही है ?

श्री राम मूर्ति---जो बांध के और दरिया के बीच में गांव होते हैं वे फ्लड प्लेन में हैं, उनमें बाढ़ आती रहती है। कुछ थोड़ा-सा हिस्सा इस इलाके का जरूर ऐसा है जिसमें बाढ़ नहीं आती है। मनियर क्षेत्र के पास का जो इलाका है उसमें एक ट्यूबवैल लगा दिया गया और एक जो कथोड़ा की तरफ का इलाका है, चूंकि वहां से बिजली की लाइन बहुत दूर है, और खर्चा ज्यादा है इसलिये वहां ट्यूबवैल नहीं लगाया जा सका। इसलिये वहां सिंचाई का इंतजाम नहीं है।

श्री जगन्नाथ चौधरी---श्रीनगर-तुर्तीपार बांध और घाघरा के बीच में करीब २, ३ मील का फासला है और अधिकांश वहां ऐसे गांव हैं जहां ट्यूबवैल लगाये जा सकते हैं जो बाढ़ से नहीं डूबते हैं। क्या सरकार वहां की जांच करवा कर ट्यूबवैल लगवाने का कष्ट करेगी ?

श्री राममूर्ति---इस वक्त ट्यूबवैल लगाने का प्रोग्राम रोक दिया गया है चूंकि धन की कमी है।

***८४---८६---श्री नारायणदत्त तिवारी**---[हटा दिये गये।]

मेरठ जिले में गढ़मुक्तेश्वर थाने के अन्तर्गत स्त्रियों पर अत्याचार की शिकायतें

***८७---कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गृह मंत्री को अप्रैल, १९५८ में जिला मेरठ के थाना गढ़मुक्तेश्वर की पुलिस द्वारा स्त्रियों पर अत्याचार करने की कुछ शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां। महिलाओं पर पुलिस द्वारा अत्याचार की एक शिकायत सदस्या महोदया से प्राप्त हुई थी। इसमें कहा गया है कि महिलाओं पर अत्याचार के सम्बन्ध में ग्राम अड़सेनी के गड़रियों की रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं की गई। इस शिकायत की जांच कराई गई जिससे मालूम हुआ कि ग्राम अड़सेनी के श्री नियादर गड़रिये द्वारा की गई उसकी लड़की कु० रामरती को सताये व छेड़ खानी किये जाने की एक रिपोर्ट थाने में दिनांक २१-४-५८ को दर्ज की गई। अनुसंधान के बाद मुकदमा दिनांक २५-५-५८ को न्यायालय भेज दिया गया जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। स्त्रियों पर अत्याचार के अन्य मामलों के सम्बन्ध में जांच हो रही है।

अनूपशहर को गंगा के कटाव से बचाने पर विचार

***८८---कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि क्या अनूपशहर नगर को गंगा के कटाव से बचाने के लिये बांध बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि व्यय की जायगी ?

श्री राममूर्ति---अनूपशहर नगर को गंगा नदी की धारा से बचाने के लिये सिंचाई अनुसन्धानशाला, रुड़की में माडिल एक्सपैरीमेन्ट्स द्वारा साधन निकाले जा रहे हैं, परन्तु अभी तक उन पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। अतः ऐसी परिस्थिति में उपर्युक्त कार्य की लागत का अनुमान देना सम्भव नहीं है। इस विषय में मुझे यह भी कहना है कि इस स्थान पर अभी शीघ्र ही किसी अभिरक्षित साधनों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नदी की धारा शहर से काफी दूरी पर है।

नोटः---तारांकित प्रश्न ८३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

मेरठ जिले में बाढ़

*८९--कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री--क्या सिंचाई राज्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ ई० तथा १९५७ ई० में मेरठ की किन-किन तहसीलों में बाढ़ आई ?

श्री राममूर्ति--वर्ष १९५६-५७ ई० में जिला मेरठ की निम्नलिखित तहसीलों में बाढ़ से हानि हुई ।

वर्ष	तहसील का नाम
१९५६ ई०	मवाना, सरधना, हापुड़ व मेरठ ।
१९५७ ई०	मेरठ, हापुड़, मवाना, और सरधना ।

कतिपय माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अब कुछ सूचनायें माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मुझे सदन को देना है ।

श्री लयालीराम की गिरफ्तारी १३-९-५८ को धारा १५१, सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत लखनऊ में की गयी ।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा की गिरफ्तारी ११-९-५८ को धारा १४४, सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत इटावा में की गई और उसके बाद उनके बारे में दूसरी खबर यह भी आई कि उनको ६ मास की सजा और २०० रुपये जुर्माना किया गया है ।

श्री गजेन्द्रसिंह की गिरफ्तारी १४-९-५८ को धारा १०७, ११७, १५१ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत इटावा में की गई ।

श्री भजनलाल की गिरफ्तारी १२-९-५८ को धारा १५१, १०७, ११७ सी० आर० पी० सी० और ११६ व १८८ आई० पी० सी० के अन्तर्गत इटावा में की गई ।

श्री सुरथबहादुर शाह की गिरफ्तारी १३-९-५८ को धारा १५१, १०७, ११७ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत लखीमपुर-खीरी में की गई ।

श्री रामबली की गिरफ्तारी १४-९-५८ को धारा १४३, १४७, १८८ आई० पी०सी० के अन्तर्गत फैजाबाद में की गई ।

श्री शिवप्रसाद नागर की गिरफ्तारी १३-९-५८ को धारा १५१, १०७, ११७ के अन्तर्गत लखीमपुर-खीरी में की गई ।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी की गिरफ्तारी १२-९-५८ को धारा १८८ आई० पी० सी० के अन्तर्गत ओरई में की गई ।

श्री भीखालाल की गिरफ्तारी १२-९-५८ को धारा १४५, ३५३, ३४१ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत बाराबंकी में की गई ।

श्री भगौती प्रसाद, श्री जंगबहादुर वर्मा, श्री नत्थाराम रावत की गिरफ्तारी १२-९-५८ को धारा ४८० सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत बाराबंकी में की गई ।

इनके अलावा एक जिलाधीश महोदय ने एक गलत इत्तला जरूर दे दी है कि श्री बजरंग बिहारी, सदस्य, विधान सभा भी गिरफ्तार किये गये परन्तु इस नाम के कोई माननीय सदस्य नहीं हैं और इसलिये उनकी सूचना देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में भी लीडर में गलत प्रकाशन हो गया था । उनके बारे में जिलाधीश प्रतापगढ़ ने सूचना दी है कि यह समाचार गलत है और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है । इसलिये वह खबर गलत छपी थी ।

श्री गेंदासिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के निर्णय की सूचना

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना और देना चाहता हूं कि श्री गेंदा सिंह क प्रश्न से सम्बन्धित विशषाधिकार के प्रश्न को मैंने प्रक्रिया नियमावली के नियम ६७ के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति को जांच तथा सिफारिश के लिये भेजा था। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जो कि अभी मनुसक्रिप्ट की शक्ल में है, अभी छपना बाकी है इसलिये अभी मेज पर रखा नहीं गया है। समिति ने अपने प्रतिवेदन में श्री गेंदा सिंह को दोषी ठहराते हुए यह सिफारिश की है कि श्री गदा सिंह की भर्त्सना (admonition) की जाय परन्तु साथ ही समिति ने यह भी सिफारिश की है कि यदि श्री गेंदा सिंह अब भी अपनी गलती के लिये क्षमा याचना करें, तो उन्हें माफ कर दिया जाय।

उक्त समिति के एक सदस्य माननीय नारायणदत्त तिवारी ने समिति के उक्त निर्णय से अपनी असहमति प्रकट की है और पृथक से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा है और उसके लिये उन्होंने २०, सितम्बर तक का समय मांगा है। तो इस सम्बन्ध में अब मैं सदन से जानना चाहता हूं कि सदन अगर चाहे तो नियम के अनुसार हर माननीय सदस्य को इस प्रतिवेदन की प्रतियां छपवा कर बांट दी जायंगी, तब उसके ऊपर विचार किया जायगा, क्योंकि नियम ५३ यह है--

"After the report of the Privilege Committee has been placed on the table of the House, the Chairman of the Committee or any member of the Committee or any member of the House may move that the report of the Committee be taken into consideration forthwith or at some future time within which the report may be printed and copies supplied to members."

तो चूंकि हस्तलिखित रूप में यह प्रतिवेदन रखा है इसलिये यदि माननीय सदस्य कहें तो उसको छपवा कर पहले वितरित कर दिया जाय तब विचार इस पर हो, जिसमें सबको सुभीता होगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जी हां, ठीक है।

श्री अध्यक्ष--तो इसको छपवा दिया जायगा।

फिर इस प्रकार भी नियम है कि,

"Provided that if the matter has been referred to the Privilege Committee and the person charged has been heard before the Committee, it will not be necessary for the House to give him that opportunity unless the House directs otherwise."

इस प्रतिबन्ध को दृष्टि में रखकर मैं सूचना देता हूं कि गेंदासिंह जी का बयान हो चुका है, उनकी बात समिति ने सुन ली है। जब श्री गेंदा सिंह जी आयेंगे तो अगर सदन की इच्छा होगी, जबकि यह विशेष विचार में आयेगा तभी फिर से उनको मौका दिया जा सकेगा। इस बारे में सदन उस वक्त विचार करेगा जबकि छप कर इस सदन के सामने प्रतिवेदन की प्रतियां आ जावेंगी।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--अध्यक्ष महोदय, अभी आपने जो गिरफ्तारियों की सूचना दी है उसमें श्री भुवनेशभूषण की गिरफ्तारी ११ तारीख को सुनायी गयी है। जबकि विधान इस बात का है कि किसी सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना तुरन्त ही आपको दे देनी चाहिये और सदन ११-१२ सितम्बर को चलता रहा तो क्या आप जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी की सूचना इतनी देर बाद क्यों मिली ?

श्री अध्यक्ष---सूचना उसी रोज रात को आ गयी थी, लेकिन वक्त बेवक्त ११ बजे, १२ बजे रात को तार मेरे घर पर आ जाते हैं। तो वह तार भी आया था, वह एक जगह रख दिया गया था। मैं गलती से लिस्ट में उसको शामिल नहीं कर पाया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का उसमें कोई दोष नहीं है। उनका तार समय पर आ चुका था। उसके बाद यह हुआ कि और लोगों की सूचना देने के बाद जब मैं घर गया तो मुझे तार दिखायी दिया, तो चूंकि छुट्टी हो चुकी थी तो मैंने यह उचित समझा कि सूचना आज के रोज दे दूं। आज दूसरी खबर भी आ गयी कि उनके ऊपर चार्ज लगा कर उनको सजा भी हो गयी। तो मैंने दोनों खबरें एक साथ दे दीं।

खाद्य-समस्या संबंधी विचार विनिमय तथा मुख्य मंत्री द्वारा राजनीतिक सहयोग की मांग के संबंध में जानकारी

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन के माननीय नेता सम्पूर्णानन्द जी से एक सूचना चाहता हूं कि अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उत्तर प्रदेश की खाद्य स्थिति तथा विरोधी पार्टियों द्ववारा जो आन्दोलन छेड़ा गया है इस सम्बन्ध में विचार-विनिमय किया था और विशेषरूप से मुख्य मन्त्री को उसमें भाग लेने के लिये बुलाया गया था, तो उसके विचार-विनिमय और निर्णय को यदि संक्षिप्त रूप में सदन को सुनाने की कृपा करें तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दूंगा कि कांग्रेस कमेटी के अन्दर कोई चर्चा हुई हो तो उसे वाद-विवाद में यहां वर्णन करने के लिये उनको तकलीफ दूं।

श्री जगन्नाथ लहरी---दूसरी सूचना और भी है अध्यक्ष महोदय। इस देश के प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने विरोधी पार्टियों से राजनैतिक सहयोग देने के लिये इस खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये जो अपील की है उस सम्बन्ध में भी मुझे विशेष रूप से पता चला है कि आदरणीय श्री सम्पूर्णानन्द जी सदन के नेता हैं उनसे भी विचार-विनिमय किया था, तो क्या उसके फलस्वरूप इस प्रदेश में राजनैतिक समझौता करने के लिये कोई रास्ता निकला है? यदि हां, तो आदरणीय सम्पूर्णानन्द जी इस सदन को बताने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, विचार-विनिमय कोई नहीं हुआ, लेकिन जहांतक सहयोग की बात है, मैं बार-बार कह चुका हूं कि सहयोग की मैं अपील करता हूं, करता रहा हूं और करता रहूंगा, लेकिन सहयोग के लिये अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिये वह मौजूद नहीं है। जबतक इस प्रकार का आन्दोलन चलता रहेगा और विभिन्न दल इस बात को कहते रहेंगे कि हम आन्दोलन चलावेंगे और उसको इंटेंसीफाई करेंगे तबतक मेरी समझ में यह परिस्थिति प्रदेश में मौजूद नहीं है जिसमें किसी से सहयोग की बात हो सके।

श्री जगन्नाथ लहरी---अध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी के पालिट ब्यूरो के सदस्य श्री जेड० ए० अहमद, जो कि राज्य सभा के सदस्य भी हैं उन्होंने माननीय सम्पूर्णानन्द जी के सामने सीज फायर का एक प्रस्ताव रखा है। उसे देखते हुए क्या कोई राजनीतिक समझौता करने की सम्भावना है?

श्री अध्यक्ष---जब उन्होंने आखिरी जवाब दे दिया तो हर एक ने जो बात कही उसके बारे में पूछने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। उनका जवाब हो चुका।

श्री जगन्नाथ लहरी---अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय ने यह बतलाया है कि सहयोग की अपील की गयी थी। उस सम्बन्ध में मैंने पूछा।

श्री अध्यक्ष---वह तो हर एक के लिये उनका जवाब एक-सा ही है। उसके बाद कोई प्रश्न उठता नहीं है।

साप्ताहिक कार्य-क्रम के बारे में सूचना

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्य मन्त्री अगले सप्ताह के कार्य-क्रम के बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---श्रीमन्, कार्यक्रम लिखा हुआ है। उसमें कई बिलें लिखी हुई हैं और फिर पूरक अनुदान और एक्सेस ग्रांट्स हमको पास करनी हैं। इस वक्त तो मैं यही बतला सकता हूं।

उत्तर प्रदेश वृहत् जोत-कर नियमावली, १९५७ में प्रख्यापित *संशोधन

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर नियमावली, १९५७ में, राजस्व (ग) विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५३८३/१(म)-१९२ (सी) ५८, दिनांक ३० अगस्त, १९५८ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश वृहत जोत-कर अधिनियम, १९५७ की धारा २९ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

१९५४-५५ की बढ़तियों के लिये अनुदान की मांग

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष १९५४-५५ की बढ़तियों के लिये अनुदान की मांग प्रस्तुत करता हूं।

१९५८-५९ के प्रथम अनुपूरक अनुदान

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष १९५८-५९ का प्रथम पूरक अनुदान प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७

सामान्य संशोधन---(क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा पारित हुआ है, पर विचार जारी होगा। उस दिन माननीय नरेन्द्र सिंह जी विष्ट बोल रहे थे, अब वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर चुका हूं लेकिन फिर पढ़े देता हूं कि विधेयक में वाक्य खंड "जिला जज" से भिन्न जहां कहीं शब्द "जज" का प्रयोग हुआ है उसके स्थान पर "न्यायाधीश (Judge)" रख दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह था कि कहीं जिला जज प्रयोग किया गया है और कहीं जज प्रयोग किया गया है तो इससे एक किस्म की यूनीफारमिटी नहीं आ रही है, इसके लाने के लिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। जैसा कि अनुसूची में दिया हुआ है, भाषा के अन्तर्गत यह रुचिकर मालूम होता है कि जहां-जहां "जिला जज" शब्द का प्रयोग हुआ है वहां "न्यायाधीश (Judge)" हो जाय।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---मुझे स्वीकार है, श्रीमन्।

---

*छापे नहीं गये।

†११ सितम्बर, १९५८ की कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि विधेयक में वाक्यखंड "जिला जज" से भिन्न जहां-जहां शब्द "जज" का प्रयोग हुआ है उसके स्थान पर शब्द "न्यायाधीश (Judge)" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, १९५७ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण राज्य में होगा ।

(३) यह अध्याय तुरन्त प्रवर्तित हो जायगा और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध, जहां तक उनका सम्बन्ध किसी नगर (City) के सम्बन्ध में ऐसे दिनांक से प्रवर्तित होंगे जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ विश्चित करे--

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के अधीन किसी नगर के, लिये निगम का संगठन करने के सीमित प्रयोजन के लिये अध्याय २ के उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं--

(क) नगर में कक्षों (wards) का परिसीमन ;

(ख) निर्वाचक सूचियों (Electoral Rolls) का तैयार किया जाना और उनका प्रकाशन ;

(ग) किसी निगम का मेयर, एल्डरमैन, या कौंसिलर चुने जाने तथा मेयर, एल्डरमैन या कौंसिलर निर्वाचित किये जाने के लिये उम्मेदवार के रूप में नाम निर्देशित किये जाने के निमित्त अर्हतायें तथा अनर्हतायें; और

(घ) सामान्यतया, निर्वाचन का संचालन तथा निगम के यथावत् संगठन (Constitution) के लिये आवश्यक अन्य समस्त विषय ;

धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति के दिनांक से उक्त नगर में और उसके सम्बन्ध में प्रवर्तित होंगे और किन्हीं अन्य विधायनों (enactment) में किसी बात के रहते हुये भी निगम के यथावत संगठन के लिये उक्त अध्याय तथा तदन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचन करने के निमित्त ऐसे समस्त कार्य तथा कार्यवाहियां की जा सकती हैं, जो आवश्यक हों ।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड १ के उपखंड (३) में शब्द "के सम्बन्ध में" के स्थान पर शब्द "से है" रखे जायं । यह शाब्दिक संशोधन है । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री विचित्र नारायण शर्मा--इससे भाषा का सुधार होता है, इसलिये मुझे स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (३) में शब्द "के सम्बन्ध में" के स्थान पर शब्द "से है" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक व प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७

उत्तर प्रदेश के कतिपय नगरों के लिये नगर-निगमों (Municipal Corporations) की स्थापना की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि कतिपय नगरों में नगर निगमों की स्थापना के लिये व्यवस्था की जाय जिससे उन नगरों में श्रेष्ठ नगर शासन सुनिश्चित हो सकें, अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

श्रीमती बिन्दुमती दास (जिला बाराबंकी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में एक भूल रह गई है, यदि आप आज्ञा दें तो उसे सुधार कर प्रस्तुत कर दूं ।

मान्यवर, मैं यह संशोधन प्रस्तुत करती हूं कि प्रस्तावना में शब्द "कतिपय" के स्थान पर "कवाल" रख दिया जाय । "टाउन" शब्द इसमें भूल से बढ़ गया है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी और सभी सदस्यों का ध्यान इसकी प्रस्तावना की ओर दिलाना चाहती हूं । इसकी प्रस्तावना में दिया हुआ है कि "यह इष्टकर है कि कतिपय नगरों में नगर निगमों की स्थापना के लिये व्यवस्था की जाय जिससे उन नगरों में श्रेष्ठ नगर प्रशासन सुनिश्चित हो सकें, अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ।"

इस प्रस्तावना में 'कतिपय' शब्द का तात्पर्य स्पष्ट समझ में नहीं आता है । मेरी समझ में जो कतिपय नगर होंगे उनका चुनाव किस आधार पर होगा और किस संख्या में होगा, कौन से नगर होंगे, उनकी जन-संख्या और विस्तार क्या होगा इसमें से किसी बात को स्पष्ट नहीं किया गया है । ये नगर कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ और आगरा होंगे या नैनीताल, अलीगढ़, मेरठ होंगे यह कोई भी बात इसमें स्पष्ट नहीं है । मेरे विचार से 'कतिपय' शब्द की कोई व्याख्या भी होनी आवश्यक थी ।

श्री अध्यक्ष---लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कबाल की कोई व्याख्या तो है नहीं । कबाल शब्द में हर शहर का प्रथम अक्षर है । अगर आप चाहती हैं कि इसको पांच शहरों तक ही सीमित रखा जाय केवल उन नगरों के लिये और यदि अन्य कोई नगर बढ़ जाय, बड़ा भी हो जाय तो भी उसमें यह विधेयक उस पर लागू न हो, यदि आप ऐसी बात चाहती हैं तो आपको नाम लेना चाहिये कि इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा केवल इन पर यह विधेयक लागू होगा, तब आपकी बात समझ में आ सकती है । यह 'कबाल' शब्द कोई चीज नहीं है ।

श्रीमती बिन्दुमती दास---मेरा तात्पर्य यह है कि जो 'कतिपय नगर' रखा गया है तो कौन से नगर होंगे इसकी व्याख्या होनी चाहिये, वे नगर इसमें आने चाहिये थे जिनकी जन-संख्या या विस्तार कुछ निश्चित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---आपका तो संशोधन यह है कि 'कतिपय' की जगह पर कवाल कर दिया जाय ।

श्रीमती बिन्दुमती दास---उस पर मैं आ रही हूं । मेरा मतलब यह है कि यदि ये पांच नगर---लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा और वाराणसी रखे जायं तो .....

श्री अध्यक्ष---आप चाहती हैं कि केवल बड़े पांच नगरों का नाम प्रस्ताव में आ जाना चाहिये ?

श्रीमती बिन्दुमती दास---जी हां।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---मुझे दुख है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। आपने जैसा अभी फरमाया वास्तव में उद्देश्य यह है कि 'कतिपय' में, कभी भी सम्भावना हो तो हम उससे काम चला सकते हैं। शहर बड़े हो सकते हैं। तो हमें नया ऐक्ट लाना पड़ेगा या नयी तरमीम करनी पड़ेगी। परिस्थिति को देखकर यह भी हो सकता है कि पांचों में न लागू करें। इसलिये 'कतिपय' रखना ही ज्यादा अच्छा है। इसलिये मुझे यह अस्वीकार है। मुझे आशा है कि वह इसे वापस ले लेंगी।

श्रीमती बिन्दुमती दास---मैं अपना संशोधन वापस लेती हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७, जैसा कि वह सदन द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

वैसे तो इतना वाद-विवाद हो चुका है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत थी नहीं। मैं माननीय सदन का ज्यादा समय लेना भी नहीं चाहता हूं क्योंकि शुरू से यह बिल जिस सद्भावना और सदन के सभी दलों की सम्मति से चलता रहा, वही अन्त तक हमने निभाने की कोशिश की। और इस समय जो वर्तमान विरोधीदल के सदस्य यहां पर उपस्थित होंगे वह सहर्ष इस बात को स्वीकार करेंगे।

मेरा ध्यान अखबार में निकले माननीय सदस्य श्री मोतीलाल अवस्थी के एक बयान की तरफ दिलाया गया। वह भी उस सेलेक्ट कमेटी के सदस्य थे। मैंने पिछली बार सदन में जो यह कहा था कि सब पार्टीज का इस विधेयक के विषय में आशीर्वाद प्राप्त है, इस पर शायद उनको कुछ शिकायत है। लेकिन मैंने जो कहा था, इस विषय में उनको अपना विरोध इस दर्जे तक नहीं ले जाना चाहिये था कि उनकी मदद हमको नहीं मिली। उनकी मदद हमको मिली है और उन्होंने अपने हस्ताक्षर इस पर किये हैं। सर्वसम्मति से इसको स्वीकार किया गया है। इस वास्ते मैंने जो कुछ कहा था उसको अखबारों में कुछ गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया। इस वजह से यह गलतफहमी हो गई। मैं यह भी किसी को नहीं कह सकता कि उनके विचार और हमारे विचार एक तरह के हैं या हमारे विचारों से वह बिलकुल इत्तफाक करते हैं। सिर्फ इस गलतफहमी को दूर करने के लिये इतना कहना चाहता हूं। कि मैं इस सदन के सदस्यों का बहुत ही कृतज्ञ हूं जिनका इतने अच्छे तरीके से सहयोग प्राप्त हुआ और इतनी अच्छी तरह से इसको पास किया। मुझे आशा है कि दूसरे सदन से भी यह इसी तरह से पास होगा ताकि हम इन कारपोरेशन्स का चुनाव करा सकें और जो प्रशासकीय व्यवस्था वहां पर चल रही ह वह खत्म हो सके।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जिसका पहले नाम "नगर निगम विधेयक" था उसका जगदीश शरण जी का संशोधन स्वीकार करके 'नगर महापालिका विधेयक, १९५८' नाम पड़ गया है, उसको मंत्री महोदय ने इस सदन में जिस सद्-भावना के वातावरण में पास कराया है उसके लिये वह प्रशंसा के पात्र हैं। मैं मानता हूं कि सद्भावना के वातावरण में यह विधेयक अवश्य पास हुआ लेकिन साथ ही साथ उनको यह सुनहरी मौका मिल गया कि अधिकांश विरोधी सीटें खाली पड़ी रहीं तो इस वजह से इस विधेयक को जल्दी पास कराने का उनको और मौका मिल गया। मैं अब इस विवाद में

[श्री जगन्नाथ लहरी]

जाना नहीं चाहता लेकिन जिस शीघ्रता के साथ यह विधेयक पास हो गया उसके लिये मैं उन नगरों की जनता की तरफ से स्वशासन मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप जल्द से जल्द इस विधेयक के द्वारा अपने प्रदेश के इन पांच नगरों में निर्वाचित सदस्यों द्वारा शासन चलाने के लिये व्यवस्था करने की कृपा करें। विशेषकर मैं आगरा की जनता की तरफ से आप से अनुरोध करता हूं कि २५ वर्षों के अधिक समय से आगरा की जनता को अपने नगर का शासन चलाने के लिये निर्वाचन से बिलकुल वंचित कर दिया गया है। अभी तक इस विधेयक की प्रतीक्षा की जा रही थी यह विधेयक इस सदन के द्वारा पास हो गया है। इसके अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ स्वशासन मंत्री जी ने इस विधेयक में आये संशोधनों को जिस उदारता से स्वीकार किया है वही उदारता की प्रथा यह सरकार अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में भी डालने की कृपा करे। मुझे आशा है कि नगर निगम विधेयक, जिसमें ५८६ धारा थी, वह ३ दिन में पास हो गया, तो इसी तरह से अन्य विधेयक में शीघ्रता के साथ इस सदन में पास होंगे जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। आशा है कि सरकार की तरफ से, इस विधेयक के विषय में सद्भावना रखने की तरह से, अन्य विधेयकों की कार्यवाही में भी इसका पालन किया जायगा। इस वजह से एक बार मैं पुनः स्वशासन मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन नगरों में शीघ्र से शीघ्र चुनाव कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है और इस सदन द्वारा पुनः संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकदारी विनाश विधेयक, १९५७†

*वित्त मंत्री (श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, १९५७ (U.P. Government Estates Thekedari Abolition Bill, 1957) पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट की अपनी जायदाद कोई ४१ जिलों में थी। उनमें से ३२ जिलों में तो लैण्ड रिफार्म्स हो चुका यानी नयी भूमि व्यवस्था प्रचलित हो गयी। लेकिन नौ जिलों में, जिनके नाम इस प्रकार हैं--बलिया, बिजनौर, फर्रुखाबाद, गोंडा, झांसी, बाराणसी, खीरी, पीलीभीत, और उन्नाव--जो सरकारी आस्थान थे यह ठेकेदारों के पास थे और उनमें अभी नयी भूमि-व्यवस्था का प्रचलन नहीं हुआ और कारण यह था कि लैण्ड रिफार्म्स वहां लागू करने से पहले जो जमीन ठेकेदारों के पास थी, तो उस ठेकेदारी के सिस्टम को पहले खत्म करना आवश्यक था। इसलिये यह बिल लाया जा रहा है इस उद्देश्य से कि ९ जिलों में सरकारी आस्थानों में ठेकेदारी को खत्म किया जाय और जब ठेकेदारी खत्म हो जायगी तो वहां लैण्ड रिफार्म्स नाफिज किये जा सकेंगे। रामपुर एस्टेट में भी ठेकेदारी खत्म करने का एक अधिनियम इस विधान मण्डल से मंजूर हुआ था और उसको कुछ ठेकेदारों की तरफ से चैलेंज किया गया था हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने उनके पिटीशंस को और उनकी कार्यवाही को रद्द कर दिया और हमारे अधिनियम को बिलकुल वैध, जायज और कांस्टीट्यूशनल करार दिया।

जो हमारा रामपुर ठेकेदारी एस्टेट्स एबालिशन ऐक्ट था ठीक उन्हीं लाइन्स पर यह बिल लाया गया है। इसमें मुख्य-मुख्य बातें यह हैं कि गवर्नमेन्ट जब अपनी एक विज्ञप्ति जारी

---

†९ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करेगी तो यह ठेके खत्म हो जायेंगे और दफा ४ में जो इसके नतायज होंगे ठेके खत्म करने के उनका वर्णन किया गया है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में एबालिशन के जो नतायज दिये गये हैं उन्हीं की लाइन्स पर यह नतायज यहां भी दिये गये हैं। मुख्य नतायज जो होंगे वह यह कि अगर ठेकेदार ने जमीन अपने खुदकाश्त में की हुई है तो वह जमीन बकदर ३० एकड़ के ठेकेदार के पास सरकार छोड़ देगी और उसका लगान या मालगुजारी वह सरकार को सर्किल रेट के आधार पर देता रहेगा। अगर ३० एकड़ से ज्यादा जमीन उसके खुदकाश्त में है तो जमीन वैकेन्ट लैण्ड समझी जायगी और गवर्नमेन्ट उस जमीन को पंचायत को दे देगी। धारा ९ और १० जो है उसमें कच्ची आय और पक्की आय निकालने का विधान रखा गया है और धारा १६ में यह प्रोवाइड किया गया है कि जो प्रतिकर होगा, ठेकेदारों को जो दिया जायगा, जितनी मुद्दत उनके ठेके की बची होगी, उसके हिसाब से वह प्रतिकर उनको मिलेगा। यह प्रतिकर उसको नकद दिया जायगा और जब उसको प्रतिकर दिया जायगा और उसकी अदायगी की तारीख में जो वक्फा होगा उसमें उसको ढाई प्रतिशत का ब्याज भी उसको दिया जायगा।

इस प्रकार जो कुल रकबा ठेकेदारी के मातहत है वह ९१०० एकड़ है। केवल एक गांव बलिया में है। जिसका रकबा इस समय मेरे पास नहीं है। वह गवर्नमेन्ट का गांव है। चूंकि वह गंगा के किनारे है इसलिये उसका रकबा घटता बढ़ता रहता है। गवर्नमेन्ट को इस इलाके से ७९३८ रुपये की आमदनी होती है और ठेकेदारों की जो कच्ची आय है वह २३,९६६ रुपया है। इस प्रकार इन ठेकेदारों को खत्म करने से गवर्नमेन्ट को १६ हजार रुपया मुनाफा होगा। जो प्रतिकर का मोटा सा हिसाब लगाया गया है वह ६०,००० रुपया है।

माननीय जगन्नाथ जी लहरी का जो संशोधन है वह यह है कि इसको दोनों सदनों की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मैं आपकी इजाजत से यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह पीसे हुये को फिर से पीसना होगा। क्योंकि इसमें जो प्राविजन्स हैं वह एक बार तय हो चुके हैं। जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट के प्राविजन इसमें रखे गये हैं तथा रामपुर एस्टेट ठेकेदारी अबोलिशन ऐक्ट की हू बहू धारायें इसमें रिपीट की गई हैं। इसके अलावा बरसों से यह विधेयक विधान सभा के सामने है लेकिन आज तक एक भी सुझाव मेरे सामने नहीं आया कि इस विधेयक में यह सुधारा कर दिया जाय। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको किसी भी प्रवर समिति, चाहे वह संयुक्त प्रवर समिति हो या इस विधान सभा की समिति हो, को सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस विधेयक पर विचार करें।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, १९५७ दोनों सदनों की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो। संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने अभी जो यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है, इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि "यह एक छोटा सा विधेयक है। यह जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था बिल तथा रामपुर ठेकेदारी विनाश बिलों में इस संशोधन विधेयक की सारी धारायें आ चुकी हैं, इसलिये इसको किसी प्रवर समिति के सुपुर्द करने की आवश्यकता नहीं है, सदन इस पर अपनी स्वीकृति दें।"

बावजूद इसके मैं अपने इस संशोधन को इस सदन के सम्मुख उपस्थित कर रहा हूं। मैं कई बार इस सदन में दुहरा चुका हूं कि मैं नहीं चाहता कि हम लोग किसी विधेयक या प्रस्ताव में व्यर्थ के वाद-विवाद को छेड़ कर, सदन के समय और धन दोनों को बरबाद करें। लेकिन इस विधेयक में उपयुक्त संशोधन लाने का भी एक विशेष कारण है। ११ सितम्बर, १९५८ के नेशनल हेराल्ड में एक सूचना प्रकाशित हुई है और वह सूचना हमारे प्रदेश के मंत्रिमंडल के एक फैसले के

[श्री जगन्नाथ लहरी]

बारे में प्रकाशित हुई है। मैं आपकी आज्ञा से उस सूचना को इस सदन के सम्मुख पढ़ देना चाहता हूं।

"New Land Holdings not to exceed 12.5 Acres :

Cabinet Approves Bill Draft.

The U. P. Cabinet at a meeting yesterday approved the draft of the Zamindari Abolition and Land Reforms Bill. The bill lays down that future holding would not be of more than 12.5 acres in area.

According to the present provision in the Act, no joint family can acquire a holding of more than 30 acres. The Government now propose to provide that no family, comprising man, wife and minor children, can acquire more than 12.5 acres.

The cabinet took the decision yesterday in view of the density of population, land resources and the optimum yield, hoping that this provision, coupled with the provisions of the Large Holdings Tax Act, would obviate the need of fixing a ceiling on land-holdings in the state."

श्री अध्यक्ष—आप इतना लम्बा क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ लहरी—तो इस प्रकार से १० सितम्बर की इस सूचना से यह पता चलता है कि हमारे प्रदेश के मंत्रिमंडल ने यह निश्चय किया कि भविष्य में अब किसी परिवार के पास साढ़े १२ एकड़ से अधिक भूमि की व्यवस्था नहीं की जायगी। १० सितम्बर को हमारे प्रदेश के मंत्रिमंडल ने जब यह निश्चय किया है कि साढ़े १२ एकड़ से अधिक भूमि किसी भी संयुक्त परिवार के पास नहीं रहेगी और इस संबंध में उन्होंने इस बिल के ड्राफ्ट करते वक्त भी विचार किया. . . .

श्री अध्यक्ष—आपने पढ़ा कुछ और अनुवाद कुछ और कर रहे हैं। ३० एकड़ तो ज्वायंट फेमिली के लिये हैं और इनडिविजुअल के लिये शायद १२ १/२ एकड़ है। आप इसको स्पष्ट कर दें, नहीं तो बहस कैसे होगी।

***श्री चरणसिंह**—अध्यक्ष महोदय, जो मेरे माननीय मित्र ने पढ़ा, जिस प्वाइंट की तरफ आपने संकेत किया, उसके सिलसिले में तो मुझे अर्ज करना ही है लेकिन सबसे बड़ी गलती तो यह की जा रही है कि पढ़ा तो कुछ और उसका अर्थ कुछ और लगा रहे हैं। उसमें तो यह लिखा है कि भविष्य में १२ १/२ एकड़ से ज्यादा हस्तगत नहीं कर सकेंगे। यह नहीं है कि जो होल्डिंग्स आज १२ १/२ एकड़ से ज्यादा की हैं वह नहीं रह जायेंगी, ऐसा नहीं है। जो होल्डिंग्स आज जितनी हैं उतनी ही रहेंगी। उनको गवर्नमेंट नहीं छेड़ रही है सिवा इसके कि उन पर टैक्स ज्यादा हो। भूमिधर को ट्रांसफर करने का राइट अपनी जमीन को है, वह उसे दूसरे को बेंच सकता है लेकिन जो खरीदने वाला है उसके पास जो जमीन है उसको शामिल करके साढ़े १२ एकड़ से ज्यादा नहीं खरीद सकता है। तो एक्जिस्टिंग होल्डिंग्स के लिये यह सीलिंग नहीं है, यह फ्यूचर के लिये है।

इसके अतिरिक्त जहां तक ३० एकड़ की बात है, मौजूदा स्थिति यह है कि एक संयुक्त परिवार जिसके पास अपनी जमीन पहले से मौजूद है, उसको शामिल करके ३० एकड़ से ज्यादा जमीन आगे को नहीं खरीद सकता है। कुछ जो संशोधन करने का विचार है, जो बिल पेश है उसमें यह प्रस्ताव है कि संयुक्त परिवार की परिभाषा को बदल दिया जाय। अब संयुक्त परिवार की परिभाषा यह है कि ट्रांसफरी मय उसका बाप, मय उसकी मां और जितने लीनियर डिसेंडेंट्स हैं चाहे वह बालिग हो, चाहे नाबालिग हों, और उसकी स्त्री यह सब मिलाकर के संयुक्त परिवार होता है। अब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हम संयुक्त परिवार की डैफीनीशन जो करने जा रहे हैं, उससे जो मौजूदा परिधि है, उसका जो स्कोप है उसको कम कर दिया है। वह यह कर दिया है कि ट्रांसफरी, उसकी स्त्री और उसके नाबालिग बच्चे। फिर चाहे वह संयुक्त परिवार का सदस्य हो या न हो। अगर संयुक्त परिवार का सदस्य है तो भी साढे बारह एकड़ खरीद सकता है अपनी पुरानी जमीन को मिलाकर के और अगर संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं है तो भी साढ़े बारह एकड़ खरीद सकता है। तो संयुक्त परिवार के लिये पहले ३० एकड़ था। अब एक परिवार के या एक परिवार का आदमी न भी हो हर बालिग आदमी के लिये साढ़े बारह एकड़ की सीमा मुकर्रर की जा रही है। जो नाबालिग बच्चा है कल को वह बालिग हो जायगा तो वह भी साढे बारह एकड़ खरीद सकेगा।

श्री जगन्नाथ लहरी—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि भविष्य में नई होल्डिंग्स लेने के लिये यह सीमा निर्धारित की जा रही है तो मैं यह कह रहा था कि १० सितम्बर को ही इस प्रदेश के मंत्रिमंडल ने जहां भविष्य की होल्डिंग्स के लिये साढ़े बारह एकड़ की सीमा निर्धारित की है वहां १० सितम्बर के बाद इस सदन में जिस ठेकेदारी विनाश व्यवस्था कानून के ऊपर विचार विनिमय हो रहा है उसके मुताबिक जबकि ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो जायगी तो वर्तमान ठेकेदारों को यदि उन्होंने अपनी जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया होगा तो ३० एकड़ की होल्डिंग रखने का अधिकार मिलेगा। तो यह अभी तक मेरी समझ में नहीं आ पाया कि मंत्रिमंडल जहां भविष्य के लिये साढ़े बारह एकड़ की व्यवस्था करने के लिये निश्चय कर चुका है वहां इन ठेकेदारों को ३० एकड़ भूमि रखने का अधिकार क्यों दिया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिये जो मैंने मांग की है उसका एक दूसरा भी कारण है। दूसरा कारण यह है कि अभी तक हम लोग यह न समझ सके कि इस सरकार ने अपनी भूमि पर जो कि ठेकेदार थे उन ठेकेदारों को इस प्रदेश में जबकि भूमि व्यवस्था में सुधार करने के लिये जमींदारी को समाप्त करने का विधेयक पारित किया, तब उन्हें उसमें क्यों नहीं सम्मिलित किया ? ८ अगस्त, १९४६ को जबकि इस सदन में जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिये एक प्रस्ताव उपस्थित हुआ था तो उस प्रस्ताव की भाषा यह थी—सरकार और किसानों के बीच में जमींदार एक मध्यस्थ का कार्य करता है, यह सदन निश्चय करता है कि सरकार और किसान के बीच से इस मध्यस्थ की प्रथा को समाप्त कर दिया जाय। तो इस प्रदेश की सारी भूमि जमींदारों की नहीं सरकार की थी। सरकार की इस भूमि पर किसान जोतने का कार्य करता था। जमींदार भी जो एक मध्यस्थ का कार्य करता था उस प्रथा को समाप्त किया। हमारे इन ३२ जिलों में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। लेकिन इन नौ जिलों में बलिया, बनारस, बिजनौर, फर्रुखाबाद, गोंडा, झांसी, बरेली, पीलीभीत और उन्नाव में उस सरकारी जमीन पर जिसे कि सरकार ने ठेकेदारों को दे दिया था ठेकेदार भी किसान और सरकार के बीच में, यदि ठेकेदार ने उस जमीन को खुद काश्त के काम में न ला करके किसानों को उठा दिया हो तो, एक मध्यस्थ का कार्य करता था। तो सरकार ने उन जमीनों से इस ठेकेदारी प्रथा को क्यों समाप्त नहीं किया ? यदि सरकार की राय में एक छोटी सी भूमि पर यह ठेकेदार थे और उनको यह भूमि खेती के लिये ही दी गई थी तो आज जब कि प्रदेश में २ जुलाई, १९५२ से जमींदारी विनाश कानून लागू हो चुका है फिर आज साढ़े ६ वर्ष के बाद इन ठेकेदारों के विनाश की क्या आवश्यकता आ पड़ी ? यह समझ में नहीं आता। श्रीमन्, यदि वह ठेकेदार स्वयं खेती का कार्य नहीं करता है तो मैं समझता हूं उन जमींदारों की तरह उस जमीन पर ठेकेदार या मध्यस्थ रहने का कोई भी अधिकार नहीं था। और यदि वह ठेकेदार जमींदार की तरह किसान और सरकार के बीच में मध्यस्थ का कार्य नहीं कर रहा था, उसने वह जमीन सरकार से खेती करने के लिये ही पट्टे पर ली थी तो आज उसके विनाश की क्यों आवश्यकता आ पड़ी ? यह अभी तक मंत्री जी ने सदन को नहीं बतलाया। यदि इस सदन को मंत्री महोदय यह बतला देते कि इन ठेकेदारों के विनाश के लिये कदम इन कारणों से उठाया जाता है तो बहुत संभव है कि यदि हम लोगों को मंत्री जी के उन कारणों के सुनने के बाद संतोष हो जाता तो इस प्रकार का संशोधन पेश करने की कोई आवश्यकता

[श्री जगन्नाथ लहरी]

नहीं होती। किसान और सरकार के बीच में जमींदार हो या ठेकेदार वह हमारे लिये एक अभिशाप ही रहेगा। जमींदार की तरह उसका समाप्त करना नितांत आवश्यक है। लेकिन मंत्री महोदय ने जो आंकड़े इन ९ जिलों के हम लोगों के सामने पेश किये हैं उनसे पता चलता है कि ९,१०० एकड़ भूमि ही इन ठेकेदारों के पास है जिससे सरकार को ७,९३८ रुपये की आमदनी होती है। यदि इन ठेकेदारों को जो नेट इनकम होती है, जो कच्चा मुनाफा बतलाया गया, वह २३,९६६ रुपया है। तो ८,००० रुपया और २४,००० रुपया का हिसाब लगाया जाय तो सरकार को १६,००० रुपये का लाभ रहेगा। सरकार को १६,००० रुपये का लाभ रहे या १६ रुपया का यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न सिद्धांत का है और सिद्धांत यह है कि जो जमीन को नहीं जोतता है उसे अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं। जमींदार जिस जमीन पर खुद काश्त करता था, जमींदारी भूमि-व्यवस्था कानून के मुताबिक जमींदार को वह खुदकाश्त के रूप में दे दी गई है। लेकिन जमींदार ने जो जमीन खुद-काश्त में नहीं रखी थी और वह जमीन किसानों को जोतने के लिये लगान पर दे रखी थी उस जमीन से जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। तो मेरा मतलब यह है कि उसी तरह जो ठेकेदार स्वयं उस जमीन को नहीं जोतता है उसको उस जमीन पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उस जमीन का मालिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन अगर वह ठेकेदार उस जमीन को खुद जोतता है, खुद खेती करता है पट्टे की शर्तों के मुताबिक तो आज उसको यकायक उस जमीन से बेदखल करने की ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी? यदि वास्तविक तौर पर यह ठेकेदार उस जमीन पर काश्त करते हैं या उन्होंने वह उठा रखी है काश्त पर इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने सदन को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी कि यह ९,१०० एकड़ जमीन जो कि ९ जिलों में उन ठेकेदारों पर है उस में से कितनी जमीन ऐसी है जिस पर वह स्वयं काश्त नहीं करते हैं बल्कि उन्होंने वह जमीन सरकार से पट्टे पर लेने के बाद भी किसानों को उठा दी है और मुनाफा उठा रहे हैं। यदि सदन को इसकी सूचना मिल जाती तो अन्दाजा हो जाता कि सचमुच ठेकेदारों ने कितनी ज्यादती की है।

साथ ही साथ जहां मंत्री जी ने सदन के सम्मुख ९,१०० एकड़ जमीन ९ जिलों की बताई और उसकी सरकारी आय भी ७९३८ रुपये की बताई और पट्टेदारों की आय भी २३,९६६ रुपये की बताई लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि इन ९ जिलों में कितने पट्टेदार हैं, और इन पट्टेदारों के पास अधिक से अधिक भूमि कितनी है। यदि मंत्री जी यह भी बताने की कृपा किये होते कि इन ९ जिलों में, जिनकी ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लये यह विधेयक लाया गया है उन में केवल ९,१०० एकड़ जमीन पर कितने ठेकेदार हैं जिनके विनाश की व्यवस्था वह ला रहे हैं। मैं बड़े नम्र शब्दों में आप के द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूछूंगा कि जब इस प्रदेश में जमींदारी प्रथा का विनाश किया गया था और वह व्यवस्था खत्म की गई थी तो उसी समय जमींदारी के साथ-साथ इस ठेकेदारी आस्थानों की व्यवस्था को क्यों नहीं लागू किया गया। यदि कोई ऐसी बात थी कि उस समय इस सदन और मंत्रिमंडल ने ठेकेदारों का पृष्ठपोषण करने का या उनको उस जमीन पर अधिकार देने की आवश्यकता महसूस की थी तो आज साढ़े ६ साल में ऐसी कौन सी क्रांति हो गई जिस के कारण अब इन ठेकेदारों के विनाश की आवश्यकता प्रतीत हुई? यदि यह हमें बता दिया जाय तो शायद हम अपने संशोधन पर पुनः विचार करेंगे और हमें समय मिल जायगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि जमींदारी व्यवस्था के विनाश के बाद ठेकेदारी भूमि व्यवस्था का बिल हमारे सामने आ गया जिसमें मांग की गई है कि हम जल्द से जल्द इसको पारित करें लेकिन इस सदन के सामने सन् ५२ से ही पर्वतीय अंचल की जमींदारी समाप्त करने के लिये एक कुमायूं गढ़वाल की जमींदारी समाप्त करने का विधेयक पड़ा है लेकिन उसको पारित करने के लिये आजतक माननीय मंत्री जी ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। वह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया और उस को अधिक से

अधिक २० जनवरी तक का समय दिया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे लेकिन उस समिति ने आज तक इस विधेयक पर कोई विचार नहीं किया। बाद में पुनः ४ मास का समय बढ़ाया गया और २० मई तक का समय फिर दिया गया लेकिन इस बीच में भी उस प्रवर समिति ने विधेयक की एक भी धारा पर विचार नहीं किया और इस सदन द्वारा पुनः ४ मास का समय बढ़वा लिया और मुझे याद है कि जिस समय यह समय बढ़ाने का प्रस्ताव आया था तो मैंने उसका पर विरोध किया था और उसी समय माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे उद्गार प्रकट किये थे जिससे पता चलता कि कुमायूं और पर्वतीय अंचल के लिये जमींदारी विनाश की अभी कोई विशेष आवश्यकता नहीं। हमारे जनसंघ के जो उपनेता थे उन्होंने कह दिया कि कुमायूं और गढ़वाल में कोई जमींदारी ही नहीं, विनाश किसका किया जायगा? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे इस प्रदेश के ३२ जिलों के जमींदारों का विनाश कर दिया गया, लेकिन उन पहाड़ी अंचल के जमींदारों के विनाश की व्यवस्था आज तक इस सरकार ने नहीं की। साथ ही साथ इस विधेयक द्वारा हमको यह पता नहीं चला कि इस प्रदेश के ९ जिलों में जमींदारों के अलावा कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो जमींदार तो नहीं थ जिन्हें सरकार द्वारा जमीन पट्टे पर या ठेके पर दी गयी थी उनको भी उस जमीन से हटाने के लिये कोई भी व्यवस्था जमींदारी विनाश कानून में नहीं की गयी, लेकिन आज साढ़े छः वर्ष के उपरान्त इस सदन को यह आवश्यकता महसूस हुई है कि उन ९ जिलों से जो सरकारी जमीन के ठेकेदार हैं उनका भी विनाश किया जाय।

मैं उन ठेकेदारों का कोई भी पक्ष नहीं लेना चाहता, न मैं यह आपसे मांग करता हूं कि उन ठेकेदारों को उस जमीन से अलग न किया जाय। मेरी तो सदन से सिर्फ यह मांग है कि जिस सिद्धांत को लेकर जमींदारी को समाप्त किया गया और जमींदारी प्रथा सिर्फ उसी भूमि से समाप्त की गयी या उन किसानों को राहत दी गयी जो कि स्वयं जमीन को जोतते थे, लेकिन जमींदारों की खुदकाश्त पर उन्हें खेती करने का अधिकार दिया गया। उसी तरह यदि आज इस पट्टेदारी और ठेकेदार प्रथा में कोई ठेकेदार या सभी ठेकेदार ऐसे मिलते हैं जो उस जमीन पर स्वयं खेती नहीं करते तो तुरन्त ही हमें उन पट्टेदारों और ठेकेदारों के विनाश की ओर कदम बढ़ाना चाहिये। यदि कहीं ऐसी व्यवस्था हो कि वह किसान की तरह से स्वयं खेती करते हैं, क्योंकि ९ जिलों में कुल ९,१०० एकड़ जमीन यानी १,००० एकड़ के करीब हर जिले में पड़ती है तो उनमें अधिकांश संख्या में कितने ठेकेदार हैं, इसका विवरण न मिलने के कारण नहीं बताया जा सकता है कि उन ठेकेदारों पर ऐवरेज तौर पर कितनी जमीन आती है? इसलिये मैं मांग कर रहा हूं कि सदन को इसकी पूरी सूचना देने की कृपा की जाय और अगर यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो प्रवर समिति इस संबंध में पूरे आंकड़े और विवरण अपने सामने दृष्टिगत रखते हुये अच्छी तरह से विचार कर सकेगी।

मुझे दूसरा कारण जो इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की मांग करने के लिये प्रतीत हो रहा है वह इस विधेयक के खंड ६ के (ख) और (घ) उपखंड हैं। उनमें आप देखें कि (ख) में लिखा हुआ है कि "वह उस पट्टे के अन्तर्गत जिसका धारा ३ के अन्तर्गत अवसान हो गया हो, किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में दाखिल हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये परिमाप (सर्वे) या माप करे" (घ) में लिखा हुआ है कि "यदि आदेशानुसार पुस्तकें, लेख तथा अन्य लेख्य प्रस्तुत न किये जायं तो वह किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में प्रवेश करके उक्त पुस्तकों, लेखों और अन्य लेख्यों को अपने अधिकार में लेकर कब्जे में कर लें।" अध्यक्ष महोदय (ख) और (घ) के पढ़ने के बाद में अपनी बुद्धि के अनुसार यह समझता हूं कि यह ठेकेदारी व्यवस्था जो लागू की जा रही है, हो सकता है कि उन स्थानों पर भी लागू कर दी जाय जिन पर मकान बन हुये हैं। यदि सरकारी पट्टों में इस प्रकार से किसी लेख्य का वर्णन नहीं होगा तो अधिकारी उस इमारत पर भी अपना कब्जा कर सकता है।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

आज इस प्रदेश में निवास की एक भीषण समस्या है। हमारे प्रदेश की सरकार निवास की कमी को देखते हुये टैम्पोरेरी रेंट कंट्रोल रूल्स की अवधि को आज कई वर्षों से बराबर बढ़ाती चली जा रही है और अभी कुछ दिन पूर्व ही उसकी अवधि तीन वर्ष के लिये और बढ़ाई गई। मजदूरों के लिये आवास की व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना में कई हजार मकान बनवाये गये तथा मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने के लिये उनके आवास की व्यवस्था करने के लिये लो इनकम ग्रुप स्कीम के नाम से एक स्कीम चलाई गयी जिसके अन्तर्गत कई करोड़ रुपये के कर्जे की सहायता लोगों को मकान बनाने के लिये दी गयी। लेकिन इन ९ जिलों में पट्टेदारी और ठेकेदारी व्यवस्था के मुताबिक अगर इस तरह के कुछ मकान या आवास बन गये होंगे तो बहुत संभव है कि हमारे मंत्री महोदय के चाहे कुछ भी विचार रहे हों लेकिन यदि कानून को खींचा जायगा तो उन आवासों को भी सरकारी अधिकार में कर लिया जायगा।

तीसरा कारण जिसकी वजह से मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये कह रहा हूं यह है कि हमने यह व्यवस्था तो कर दी कि हम इन सरकारी जमीनों से ठेकेदारी के विनाश की एक व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन इस विधेयक में यह व्यवस्था अवश्य की गयी है कि ठेकेदारी विनाश के दिनांक से यदि पट्टे की शर्तों के मुताबिक वह ठेकेदार उस जमीन पर काश्त कर रहा होगा तो उसे मौरूसी काश्तकार के अधिकार दे दिये जायेंगे परन्तु इसमें यह व्यवस्था कहीं भी नहीं है कि पट्टेदार या ठेकेदार के अतिरिक्त अगर उस काश्त पर कोई अन्य व्यक्ति खेती कर रहा हो तो उसको क्या अधिकार मिलेंगे और उसके लिये क्या व्यवस्था की जायगी ?

श्री चरणसिंह--यह लैंड रेफार्मस् बिल नहीं है, ठेकेदारी एबालिशन बिल है।

श्री जगन्नाथ लहरी--लैंड रेफार्म बिल तो नहीं है लेकिन ठेकेदारी विनाश के साथ-साथ कुछ किसान भी तो उन ठेकेदारों की जमीन पर काबिज हैं और खेती कर रहे हैं। उनके लिये भी व्यवस्था करना आवश्यक है। तो इसलिये भी इस बात की आवष्यकता है कि प्रवर समिति में इस विधेयक पर विचार किया जाय। इसीलिये मैंने प्रवर समिति के प्रस्ताव के साथ-साथ यह मांग की है कि प्रवर समिति को अपनी परिधि बढ़ाने के अधिकार दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति के सुपुर्द करने का एक चौथा कारण भी है और वह यह कि अभी चन्द दिनों पूर्व ही हमारी सरकार ने ९ करोड़ रुपये का कर्जा लिया। उसमें उसने साढ़े ४ फी सदी बयाज रखा। दूसरे जो नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट या स्माल सेविंग स्कीम है इसके अन्तर्गत भी ४ फी सदी के लगभग या उससे कुछ अधिक ही सूद रुपया लगाने वालों को मिलता है। लेकिन इस ठेकेदारी विनाश व्यवस्था के अन्तर्गत आज जिस जमीन से ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी जायगी और उस जमीन का जो मूल्यांकन किया जायगा तो उस ठेकेदारी विनाश के दिनांक से उस अवधि के बीच में जबकि इस मूल्यांकन से प्रतिकर अदा किया जायगा केवल ढाई फी सदी व्याज की व्यवस्था की गई है। क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि साधारण कर्जे के लिये, नेशनल और स्माल सेविंग्स स्कीमों के अन्दर तो इससे अधिक व्याज की व्यवस्था की गई है लेकिन इन व्यक्तियों को जिनकी जीविका का साधन छीना जा रहा है, उनके स्थानों को सरकार अपने हाथ में ले रही है नकद मुआवजा भी नहीं दे रही है तो फिर उनके लिये ढाई प्रतिशत व्याज की व्यवस्था क्यों की गयी है ? यदि प्रवर समिति के यह सुपुर्द होगा तो वह इस संबंध में विचार कर सकती है कि इससे अधिक व्याज की व्यवस्था ठीक रहेगी या यही उचित रहेगी जो ढाई प्रतिशत के व्याज की व्यवस्था की गई है।

इन्हीं कारणों को दृष्टि में रख कर मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है कि इस विधेयक को भले ही यह मामूली हो, छोटा हो, इसका असर चाहे चन्द व्यक्तियों पर पड़ता हो, यह प्रदेश के ९ जिल पर लागू होगा, इसलिये नितांत आवश्यकता है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय चाहे हम प्रवर समिति की रिपोर्ट चन्द दिनों में ही मांग लें, लेकिन इसे अवश्य सुपुर्द किया

जाय जो इस बिल के ऊपर सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर सके और अपना प्रतिवेदन उपस्थित कर सक । इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए, मन्त्री महोदय से मांग करता हूं कि इस विधेयक को दोनों की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और उसको इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार होना चाहिये । आशा है कि मन्त्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो ठेकेदारी विनाश विधेयक प्रस्तुत किया गया है, मैं उस संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । माननीय लहरी जी ने अपने भाषण के बीच में यह कहा कि इतने दिन हो गये जमींदारी उन्मूलन बिल को पास हुए, ८, ९ साल बाद अब कौन सा विचार आया कि मन्त्री जी इसको पेश कर रहे हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह कोई जरूरी नहीं है कि अब तक कोई काम नहीं हुआ है तो आगे भी न हो । इस समय जो यह बिल प्रस्तुत किया गया है, ९ जिलों के किसानों के लिये, उसके लिये मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं । लेकिन इससे उत्पन्न होने वाली कुछ बातों की तरफ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं । जिस तरह से जमींदारी खत्म होने के बाद बहुत से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसी तरह से इसमें भी कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, जैसे कि लहरी जी ने कहा कि जो ठेकेदार जमीन पर खेती कर रहे हैं, वह खेत उनको मिलना चाहिये । मैं इस संबंध में यह कह देना चाहता हूं कि जिस तरह से जमींदारी प्रथा जहां थी वहां बहुत से जमींदार खेती नहीं करते थे और उनके खेतों पर शिकमीदार काबिज थे उनके ऊपर प्रभाव डालकर उनको निकाल दिया और शिकमियों को विवश कर दिया कि वह इस्तीफा दें यद्यपि मन्त्री जी ने व्यवस्था की थी ।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखेंगे ।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री माता प्रसाद---आदरणीय अधिष्ठता महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था कि इस बिल के अधिनियम बन जाने पर ऐसा न हो कि कुछ ठेकेदार इससे अनुचित लाभ अपने प्रभाव को उपयोग करके उठा लें जैसा कि बहुत से जिलों में हुआ है । जमींदार छोटे कर्मचारियों से मिल कर बहुत सी ऐसी जमीन जिन पर उनका कब्जा नहीं था उन्होंने अपने नाम लिखा लिया था । बहुत से लोग जो पुश्तों से जमीन जोतते चले आ रहे थे उनकी जमीन निकल गयी । बहुत से शिकमी काश्तकार जो आज तक भी जमीन को जोतते चले आ रहे हैं उनसे भी इस्तीफा विवशतः ले लिया गया । यद्यपि जैसा कि मैंने कहा सरकार यह चाहती थी जो लोग अपने हाथ से जमीन जोतें उन्हीं के पास जमींन रहे लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इस तरह से विवश किया गया कि उन्हें जमीन से इस्तीफा दे देना पड़ा । उन पर दूसरे प्रदेशों के शहरों से, बम्बई आदि से झूठे मुकदमे चलाये गये और उन्हें परेशान करके विवश किया गया कि जिस जमीन को जोते हुए हैं उससे इस्तीफा दे दें । इस तरह से उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया ।

यहां पर मैं यह चाहता हूं कि जो जमीन ठेकेदार जोते हुए हैं वह तो उनको जरूर मिले लेकिन ऐसा न हो कि जिस जमीन को उन्होंने कभी न जोता हो और अपने नाम चढ़वा लिया हो वह जमीन उनको मिल जाय । इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि बहुत से ऐसे गरीब हरिजन हैं या छोटे काश्तकार हैं जिन्होंने अपने मकान बना लिये हैं और वह मकान, जहां पर बहुत दिनों से बसे हुए हैं, उनकी आबादी नहीं दर्ज की गयी है वह आबादी के लिये उन्हें जमीन दे दी जाय । इसका हमें कटु अनुभव है । ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पर पुश्तों से लोग बसे हुए हैं लेकिन उनके मकान आबादी में दर्ज नहीं किये गये हैं । उसका परिणाम यह हो रहा है कि उन्हें बहुत से लोग तंग कर रहे हैं । इसी माननीय सदन के सदस्य पं० रमेशचन्द्र शर्मा के गांव हरद्वारी में एक हरिजन का मकान बहुत दिनों से बना हुआ था लकिन कागज में उसका मकान आबादी में नहीं

[श्री माता प्रसाद]

दर्ज था। उसका परिणाम यह हुआ कि उस पर मुकदमा चला कर उसका मकान गिरवा दिया गया। इस तरह से हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि जो लोग बहुत दिनों से बहुत बसे हुए हैं और उनकी आबादी की जमीन है या जो और सार्वजनिक सम्पत्ति है उसको ठेकेदार अनुचित रूप से अपने लाभ के लिये उपयोग में न ला सके।

इस तरह से इन बातों का खयाल रख कर हमें यह देखना है कि वास्तव में इस विधेयक के आ जाने से काश्तकारों का बहुत बड़ा लाभ होगा और जो हमारे बीच ठेकेदार हैं उनके हट जाने से सरकारी राजस्व भी बढ़ेगा और किसानों का बहुत फायदा होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को जितनी जल्दी हो सके पास किया जाय और जैसा कि माननीय लहरी जी ने कहा कि यह विधेयक जितनी जल्दी पास हो जाय उतना ही किसानों के लिये अच्छा है तो लहरी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को वापस ले लें जिससे यह किसानों को लाभ पहुंचाने वाला विधेयक जितनी जल्दी से जल्दी पास हो जाय उतना ही अच्छा है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री चरण सिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय जगन्नाथ लहरी जी को, उनकी इस समझदारी के लिये, कि जो हमारे उधर के बैठने वाले मित्रों ने आन्दोलन शुरू किया है सत्याग्रह का, भूख हड़ताल का, प्रदर्शन का, घेरा डालने का, उसमें शामिल न होकर दिखाई है, जहां मैं उनको इस पर बधाई देता हूं वहां मैं एक सलाह भी उनको दूंगा और वह यह कि बिला वजह मौके बेमौके दूसरों की नियत पर शक करना यह कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है और प्रजातन्त्र के लिये अनुकूल वातावरण पैदा करने में बाधक होता है। मसलन् मुझे उनसे शिकायत यह है कि उन्होंने यह कहा कि गवर्नमेंट शायद यह चाहती थी---मैं 'शायद' शब्द का इस्तेमाल करता हूं, उन्होंने तो 'शायद' इस्तेमाल नहीं किया, कि ये ठेकेदार उन गरीब किसानों का शोषण करते रहे इसलिये यह गवर्नमेंट साढ़े ६ साल तक बैठी रही और इस विधेयक को नहीं लाई। अगर मैंने गलत समझा तो वह बतला सकते हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी---मैंने यह नहीं कहा।

श्री चरण सिंह---अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो यह बड़ी खुशी की बात है लेकिन यह बात बार-बार दोहराई जाती रही कि इसमें देर क्यों हुई और इन किसानों के बन्धन तोड़ने में साढ़े ६ साल हो गये।

एक बात यह और कही गयी कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट भी बदला गया तो उसी में उसके मुताल्लिक प्राविजन हो सकता था। लेकिन जैसा कि मैंने अपने बयान में कहा था कि यह जमींदारी एबालिशन का सवाल नहीं था। यह केवल लैंड रिफार्म का सवाल था और लैंड रिफार्म तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि जमींदारी एबालिशन और लैंड रिफार्म ऐक्ट पास न हो जाय। अब यहां पर जमींदार गवर्नमेंट हो गयी लेकिन जो ठेकेदार था उसको अभी वही जगह दी हुई है। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में इसको खत्म नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह विधेयक केवल जमींदारी को खत्म करने के लिये लाया गया था। अब अगर इसी ऐक्ट में यह लाते और गवर्नमेंट जो आज जमींदार है उसकी जगह पर ठेकेदार को करते और तब उनको खत्म करते तो वह जमींदारी अबालिशन ऐक्ट, जिसको वकील समझने में, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया, दिक्कत का अनुभव करते हैं, इसमें अगर हम उसका भी प्राविजन कर देते तो यह और भी पेंचीदा हो जाता।

अधिष्ठाता महोदय, अब मैं आपके जरिये से अपने माननीय मित्र को यह बताना चाहता हूं कि यहां बिहार से एक डेलीगेशन आया था जिसमें थे बिहार के रेवेन्यू मिनिस्टर और ३, ४ और सज्जन और रेवेन्यू के डिप्टी सेक्रेटरी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में कई बार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस बात का जिक्र किया कि जमींदारी एबालिशन के सिलसिले में उनके यहां भी और और जगहों पर भी पीसमील लेजिस्लेशन हुआ और कहीं अभी तक मुकम्मिल तस्वीर नहीं बन पायी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक कम्प्रेहेन्सिव लेजिस्लेशन हुआ। बहुत जगह केवल जमींदारी एबालिशन हुआ और हमारे यहां भूमि-व्यवस्था भी साथ-साथ हुई। पहली तस्वीर को मिटाया और दूसरा नया स्ट्रक्चर हमने कायम किया। इस तरह स लैंड रेवेन्यू के सिलसिले में, कलेक्शन के सिलसिले में, कोआपरेटिव फार्मिग आदि के बारे में भी प्राविजन्स हैं। उसमें गांव समाज को जो और अधिकार दिये थे उन सब को एक साथ शामिल करके एक इन्ऐक्टमेंट के जरिये से सारे सूबे में उसको नाफिज किया था। लेकिन फिर भी छोटे-छोटे इलाके रह गये, मसलन् शहरी इलाके, मसलन् रामपुर की रियासत।

अधिष्ठाता महोदय, आप के जरिये से, मैं उन से कहना चाहता हूं कि ९,००० एकड़ के किसानों के लियेजो दलीलें आपने पेश की हैं, उनके साथ आप यह भी कह सकते थे कि टेहरी गढ़वाल की व्यवस्था आपने तभी क्यों नहीं कर दी? जौनसार बावर का कानून उसी वक्त क्यों नहीं बना दिया? रामपुर के लिये अलहदा कानून क्यों लाये? बनारस की रियासत के लिये अलग कानून क्यों लाये? और जो बुन्देलखंड के छोटे-छोटे रजवाड़ों का विलीनीकरण हुआ उनका अलग प्राविजन क्यों नहीं बनाया? कुमायूं के लिये अलग क्यों कानून बनाया गया? तो मैं यही कह सकता हूं कि वह एक असंभव टास्क हो जाता। इसलिये यह खयाल करना या इशारतन दूसरों पर यह असर डालना या डालने की कोशिश करना या ऐसे अल्फाज़ इस्तेमाल करना कि जिन से दूसरे यह असर लें कि ९,००० एकड़ काश्तकारों की तरफ से बेफिक्री थी और शासन को उनकी चिन्ता नहीं थी, अधिष्ठाता महोदय, मैं कहूंगा कि मैं ऐसी बातों के खिलाफ प्रोट्रेस्ट करता हूं और जो नतायज उससे निकाले जा सकते हैं, वह मैं कहता हूं कि बिलकुल बेबुनियाद हैं।

अब आप की दलीलों में एक कंट्रैडिक्शन है। एक तरफ आप यह कहते हैं कि ३० एकड़ क्यों दे रहे हैं जब कि अभी १० सितम्बर को साढ़े १२ एकड़ की बात कही। कई बार आपने कहा और कई बार आपने यह कहा कि सभी ठेकेदारों के पास जितनी जमीन है उतनी रहने क्यों न दें। यह मैंने समझने में शायद गलती नहीं की है। तो फिर मतलब क्या हुआ? एक तरफ तो आप कहते हो कि ३० एकड़ तक रहने की क्यों इजाजत दो और दूसरी तरफ साथ में यह कहते जा रहे हो कि जितनी भी है उतनी रहने दो। मसलन् ५० एकड़ है तो रहने दें। तो यह बात मेरी समझ में आयी नहीं। दोनों में कोई संगति नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, गलती कहां होती है? गलती तब होती है जब नीयत और इरादा तो हमारा और कुछ होता है और किन्हीं और वजूहात की बिना पर दुनिया में हम असर और पैदा करना चाहते हैं। ऐसा करने में अल्फाज़ और निकल जाते हैं और कंट्रैडिक्शन हो जाता है। जो समझदारी का काम माननीय लहरी जी ने किया है उसके साथ इसकी संगति नहीं है। उनके दिल में और बाहर, सब जगह एक बात होनी चाहिये। दिल में और, और बाहर और, उससे अंत में कोई फायदा नहीं होता और कोई परपज़ सर्व नहीं होता। हां, देखना यह है कि साढ़े १२ एकड़ जब हम कर रहे हैं तो यहां ३० एकड़ क्यों कर रहे हैं? साढ़े बारह तो हम इसलिये कर रहे हैं कि आगे कोई इस से ज्यादा एक्वायर नहीं कर सकेगा, लेकिन जो मौजूदा होल्डिंग्स हैं उन पर हम कोई सीलिंग नहीं लगा रहे हैं। तो यह जो ठेकेदार के पास जमीन रहेगी वह उसके कब्जे में है, जो पहले से मौजूद है। तो यह दलील कि आगे के लिए जब हम साढ़े बारह एकड़ रख रहे हैं तो इसमें भी क्यों न रख दें, इसमें लगती नहीं। और फिर यह कहा जा सकता है कि जब आप कम ही करने पर आये तो ३० क्यों रखा, साढ़े बारह एकड़ क्यों नहीं रखा? इसके लिये मैं अर्ज करना चाहूंगा कि जमींदारी एबालिशन ऐन्ड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में और रामपुर में और जहां-जहां हमने उस ऐक्ट को लागू किया, तो ठेकेदारों के लिये हमने ३० एकड़ जमीन ही छोड़ी थी। क्योंकि उनके कब्जे में यह पहले ही है। इसलिये उससे अलहदा रखना हम मुनासिब नहीं समझते। जब हम सारे सूबे में ठेकेदारों के लिये ३० एकड़ की इजाजत दे चुके हैं तो ३० एकड़ यहां न करना मुनासिब नहीं है।

[श्री चरण सिंह]

कहा गया कि मकानों पर कब्जा हो जायगा। एक दफा उन्होंने पढ़कर सुना दी। उसका यह मतलब नहीं है। जमींदारी एबालीशन ऐक्ट की दफा २५ और २६ देखें। कलेक्टरों को अधिकार दिया जा रहा है कि अगर जरूरत हो तो मकान में जाकर वह किताबें, बहीखाता, छीन सकते हैं, उसका सर्वे कर सकते हैं, किसी जमीन का, किसी मकान का या किसी अन्य जगह का। "Not to sieze and take its possession" ये शब्द नहीं हैं। शब्द केवल "enter" है कि, कलेक्टर को या किसी राज्य कर्मचारी को अगर किसी मकान में जाने की जरूरत पड़ जाय। तो इसमें यह बात साफ हो जाती है।

एक बात यह कही गई कि उन काश्तकारों का क्या होगा जो ठेकेदारों के होंगे। यह इस वक्त सवाल ही नहीं है। ३२ जिलों में जहां गवर्नमेंट की जमींदारी थी हमने सन् १९५५ में एक नोटीफीकेशन द्वारा वहां लैंड रिफार्म्स लगा दिया। सबको सीरदार बनना करार दे दिया। इसी तरीके से एक नोटीफीकेशन के द्वारा लैंड रिफार्म्स वाला चैप्टर हम नाफिज कर देंगे। इसके जरिये तो केवल वहां की ठेकेदारी अबालिश कर रहे हैं। लैंड रिफार्म्स का चैप्टर नाफिज करने की इसमें जरूरत नहीं थी। उसके लिये हमें लेजिस्लेचर के सामने आने की जरूरत नहीं होगी। इसलिये जो काश्तकार हैं वे सब भूमिधर और सीरदार हो जावेंगे। इसमें उसे लाना मुनासिब नहीं था और रिपीटीशन हो जाता। उस ऐक्ट में गवर्नमेंट को अधिकार है कि नोटिफीकेशन से, जिसमें उस ऐक्ट का सबसटैंशल माडीफिकेशन न हो, उसूल जैसे के तैसे बने रहें, उससे हम प्रसारित कर सकते हैं।

माननीय माताप्रसाद ने कहा कि साहब, कहीं ऐसा न हो कि ठेकेदार इन गरीबों को बेदखल कर दें जैसे कि शिकमी लोग, बावजूद गवर्नमेंट के बड़ी कोशिश करने के, बहुत सी जगह बेदखल हो गये। बड़ी मुश्किल यह है कि हम बहुत थोड़ी-थोड़ी चीजों से नतीजा निकाल लेते हैं। मैं अनेक बार कह चुका हूं कि जिन काश्तकारों का वह जिक्र कर रहे हैं वे हिन्दुस्तान में माने ही नहीं गये हैं। शिकामियों को कहीं अधिकार मिला ही नहीं है। ट्रैसपासर्स को अधिकार देने का सवाल ही नहीं उठता है। उनसे तो सब जमीन बेदखल होकर जमींदारों ने अपने कब्जे में कर ली।

श्री जगन्नाथ लहरी—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चरणसिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि माननीय माता प्रसाद जी जिन काश्तकारों का जिक्र कर रहे थे वे हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश के बाहर तो काश्तकार ही नहीं माने गये हैं। जो पुराने जमाने से काश्तकार माने गये हैं वे भी राइट आफ रिजम्पशन देकर बेदखल किये गये। खैर, मैं उसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। हमने सबटेनैंट्स और ट्रेसपासर्स को भी राइट दिया। अब सवाल यह है कि हम उनकी रक्षा नहीं कर पाये। माताप्रसाद जी की शिकयत है कि नहीं कर पाये। हमने अधिकार दिया था कि १३५६ में जिनका नाम दर्ज है उनको अपना पजेशन साबित करने की जरूरत नहीं थी। केवल जिनका नाम दर्ज हैं उनके लिये हमने कहा कि एक दम सीरदार बना दिया जाय। परमानेंट राइट उनके ऊपर हमने कनफर्म कर दिये। यह बात सही है कि इनमें बहुत से ऐसे लोग थे जो १३५६ में काबिज नहीं थे। लड़ाई के कारण, जब कि तरह तरह के ड्राइव्ज होते थे, रेवेन्यू स्टाफ को अपना प्रापर काम करने की फुरसत नहीं मिलती थी। लड़ाई खत्म होते ही फूड प्रोक्योरमैंट ड्राइव चला, इलेक्टोरल लिस्टों का करेक्शन चला और वे डिस्टर्बेन्सेज, और फिर जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के लिये नहीं मालूम कितने नक्शे तैयार करना, इन सबकी वजह से १३५६ फसली के, और यों तो हर साल ही, सेंटपरसेंट करेक्शन तो एनश्योर ही नहीं किये जा सकते हैं, लेकिन १३५६ फसली के कागजात में काफी गलतियां थीं और खास तौर से ट्रेसपासर्स के सिलसिले में।

तो मेरा खयाल है कि १५, २० परसैंट तो ऐसे आदमियों के नाम दर्ज होंगे ही जिनका वाकई ईमानदारी से कब्जा नहीं था। लेकिन हमने यह सोचकर कि अगर हमने ऐसा प्रावीजन बनाया कि जो आदमी अपने आपको सब-टैनेंट साबित कर सके उसी को राइट दिया जा सके, तो इतना वे साबित ही नहीं कर सकेंगे क्योंकि वे सोसाइटी के सबसे गरीब सेक्शन हैं। इससे बहुत से बेदखल हो जाते, कम से कम १/३ ट्रैसपासर्स जो इनमें आधे थे, ये ५५ लाख के करीब आते थे, छोटे ६, ६ बिस्वे के मालिक, इनमें से एक को भी राइट नहीं मिलता। पटवारी के कागजात के खिलाफ शहादत दी जाय कि हमने रजामन्दी से जमीन ली, कोई सुननेवाला नहीं था? उस उक्त हमारे लीगल रिमेम्ब्रैसर ने कहा था कि जूरिप्रूडैंस के सिद्धांत के खिलाफ और संविधान के खिलाफ आप केवल एन्ट्री से सीरदारी राइट दे रहे हैं। लेकिन खुशकिस्मती है उन गरीब किसानों की कि हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, केवल इन्दराज ही काफी है। इन बेचारों को राइट मिल गया। मेरे पास २८ फरवरी तक की फीगर्स से जाहिर होता है कि ८५ फीसदी आदमियों के जिनके नाम दर्ज थे, उनके राइट्स कनफर्म हो गये। अब दावा करने के बाद या वालंटरी सरैंडर के बाद जो लोग बेदखल हुये हैं वे केवल १५ परसैंट हैं। इन १५ परसैंट में वे लोग हैं जो कि सीरदार हो होते नहीं सकते, अर्थात् आसानी। मान लो कि कोई शख्स नाबालिग है या विधवा है और उसका सबटैनेंट है, तो हमने कानून में लिखा है कि वह सीरदार हो ही नहीं सकता, आसानी होगा। लेकिन कानून में लिखा था सबटैनेंट या अधिवासी, उसको लैंड होल्डिंग पर नोटिस गया, उन्होंने कहा कि जिस वक्त जमीन दी थी मैं नाबालिग था, वह लोग सीरदार नहीं हो सकते थे। इन १५ प्रतिशत में वे लोग भी शामिल हैं। मैं यह तस्लीम करता हूं कि ५–७ प्रतिशत ऐसे लोग हो सकते हैं जिन पर दवाब डाल कर स्तीफा लिखा लिया गया हो। अगर माता प्रसाद जी अपने यहां तहकीकात करें तो उनको ५–७ प्रतिशत से अधिक नहीं मिल सकते जिनसे स्तीफा लिखा लिया गया होगा। लेकिन उसके साथ ही यह भी मानना होगा कि जिन लोगों का केवल कब्जा लिखा था, और जिनके पास जमीन नहीं थी, उन लोगों को भी कानून ने अख्तियार दे दिया और वे डंडा लेकर खड़े हो गये और उन्होंने जमीन ले ली। ऐसे लोगों का १३५६ फसली में केवल कब्जा लिखा हुआ था और न लोगों को कब्जा मिल गया। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी मानता हूं कि जौनपुर में कुछ और बनारस में, अधिष्ठाता महोदय, आप तो उससे बखूबी वाकिफ हैं, काफी बेदखलियां ऐसी हुई। उन बेदखलियों को भी शामिल करके हमारे सूबे में १५ प्रतिशत से ज्यादा तादाद उन लोगों की नहीं है जो अपने राइट को नहीं ले पाये। तो इन १५ प्रतिशत को लेकर ही माता प्रसाद जी, व उनके अन्य साथी जी भी उनके हम खयाल हों, उनसे मैं माफी चाहता हूं, ऐसी बातें कह कर वे अपनी गवर्नमेंट के साथ अन्याय करते हैं।

अब एक बात माननीय जगन्नाथ जी ने कही कि गवर्नमेंट तो साढ़े चार प्रतिशत व्याज लेती है लेकिन उन लोगों को केवल ढ़ाई प्रतिशत ही देगी। और यह भी कहा कि गवर्नमेंट मुआवजा बान्ड्स में दे रही है, वह भी थोड़ा है। हम दे ही रहे हैं, यह क्या कम है। कुछ लोगों की तो यह राय है कि बिलकुल न दिया जाय। क्योंकि जमीन एक नेशनल स्टेट है, किसी आदमी की पैदा की हुई नहीं है, किसी आदमी की बनायी हुई नहीं है। पुराने जमाने से कब्जा चला आता है इसलिये उसको एक राइट मानकर हम मुआवजा दे रहे हैं। परन्तु ईश्वरीय न्याय के अनुसार वे किसी भी प्रकार का मुआवजा पाने के हकदार नहीं हैं। इसका तो उनको और एहसान मानना चाहिये कि कुछ दे तो दिया। रही बान्ड्स में देने की बात, इसमें साफ लिखा है कि मुआबजा नकद दिया जायगा। लेकिन कैश देने में १०–१५ दिन की देर तो हो ही सकती है। आखिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिसाब लगा कि इतना मुआवजा बैठा और ठेकेदार से कह दिया कि यह मुआवजा लो और दस्तखत करो। कंपेन्सेशन के स्टेटमेंट्स, बनेंगे, उसका डिटरमिनेशन होगा, बजट में रुपया उसके लिये रखा जायगा। इसमें महीने, दो महीने, ६ महीने लग सकते हैं, उस बीच के पीरियड का व्याज दिया जायगा।

[श्री चरण सिंह]

अन्त में, मैं माननीय जगन्नाथ जी लहरी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने यह संशोधन इसलिये पेश किया जिससे थोड़ी बहुत बहस हो जाय। अगर उन्होंने इसको पेश कर न दिया होता तो इतनी बहस भी न हुई होती। इसलिये अब उनका मतलब पूरा हो गया और इधर के माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका मिल गया। मैं समझता हूं कि पढ़ कर तो इसको बहुत कम लोग ही आये होंगे, जो पढ़ कर आये होंगे उनको उससे लाभ भी हो गया होगा। मैंने भी इसको अभी पढ़ा है, बहुत अरसे पहले पढ़ा था, भूल गया था, फिर अभी पढ़ा है। बाकी वहां भेजना बिलकुल बेकार है, मैंने कहा कि वहां भेज कर पिसे को पीसना होगा। एक लफ्ज भी इधर से उधर नहीं होगा। यह बहुत कुछ रामपुर स्टेट्स ठेकेदारी एबालिशन कानून के आधार पर विधेयक तैयार किया गया है जिसको हाइकोर्ट ने भी वैलिड करार दिया था। इन शब्दों के साथ मैं माननीय जगन्नाथ लहरी जी को मुबारकबाद देता हूं और उनके संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथ लहरी—अधिष्ठाता महोदय, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, १९५७ (U. P. Government Estates Thekedari Abolition Bill, 1957) पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित गिया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—इस पर कोई संशोधन तो है नहीं, इसलिये मैं खंड २ से लेकर खंड १८ तक रख देता हूं। अगर किसी माननीय सदस्य को किसी खंड के बारे में विरोध हो तो वे कृपा करके बतला दें।

सदस्यगण—किसी को कोई विरोध नहीं है।

खंड २—१८

परिभाषा २—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :—

(१) "कलेक्टर" के अन्तर्गत परगने का इंचार्ज प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर (Assistant collector of the Ist class in charge of Sub-division) है तथा अन्य कोई प्रथम श्रेणी का असिस्टेंट कलेक्टर भी है जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलेक्टर के सब या किसी कार्य के सम्पादन का अधिकार दे ;

(२) "डिक्री" का वही अर्थ है जो "डिक्री (decree)" को कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है,

(३) "सरकारी आस्थान" का तात्पर्य किसी ऐसी भूमि से है जो उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के स्वामित्व में हो ;

(४) "भूमि" का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रयोजन के लिये किसी के अधिकार या अध्यासन में (held or occupied) हो ;

(५) 'पट्टा' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से सरकारी आस्थान के सम्बन्ध में किये गये ठेके अथवा पट्टे से है ;

(६) "पट्टेदार" का तात्पर्य पट्टे के अधीन ठेकेदार अथवा पट्टेदार से है, उसे चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो तथा इसके अन्तर्गत उसके दायाधिकारी और अभिहस्तांकिती (heirs and assigns) भी है ;

(७) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ है जो कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में "लीगल रिप्रेजेंटेटिव (legal representative)" को दिया गया है ;

(८) "नियत" (Prescribed) का तात्पर्य इस अधिनियम क अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(९) "पूर्व कृषि वर्ष" (Previous agricultural year) का तात्पर्य उस कृषि वर्ष से है, जो उस कृषि वर्ष से ठीक पहले हो जिसमें अवसान (determination) का दिनांक पड़ता हो ;

(१०) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है ;

(११) शब्द और पद "अबवाब", "मौरूसी अधिकार", "मौरूसी काश्तकार," "लगान," "काश्तकार," तथा "सायर" के वही अर्थ हैं जो यू० पी० टेनेंसी ऐक्ट, १९३९ में क्रमशः शब्द और पद "Cess", "hereditary rights", "hereditary tenant", "Rent", "tenant" और "Sayar" को दिये गये हैं ।

पट्टों का अवसान (Determination)

३---किसी विधि, संविदा अथवा अन्य लेख्य (law contract or other document) में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह सरकारी गजट में आज्ञा प्रकाशित करके किसी ऐसे दिनांक से, जिसे निर्दिष्ट किया जायगा (जिसे आगे चल कर "अवसान का दिनांक" कहा गया है), किसी पट्टे का अवसान कर दे ।

पट्टों के अवसान का परिणाम ।

४---जब कभी धारा ३ के अधीन और अनुसार किसी पट्टे का अवसान किया जाय तो निम्नलिखित परिणाम होंगे, यथा--

(क) उस स्थित को छोड़कर जिसकी व्यवस्था यहां आगे चल कर की गयी है, पट्टे के अन्तर्गत पट्टेदार के सभी अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे (मानो पट्टे की अवधि उसी समय समाप्त हो गई हो) ;

(ख) यदि पट्टे की शर्तों के अधीन या अनुसार किसी पट्टेदार ने पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि को अपने निजी जोत में ले लिया हो तो पट्टेदार ऐसी भूमि का मौरूसी काश्तकार हो जायगा और उसे अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रवृत्त (applicable) मौरूसी दर से आकलित लगान के बराबर लगान देना पड़ेगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि पट्टेदार के पास ऐसी कुल भूमि का क्षेत्रफल ३० एकड़ से अधिक हो तो पट्टेदार केवल ३० एकड़ क्षेत्र का मौरूसी काश्तकार हो जायगा और अधिक क्षेत्र जो पट्टेदार अथवा कलेक्टर के प्रार्थना-पत्र

पर परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा ३० एकड़ क्षेत्र से पृथक् तथा परिच्छिन्न किया जायगा, रिक्त (Vacant) भूमि हो जायगा तथा उसे रिक्त भूमि समझा जायगा तथा पट्टेदार को ऐसे अधिक क्षेत्र से बेदखल किया जा सकेगा ;

(ग) पट्टेदार अवसान के दिनांक से पूर्व काल के लिये पट्टे के अंतर्गत किसी भूमि के बारे में लगान--अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों के वसूल करने का अधिकारी बना रहेगा ;

(घ) ऐसी किसी भूमि के सम्बन्ध में अवसान के दिनांक के पश्चात् किसी भी काल के लिये देय सभी लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियां जो उक्त अवसान के न होने पर पट्टेदार को देय होतीं, राज्य सरकार को देय होंगी और उक्त अवसान के पूर्व अथवा पश्चात् उक्त धनराशि की अन्यथा की गई कोई भी अदायगी उस व्यक्ति द्वारा जिस पर उसका दायित्व हो वैध भुगतान न होगा यद्यपि ऐसे व्यक्ति द्वारा पट्टेदार से उसे वसूल किये जाने के अधिकार पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ङ) यदि उक्त अवसान हुये (Determined) पट्टे से भिन्न, अवसान के दिनांक से पूर्व निष्पन्न अनुबन्ध अथवा संविदा (Agreement of contract) के अधीन उक्त दिनांक के पश्चात् के किसी भी काल के लिये कोई लगान, अबवाब या अन्य धनराशियां पट्टेदार को दी गई हों अथवा उसने अभिसंधित (Compounded) या वसूल की हों तो वे उस अनुबन्ध अथवा संविदा के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा पट्टेदार से वसूल की जा सकती है और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुये इस अधिनयिम के अधीन पट्टेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काटकर वसूल की जा सकती है ;

(च) अवसान के दिनांक से पूर्व काल के लिये पट्टेदार द्वारा देय लगान, अबवाब, तकावी या अन्य देय धनराशियों की सभी बकाया पट्टेदार से वसूल की जाती रहेगी और वसूली के अन्य किसी ढंग को बाधित न करते हुये इस अधिनिमय के अधीन पट्टेदार को देय प्रतिकर की धनराशि से काटकर वसूल की जा सकती है ;

(छ) अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक पर प्रभावी प्रत्येक बंधक (Mortgage), शिकमी पट्टा (Sub-lease) अथवा पट्टेदारी के अधिकार के अन्य हस्तांतरण (Transfer) का अवसान हो जायगा और ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ७३ की उपधारा (२) के उपबन्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त प्रतिकर के सम्बन्ध में उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानों पट्टे के अन्तर्गत भूमि किसी ऐसे अधिनियम के अधीन हस्तगत की गई थी जिसमें अनैच्छिक हस्तगतीकरण (Compulsory acquisition) की व्यवस्था हो ;

(ज) पट्टे के अन्तर्गत किसी भी भूमि पर स्थित सभी इमारतें जिन पर पट्टेदार का अधिकार हो, पट्टे की अवशिष्ट अवधि के लिये, नियत की जाने वाली शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन उसी के अधिकार में रहेंगी और उक्त अवधि के समाप्त होने पर, यदि पट्टे में भिन्न अभिप्राय व्यक्त न हो, (और ऐसी दशा में वह अभिप्राय ही प्रभावशाली रहेगा) राज्य में निहित हो जायगी।

देय लगान।

५---पहली अप्रैल, १९५५ को या इसके पश्चात् पट्टेदार द्वारा अथवा उसकी ओर से पट्टे के अन्तर्गत किसी भूमि के सम्बन्ध में किये गये किसी अनुबन्ध अथवा संविदा के या की गई किसी बात के अथवा किसी ऐसी बात के जिसके किये जाने की अनुज्ञा दी गई हो, होते हुये भी, उक्त भूमि के लिये देय लगान :---

(क) अवसान के दिनांक पर वह धनराशि समझी जायगी जो पहली अप्रैल, १९५५ को उसके निमित्त देय लगान के बराबर हो और किसी न्यायालय की डिक्री अथवा आज्ञा से दी गई किसी छूट अथवा कमी से भिन्न किसी छूट अथवा कमी को तब तक नहीं माना जायगा जब तक कि राज्य सरकार उसे पुष्ट न कर दे, और

(ख) अवसान के दिनांक के पश्चात् भविष्य में वह धनराशि होगी जो खंड (क) के अधीन तदर्थ देय माने गये लगान के बराबर हो, किन्तु इससे उस पर प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार भविष्य में उसमें बढ़ती अथवा कमी करने में बाधा न होगी।

कलेक्टर पट्टे की भूमि को अधिकार में लेगा।

६---धारा ३ के अधीन पट्टे का अवसान होने पर कलेक्टर या उसके द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त किसी अधिकारी के लिये यह वैध होगा कि---

(क) वह पट्टे के अन्तर्गत भूमि पर कब्जा कर ले और उसे अपने अवधान (Charge) में ले ले और ऐसी कार्यवाही करे या करवाये और ऐसा बल प्रयोग करे या करवाये जो कलेक्टर अथवा उक्त प्रकार से नियुक्त अधिकारी की राय में इस प्रयोजन के लिये आवश्यक हो ;

(ख) वह उस पट्टे के अन्तर्गत जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो गया हो, किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में दाखिल हो और इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उसका परिमाप (Survey) या माप करे ;

(ग) किसी व्यक्ति से उस प्राधिकारी (Authority) के समक्ष, जिसे निर्दिष्ट किया जाय, पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पुस्तकें, लेखे अथवा अन्य लेख्य प्रस्तुत कराये और उक्त प्राधिकारी के समक्ष ऐसी अन्य सूचना दिलवाये जो निर्दिष्ट की गई हो; या मांगी गई हो, और

(घ) यदि आदेशानुसार पुस्तकें, लेखे तथा अन्य लेख्य प्रस्तुत न किये जायं, तो वह किसी भूमि, इमारत अथवा अन्य स्थान में प्रवेश करके उक्त पुस्तकों, लेखों और अन्य लेख्यों को अपने अधिकार में ले कर (seize) कब्ज में कर ले।

पट्टेदार को पट्टे के अवसान के उपलक्ष्य में प्रतिकर पाने का अधिकार होगा।

७--(१) उस स्थिति को छोड़कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (२) में की गई है, किसी पट्टदार को, जिसके पट्टे का अवसान धारा ३ के अधीन हो गया हो, ऐसे अवसान द्वारा उत्पन्न क्षति या हानि के लिये किसी भी प्रतिकर के लिये दावा करने अथवा उसके पाने का अधिकार न होगा।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट पट्टेदार को ऐसा प्रतिकर पाने का अधिकार होगा और उसे ऐसा प्रतिकर दिया जायगा जिसकी व्यवस्था यहां पर आगे चलकर की गई है।

प्रतिकर का विवरण।

८--धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन प्रतिकर के निर्धारण और भुगतान के लिए कलेक्टर प्रतिकर का विवरण तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे:--

(क) पट्टेदार अथवा पट्टेदारों के नाम और धारा ९ और १० के उपबन्धों के अनुसार आकलित उनकी कच्ची और पक्की निकासी (Gross Income and net Income) ;

(ख) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पूर्व कृषि वर्ष में पट्टेदार द्वारा देय लगान ;

(ग) धारा ४ के खंड (च) में अभिदिष्ट लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों की बकाया जो पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में उसके द्वारा राज्य सरकार को देय हो, और

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

कच्ची निकासी।

९--धारा ८ के प्रयोजनों के निमित्त पट्टे के अन्तर्गत भमि के सम्बन्ध में पट्टेदार की कच्ची निकासी (Gross income) में निम्नलिखित होंगे:--

(क) भूमि के उपयोग और अध्यासन (Use and occupation) के सम्बन्ध में काश्तकार अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा अथवा उनकी ओर से अवसान के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर देय लगान जिसके अन्तर्गत अबवाब तथा अन्य देय धनराशियां भी हैं:--

(१) नकदी में ; और

(२) यदि लगान जिन्सी में देय हो अथवा अंशतः नकदी में और अंशतः जिन्सी में देय हो तो उसमें प्रवृत्त होने वाली विधि के उपबन्धों के अनुसार आकलित लगान ;

(३) यदि लगान देय हो किन्तु अवधारित (determined) न किया गया हो तो मौरूसी दर से अवधारित लगान;

(ख) पट्टेदार की निजी काश्त के अन्तर्गत भूमि के लिये मौरूसी दर से आकलित लगान की धनराशि, और

(ग) सायर, जिसकी धनराशि--

(१) यदि पट्टा दस वर्ष तक या उससे अधिक समय तक रहा हो तो अवसान के दिनांक से ठीक पहले के दस वर्ष की अवधि की समस्त आय के जोड़ के दशमांश के बराबर होगी ; और

(२) यदि पट्टा दस वर्ष से कम रहा हो तो ऐसी अवधि के वार्षिक औसत के बराबर होगी ।

पक्की निकासी

१०--धारा ८ के प्रयोजनों के लिये उस पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में जिसका धारा ३ के अधीन अवसान हो गया हो, पट्टेदार की पक्की निकासी (Net income) कच्ची निकासी से निम्नलिखित की कटौती करके आकलित की जायगी :

(१) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में लगान, अबवाब अथवा अन्य देय के रूप में पट्टेदार द्वारा पूर्व कृषि वर्ष में देय धनराशि;

(२) पट्टे के अन्तर्गत भूमि के सम्बन्ध में पूर्व कृषि वर्ष के लिये पट्टेदार द्वारा दिये गये अथवा दिये जाने वाले कृषि-आय कर की, यदि कोई हो, धनराशि, और

(३) प्रबंध का खर्च तथा लगान का न वसूल होने वाला बकाया जो धारा ९ के उपबन्धों के अनुसार आकलित कच्ची निकासी और पट्टेदार द्वारा देय लगान के अन्तर का २५ प्रतिशत समझा जायगा ।

देय प्रतिकर की धनराशि ।

११--पट्टेदार को प्रतिकर के रूप में देय धनराशि निम्नलिखित सूत्र (Formula) के अनुसार अवधारित की जायगी:--

"प० नि० × अ० अ०" = प्रतिकर

"प० नि०" का तात्पर्य धारा १० के अधीन अवधारित पक्की निकासी से है, और "अ० अ०" का तात्पर्य पट्टे की अवशिष्ट अवधि से है जो उस कृषि वर्ष के आरम्भ से पूरे-पूरे वर्षों में आकलित की जायगी जिसमें अवसान कार्यान्वित हुआ हो, और वर्ष के अंश यों ही छोड़ दिये जायेंगे ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अ० अ० किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक न होगी ;

और यह भी प्रतिबन्ध है कि जब किसी पट्टे में प्रदत्त मूल अवधि (Term originally granted) इस अधिनियम के आरम्भ से पूर्व समाप्त हो गई हो और पट्टेदार--

(क) वर्ष-प्रतिवर्ष भूमि को अपने पास रखता रहे तो अ० अ० एक वर्ष के बराबर होगी ;

(ख) उस पट्टे के अधीन या अनुसार किसी नई अवधि के लिये भूमि को अपने पास रखे तो अ० अ० ऐसी अवधि के बचे हुये पूरे पूरे वर्षों के बराबर होगी, किन्तु यह अवधि अधिक से अधिक पांच वर्ष की होगी ।

विवरण का प्रारंभिक प्रकाशन ।

१२--धारा ८ के अधीन तैयार किया गया प्रतिकर का विवरण नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा और उसकी एक प्रति संबंधित पट्टेदार के पास भी भेजी जायगी ।

डिस्ट्रिक्ट जज को अभिदेश ।

१३--(१) कोई भी स्वत्व रखने वाला व्यक्ति (Person interested) अथवा राज्य सरकार ऐसे विवरण के सम्बन्ध में प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर नियत रीति से आपत्ति कर सकते हैं और कलेक्टर ऐसी आपत्ति को निर्णय के लिये डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभिदिष्ट करेगा ।

(२) ऐसे अभिदेश के सम्बन्ध में कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जज को निम्नलिखित सूचना भेजेगा :—

(क) उन व्यक्तियों के नाम जिनके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह उस पट्टे में स्वत्व रखते हैं,

(ख) धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि, और

(ग) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं ।

(३) कलेक्टर ऐसे अभिदेश के साथ विचाराधीन पट्टे की प्रति भी भेजेगा (Forward)।

डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा अभिदेश का निस्तारण ।

१४—(१) डिस्ट्रिक्ट जज नियत रीति से ऐसी आपत्ति का निस्तारण करेगा और वह धारा ११ के अधीन निर्धारित प्रतिकर की धनराशि को पुष्ट (Confirm) कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, अथवा उसे बढ़ा-घटा सकता है ।

(२) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा जांच का क्षेत्र (Scope) आपत्ति द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के स्वत्व पर विचार करने तक ही सीमित रहेगा :

(३) उपधारा (१) के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज का निर्णय एक डिक्री होगा।

विवरण का अंतिम प्रकाशन ।

१५—(१) धारा १२ के अधीन प्रकाशित प्रतिकर विवरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रस्तुत न होने पर अथवा यदि ऐसी आपत्ति प्रस्तुत होकर अंतिम रूप से निस्तारित हो चुकी हो तो विवरण तदनुसार संशोधित, परिवर्तित अथवा परिष्कृत (Amended, altered, or modified) कर दिये जाने पर कलेक्टर उस विवरण पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी मोहर लगायेगा ।

(२) इस प्रकार हस्ताक्षर किया और मोहर लगाया हुआ विवरण अंतिम होगा ।

(३) अंतिम विवरण की एक प्रति संबंधित पट्टेदार को बिना मूल्य दी जायगी ।

प्रतिकर का भुगतान ।

१६—(१) धारा १५ में अभिदिष्ट अंतिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर नकदी में दिया जायगा :

(२) प्रतिकर उस पट्टेदार को दिया जायगा जिसका नाम अंतिम प्रतिकर विवरण में दर्ज हो और यदि प्रतिकर दिये जाने से पहले पट्टेदार की मृत्यु हो जाय तो प्रतिकर उसके विधिक प्रतिनिधियों (Legal representatives) को दिया जायगा ।

(३) धारा १५ में अभिदिष्ट अंतिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर पर राज्य सरकार ढाई प्रतिशत के हिसाब से पट्टे के अवसान होने के दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ब्याज देगी ।

राज्य सरकार की दायित्व से मुक्ति ।

१७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर की अदायगी से, उस व्यक्ति के प्रति जिसका इस सम्बन्ध में साधिकार दावा (rightful claim) हो, राज्य सरकार की सभी दायित्व से पूर्ण मुक्ति हो जायगी, किन्तु यह अदायगी, उक्त प्रतिकर के सम्बन्ध में किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के उस अधिकार पर जिसका वह उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसे उक्त प्रकार की अदायगी की गई हो, विधि के उचित प्रसर (Due process of law) के आधार पर अधिकारी हो, विपरीत प्रभाव नहीं डालेगी ।

१८—(१) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से नियम बना सकती है । नियम बनाने का अधिकार ।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को बाधित न करते हुये ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था हो सकेगी :—

(क) धारा ४ के खंड (घ), (ङ) और (च) में वर्णित लगान, अबवाब तथा अन्य देय धनराशियों को आकलित करने की रीति;

(ख) धारा ४ के खंड (ख) में अभिदिष्ट तथा पट्टेदार की अपनी निजकाश्त में लाई हुई भूमि का निर्धारण तथा उसकी व्यवस्था;

(ग) धारा ६ के अधीन भूमियों को अधिकार में लिये जाने से सम्बद्ध विषय;

(घ) आकार और रीति जिसके अनुसार धारा ८ के अधीन प्रतिकर विवरण तैयार किया जायगा ;

(ङ) रीति जिसके अनुसार कलेक्टर धारा १३ के अधीन डिस्ट्रिक्ट जज को आपत्तियां अभिदिष्ट करेगा ;

(च) उन क्षेत्रों में जहां ऐसी दरें पहले से अवधारित न हों, मौरूसी दरों के अवधारण में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धांत;

(छ) अवधि जिसके भीतर इस अधिनियम के अधीन वे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जायं जिनके विषय में इस सम्बन्ध में यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है;

(ज) इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ के उपबन्धों का इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना पत्रों और कार्यवाहियों पर उस दशा में लागू होना जब उनके विषय में इस सम्बन्ध में यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई हो ;

(झ) इस अधिनियम के अधीन अधिकार-क्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी के कर्त्तव्य तथा ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ञ) किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां से किसी दूसरे प्राधिकारी अथवा अधिकारी के यहां कार्यवाहियों का संक्रमण ;

(ट) इस अधिनियम के अधीन प्रार्थना पत्रों तथा अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में उन दशाओं में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिनके लिये यहां पर कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई हो ; और

(ठ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हों अथवा नियत किये जा सकते हों ।

(३) उपधारा (१) तथा (२) के अधीन प्राप्त अधिकारों के अधीन निर्मित नियम राज्य विधान-मंडल के समक्ष यथासंभव शीघ्र रखे जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ से लेकर खंड १८ तक इस विधेयक के अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, शीर्षक और प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, १९५७

सरकारी आस्थानों में भूमि सुधारों के प्रचलन की सुविधा के हेतु वहां ठेकेदारी प्रणाली के विनाश की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

यह इष्टकर है कि सरकारी आस्थानों में भूमि सुधारों के प्रचलन की सुविधा के हेतु वहां ठेकेदारी की प्रणाली के विनाश की तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों की व्यवस्था की जाय।

अतएव, भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार उत्तर प्रदेश के उन जिलों में होगा जो समय-समय पर विज्ञापित किये जायं।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग बनें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू कि उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, १९५७ (U. P. Government Estates Thekedari Abolition Bill, 1957) पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी आस्थान ठेकेदारी विनाश विधेयक, १९५७ (U. P. Government Estates Thekedari Abolition Bill, 1957) पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)]

राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७*

गृह मन्त्री के सभा सचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७ (The State Educational Corps Bill, 1957), जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय।

*९ दिसम्बर, १९५७ की कार्यवाही में छपा है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वाधीनता प्राप्ति के पहले ही हमने एक योजना बनवानी चाही थी कि शिक्षा सैनिक दल की एक योजना बनायी जाय। जब उस योजना पर विचार हो रहा था, १९३९ में मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया और इसलिये वह योजना कार्यान्वित न हो सकी। फिर जब १९४६ ई० में हमको शासन करने का मौका मिला तो हमने योजना तैयार करने के लिये एक समिति बनायी। उस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही सन् १९४८ से सैनिक शिक्षा दल योजना चालू है।

प्रारम्भ में यह योजना ११ शहरों में चालू हुई। सन् १९५० में यह योजना ६ और शहरों में लागू कर दी गई। इस योजना का उद्देश्य यह था कि छात्रों में आत्मविश्वास, स्वतंत्र विचार-शक्ति, आत्मनियंत्रण, अनुशासन वगैरह जैसे गुणों का विकास हो और इसके साथ-साथ हथियारों के इस्तेमाल करने की भी तालीम उसमें देने की कोशिश की गई। इसके साथ-साथ समाज सेवा शिक्षा योजना जो सन् १९४७ से चालू की गई थी जिसका उद्देश्य सामुदायिक जीवन व्यतीत करने और गांवों में रचनात्मक कार्य करने की शिक्षा देना था, सन् १९५३ ई० में सैनिक शिक्षा योजना में मिला दी गई। इस तरह की मिली जुली योजना....

श्री जगन्नाथ लहरी—आन दी प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, क्या कोई मंत्री रिटेन स्टेटमेन्ट किसी विधेयक की बहस में पढ़ सकते हैं ?

श्री इस्तफा हुसैन—मैं पढ़ नहीं, रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय लहरी जी, वह नोट को रेफर कर सकते हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं यह कह रहा हूं कि रिटेन स्टेटमेन्ट हो तो उसे वह पढ़ सकते हैं क्या ?

श्री अधिष्ठाता—नहीं, नहीं वह नहीं पढ़ सकते।

श्री इस्तफा हुसैन—तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो मिली-जुली योजना थी वह शुरू में २० शहरों में लागू की गई थी और बाद को यह मिली-जुली योजना समस्त ५१ शहरों में लागू की गई। इसके बाद इस मिली-जुली योजना में फिजिकल ट्रेनिंग का भी प्रबंध कर दिया गया।

अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि उद्देश्य और कारण से साफ विदित है इस योजना को कानूनी शक्ल देने की व्यवस्था इसलिये की गई कि लाजिमी ट्रेनिंग सैनिक शिक्षा की दी जा सके और अनुशासन बनाये रखने और पदों के प्रदान करने से संबंधित कार्यों को संचालित किया जा सके और योजना में दृढ़ता आ सके। अधिष्ठाता महोदय, जब इस विधेयक की धाराओं पर आप ध्यान देंगे तो उसे पता चल जायगा कि यह विधेयक जब अधिनियम का रूप अख्तियार कर लेगा तो वह टेहरी-गढ़वाल को छोड़कर सभी जिलों के मुख्यवासी नगरों में लागू होगा। टेहरी-गढ़वाल का मुख्यवासी नगर जो नरेन्द्रनगर है वहां यह लागू नहीं होगा।

संयुक्त समिति में विधेयक के नाम में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है जो अब रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेशीय सैनिक शिक्षा दल विधेयक, १९५७ हो गया है। इसमें इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षा सैनिक दल का संगठन प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में आगे भी किया जा सके। संयुक्त दल की इकाइयों में ऐसी संस्थाओं से छात्र भर्ती किये जायेंगे जो नियत शर्तों को पूरा करते हों और राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी इकाई को फिर से संगठित करे या तोड़ दे।

इस विधेयक में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि जब संस्था में इकाई संगठित हो तब कक्षा ११ और १२ का हर एक बालक छात्र शिक्षा सैनिक दल में भर्ती किया जायगा। बाद में इसमें इस बात की भी कोशिश की गई है कि छात्राओं को भी इस प्रकार की शिक्षा दी जाय। इसके साथ-साथ इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि यह योजना अनिवार्य हो। इसलिये

[श्री इस्तफा हुसैन]

अब धारा ६ की जरूरत नहीं रह गई है। पहले जो विधेयक था जो संयुक्त समिति के सामने गया था उसमें यह धारा थी। यह अब निकाल दी गई है और बालिकाओं को शिक्षा देने के वास्ते एक नई धारा ५ (क) रख दी गई है जिससे बालिका छात्राओं की इकाइयों का संगठन हो जायगा।

एक और विशेष चीज इस विधेयक में, जब वह प्रवर समिति से यहां आया है, की गई है कि प्रदेशीय स्तर पर एक परामर्शदात्री समिति के संगठन की व्यवस्था की गई है जो दल के संगठन व प्रशासन से संबंधित नीति के मामलों में शासन को परामर्श देगी।

इसके साथ एक और व्यवस्था की गई है जो नियमों के मुताल्लिक है। पहले नियमों के मुताल्लिक पूरा ब्योरा इस विधेयक में था। अब कोशिश इस बात की की गई है कि जो अनुशासन के वास्ते नियम की मुफस्सिल बातें लिखी गई थीं उनको रूल्स के जरिये से पूरा अख्तियार दिया जाय कि जब कभी नियत तरीके से जो जरूरत होगी रूल्स बनाये जायंगे।

अन्त में अधिष्ठाता महोदय, मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि यह विधेयक, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा यहां आया हुआ है, उस पर विचार किया जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी—अधिष्ठाता महोदय, राज्य में सैनिक शिक्षा देने के सम्बन्ध में प्रवर समिति द्वारा संशोधित जो विधेयक मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका हार्दिक समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सैनिक शिक्षा अनिवार्य रूप से अपने विद्यार्थियों को देने के लिये सर्वप्रथम हमारे प्रदेश की सरकार ने जो कदम उठाया है वह भारत के अन्य प्रदेशों के लिये पथ प्रदर्शन का काम करेगा। उसके लिये भी हमारे प्रदेश की सरकार के प्रति हम लोगों को कृतज्ञ होना चाहिये।

आज जब कि हमारे प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि देश के लिये एक खतरा उत्पन्न होता चला जा रहा है, अभी दो, तीन दिन पूर्व ही ९ तारीख को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री और भारत के प्रधान मंत्री के बीच युद्ध बन्द करने के सम्बन्ध में विचार विनिमय हुआ। कुछ दिनों से पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा भारत के सीमावर्ती इलाकों पर गोली बरसायी जा रही थी, अनधिकृत कब्जा भी किया गया, जिससे वायुमंडल काफी दूषित हो गया था और यह अंदेशा होने लगा था कि कहीं भारत और पाकिस्तान में युद्ध न छिड़ जाय। हो सकता है कि आज भारत और पाकिस्तान में इस युद्ध को रोकने के लिये नून और नेहरू वार्ता कुछ अंशों तक सफल हो गई हो, कुछ छोटी-मोटी बातों के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों में समझौता हो गया हो, लेकिन समाचार-पत्रों में दोनों प्रधान मंत्रियों द्वारा जो विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत की पूर्वी सीमाओं पर जिन प्रदेशों को ले करके यह गोली चल रही थी उनके सम्बन्ध में अभी विचार विनिमय बाकी है। आज साम्राज्यवादी शक्तियां भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को थपथपा रही हैं। पता नहीं भारत को कब उस अशुभ दिन का सामना करना पड़े जब कि एक बार पुनः भारत को अपने देश के रक्षार्थ हथियार उठाना पड़े। भारत शान्ति का प्रचार विदेशों में भी करता है, देश में भी करता है। भारत की नीति शान्ति की नीति है। लेकिन शान्ति की नीति कायरता की नीति नहीं कही जा सकती। शान्ति का प्रचारक, जब कि उसकी खुद की मर्यादा खतरे में हो, उस समय उसे हथियार उठाने के लिये विवश होना पड़ता है। महाभारत में भी आता है कि...

श्री अधिष्ठाता—बहुत जनरल हो रहा है, यह विधेयक प्रवर समिति से आया है, इतना जनरल विचार अब नहीं होना चाहिये।

श्री जगन्नाथ लहरी—आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कृष्ण का उदाहरण दे दूं। जब भगवान श्री कृष्ण से कौरव और पांडवों ने एक साथ एक ही समय सहायता देने की प्रार्थना की तब श्री कृष्ण ने अपनी सारी सेनायें कौरवों के लिये दे दीं और स्वयं उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया और

यह शर्त लगाई कि महाभारत में वह किसी प्रकार का शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे; लेकिन जब भीष्म-पितामह ने उनको ललकारा तब वह भी घटना आती है कि महाराज कृष्ण को रथ के पहिये को लेकर चक्र सुदर्शन के रूप में प्रयोग करना पड़ा। मैं अपने प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी को, जिन्होंने हमारे सूबे के सभी बालक-बालिकाओं के लिये सैनिक शिक्षा को अनिवार्य करने की व्यवस्था की है उसके लिये बधाई देता हूं। इसके साथ ही साथ जो आकर्षण इस बिल में है वह यह है कि सैनिक शिक्षा के साथ-साथ समाज सेवा को भी अनिवार्य किया गया है। इस सदन में रोज बहस होती है और तरह-तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तर में बताते हैं कि भर्थना, औरैया और इटावा आदि में डाक्टर नहीं हैं और पर्वतीय और देहाती इलाकों में डाक्टर जाना पसन्द नहीं करते। हमारे वह शिक्षित नवयुवक जो शिक्षा प्राप्त करने के लिये अपने शैक्षिक गुणज्ञान से समाज की सेवा के लिये आगे बढ़ते हैं वह केवल शहरों तक ही अपनी सेवा को सीमित रखना चाहते हैं और डाक्टरी आदि की शिक्षा जो उन्हें समाज की सेवा के लिये दी जाती है जिसका लक्ष्य मानव समाज की रक्षा करना है, आज वह उसे अपने को गांवों में नहीं ले जाना चाहते अब यदि छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं को समाज सेवा की शिक्षा दी जायगी तो उन्हें आरम्भ से ही गांव में गूलें खोदने से, सड़कों की सफाई करने से और सड़कें बनाने से उस ओर आकर्षण होगा। हमारी यह सरकार ही प्रथम सरकार है जो अपने बालक-बालिकाओं को इस काम के लिये तैयार कर रही है कि वह श्रम की महत्ता समझें और अपने ग्रामीण भाइयों की सेवा करने में किसी प्रकार भी न हिचकें।

आज हमारे यहां गांवों की हालत बहुत खराब है, वहां पर जिस तरह के विकास की आवश्यकता है वह किसी से छिपी नहीं है। आज हमारे यहां शिक्षा का स्तर भी बहुत शीघ्र उठ रहा है, देहातों में भी अब हायर सेकेंडरी स्कूल स्थापित हो रहे हैं। आज यह देखा जाता है कि किसान के बालक भी अगर हाई स्कूल पास कर लेते हैं तो वह कृषि में सहयोग नहीं देना चाहते बल्कि वह एक साधारण क्लर्की की तरफ शहर में आकर निगाह लगा कर चलते हैं और वह हल और खुर्पे से नफरत करते हैं और कलम से ही कृषि की सेवा करना चाहते हैं; लेकिन जब हम इस समाज सेवा की शिक्षा द्वारा बालक-बालिकाओं को ग्रामों में गूलें खोदने, सड़कें साफ करने और सड़कें बनाने आदि का काम करने का अवसर देंगे तो उससे उनके मन में श्रम के प्रति जो नफरत है और घृणा का भाव है वह दूर हो जायगा। इस प्रकार उनके जीवन में एक नया उदय होगा। कहा जाता है कि हरी टहनी को ही मोड़ा जा सकता है, सूखी टहनी को किसी प्रकार नहीं मोड़ा जा सकता। बालक और बालिकाओं का निर्माण उनके बाल्य जीवन में ही किया जा सकता है और जिस प्रकार की शिक्षा-दीक्षा और जिस प्रकार के विचारों को हम उनमें उत्पन्न कर देंगे वही उनके जीवन के निर्माण करने में सहायक होंगे। अगर आज हम अपने बालक-बालिकाओं को इस प्रकार की शिक्षा देंगे कि वह अपने समाज की सुव्यवस्था करने के लिए आगे बढ़ें तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये हमारे बालक और बालिकाएं चाहे डाक्टर बनें या अध्यापक, वह स्वतः अपने ग्रामीण भाइयों की सेवा करने के लिए तैयार रहेंगे, उनसे किसी प्रकार की घृणा नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्हें श्रम से भी किसी प्रकार की नफरत नहीं होगी। इस प्रकार सैनिक शिक्षा के साथ जन-स्वास्थ्य का विकास होगा और साथ ही साथ हमारे नवयुवकों को और हमारी इन बालिकाओं को अपने देश की रक्षा के लिए ऐसा अवसर भी प्राप्त होगा कि यदि भारत ने कभी उस अशुभ दिन को देखा जब कि उसको अपनी रक्षा करना अनिवार्य हो गया तो उस समय एक ही इशारे पर इस प्रदेश के करोड़ों बालक और बालिकाएं अपनी सेवाएं बिना किसी देरी के तुरन्त ही सरकार को अर्पित कर सकेंगे और ऐसी सेना भारत की रक्षा के लिए समर्थ होगी। इस दृष्टि से इस विधेयक का स्वागत करते हुए, क्योंकि अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे संकेत कर दिया है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी द्वारा आ चुका है, इस पर अधिक वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं उस पर अधिक वाद-विवाद करना नहीं चाहता, अपने हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए बार-बार शिक्षा मंत्री को और इस प्रदेश के मंत्रिमंडल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने देश के बालक और बालिकाओं के स्वास्थ्य निर्माण

[श्री जगन्नाथ लहरी]

के लिए देश की रक्षा के आवाहन के लिए तथा समाज की सेवा के लिए सभी को सम्मिलित करके गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। इस विधेयक का सर्वत्र स्वागत किया जायगा और मैं हार्दिक स्वागत करते हुए बार-बार उनका अभिनन्दन करता हूं और मुझे आशा है कि हमारे शिक्षा मंत्री शीघ्रातिशीघ्र ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस प्रदेश के प्रत्येक हायर सेकेंडरी स्कूल में सैन्य-शिक्षा अनिवार्य रूप से देने की व्यवस्था हो जाय।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। उसके कई दृष्टिकोण हैं। हमारे देश और प्रदेश में सेवा का भाव काफी समय से जाग्रत है, ज्ञान सीखने की पिपासा भी यहां पर है और यहां पर विश्वत्व भी रहा है, परन्तु सबसे बड़ी कमी जो रही है वह क्षत्रियत्व की कमी रही है। प्रदेश के शरीर में क्षत्रियत्व की बड़ी कमी रही है और जिस बहुत बड़ी कमी की ओर संकेत किया जाता रहा है उसको हमारे इस मंत्रिमंडल ने इस सैनिक शिक्षा विधेयक को लाकर के पूरा किया है।

इसके साथ-साथ आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी दृष्टि कुछ और बातों की ओर जाती है। हमारे इस देश में और सारे संसार में भी जब कोई कार्य किया जाता है तो उसका उद्देश्य होता है, हमारे इस अहिंसक देश में यदि सैनिक शिक्षा को ले आयें तो स्पष्ट हमारे सामने उसका एक उद्देश्य होना चाहिये। क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा के लिये तो व्यायाम की जो पद्धति थी, जो और सब विधि विधान स्कूलों में थे वह तो थे ही, निशानेबाजी या निशाने को स्पर्श करने का हमारे सामने कोई और बड़ा उद्देश्य होना चाहिये। वह उद्देश्य इसके अन्तर्गत नहीं लिया है। हमारे देश के शासन करने वालों को हमारे बालकों और नौजवानों को बताना होगा कि सैनिक शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है। नये किसी उद्देश्य की ओर उनको चलना है।

दूसरी कमी जो इस विधेयक में है वह सैनिक शिक्षा के उपरान्त उनको किन्हीं पौष्टिक तत्वों से स्पर्श कराने की है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कोई गम्भीर जल-पान पाठशालाओं में सैनिक शिक्षा के पश्चात् होना चाहिये। उनके शरीर में कोई ऐसी वस्तु जानी चाहिये जिससे कि वह उद्देश्य पूरक हो सके, क्योंकि केवल अंग विन्यास से कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ करता है। ऐसी अनेक प्रकार की कमियां इस विधेयक के अन्तर्गत हैं। (कुछ रुककर) हमारे एक आदरणीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इसके अन्तर्गत और भी बात है लेकिन मैं उधर संकेत करूंगा तो सदन का समय लूंगा और केवल हमारा एक भाषण हो जायगा, जिसे हम समझते हैं माननीय सदस्य बहुत पसन्द भी नहीं करते, क्योंकि यह एक निर्विरोध विधेयक है। इसलिये जिधर मैंने संकेत किया है उतना ही माननीय मंत्री जी के लिये पर्याप्त है और वे इसे नियमावली में लाने की कृपा करेंगे वरना यह उद्देश्यविहीन हो जायगा।

सैनिक शिक्षा का श्रीगणेश हिटलर ने किया था। विरोधी तत्वों ने हिटलर को बहुत बदनाम किया है लेकिन कुछ दृष्टियों में उसका नाम प्रातःस्मरणीय रहेगा। वह जब अपने विद्यार्थियों का नाम उस उद्देश्य के साथ पुकारता था तो आंगन में वहां के बच्चे और स्त्रियां डांस करने लगते थे। उनके सामने एक उद्देश्य रहा करता था। इस देश के प्राचीन इतिहास में भी सैनिक शिक्षा का एक संकेत है। पर उस समय "कृण्वन्तो विश्वमार्यम्" वाली बात थी। और बड़े-बड़े वाक्य थे। तो हमारे सामने निशाना लगाने की बात है कि वह अग्नि स्पर्श कहां करे।

ऐसी छोटी-मोटी त्रुटियां और हैं। इसके अन्तर्गत, बालकों के स्वास्थ्य के संबंध में और फिर उनके गुरु कहां से और कैसे लाये जायं, आरमी से लाये जायं या और कोई लोग हों। आज मनुष्य के चरित्र का निर्माण करना बहुत आवश्यक हो गया है। इस समय तो हम पुल बना रहे हैं, सीमेंट, चूना इत्यादि बना रहे हैं पर मनुष्य के चरित्र निर्माण की ओर हमारी दृष्टि उतनी तीव्रता से नहीं है। मेरे कहने का कुछ और अभिप्राय नहीं है।

मनुष्य के निर्माण की ओर यह विधेयक संकेत करता है और उसमें जो कमी हो उसे हमें पूरा करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस आदरणीय सदन का समय नहीं लेना चाहता, मैं समझता हूं कि पर्याप्त संकेत मैं कर चुका हूं।

*श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक आज सदन के सामने उपस्थित है उस का उद्देश्य बहुत सराहनीय है। सैनिक शिक्षा अनिवार्य करने की बात बहुत दिनों से चलायी जा रही थी और इसे आज से बहुत पहले हो जाना चाहिये था किन्तु दुर्भाग्यवश समय पर यह नहीं हुआ, कुछ देर करके हुआ। इसके बहुत सारे लाभ बतलाये गये हैं। देश रक्षा के कार्यों में बतलाया गया है कि ये सैनिक शिक्षा पाये हुये विद्यार्थी कारगर होंगे। मैं इससे पूर्णतया सहमत नहीं हूं। कारण, आज राइफल का युग नहीं रह गया और न हाथ में लेकर लड़ने वाले हथियारों का ही युग रह गया है। आज विज्ञान का युग है। जब बड़े-बड़े अस्त्र-शस्त्र तैयार किये जा रहे हैं जिन से सारी मानवता का संहार किया जा सकता है, उस युग में हमारे छात्रों को राइफल चलाने की सैनिक शिक्षा दी जाय, इससे देश का बहुत बड़ा काम होगा यह मैं मानने को आज तैयार नहीं हूं। हां, एक बात मैं अवश्य मानने को तैयार हूं कि आज हमारे विद्यार्थी समाज में जो ढीलढाल पैदा हो गयी है और जिस तरह से उच्छृंखलता फैलती जा रही है इस उच्छृंखलता के नियंत्रण में यह सैनिक शिक्षा अवश्य कारगर होगी और इसके साथ-साथ समाज सेवा के जो कार्य मिला दिये गये हैं उनके कारण विद्यार्थी समाज में और जनता में एक प्रेरणा अवश्य पैदा होगी जिसके द्वारा जो सामाजिक सेवाओं की भावना आज हमारे देश में कुछ विलीन सी हो रही थी वह पुनः जाग्रत हो सकेगी।

एक युग था आज से कुछ दिन पहले जब हम गुलाम थे, विद्यार्थियों में सामाजिक सेवा की भावना आज से कहीं अधिक थी। लेकिन आज जब हम अपने देश के निर्माण के लिये, समाज का कार्य करने के लिये झंडा लेकर निकलते हैं तो पीछे चलने वाले लोगों की कमी महसूस होती है। आज हमें यह महसूस होता है कि आज शिक्षण लयों में जिस समाज सेवा की भावना पहले प्राप्त होती थी वह अब नहीं हो रही है। आज हमारा देश स्वाधीन अवश्य है, लेकिन इस युग में रवीन्द्रनाथ टैगौर जैसे पुरुष पैदा नहीं हुये हैं, जगदीशचन्द्र बसु जैसे वैज्ञानिक दिखाई नहीं देते और रमन जैसा पुरुष पैदा हुआ हो ऐसा भास नहीं होता है। लेकिन मैकाले की पद्धति जिसकी हमने शिकायत की थी उसी युग में हमने बड़े-बड़े नेता, वैज्ञानिक तथा विद्वान पैदा किये थे। आज आवश्यकता इस बात की थी कि हर एक विद्यालय के साथ बड़े-बड़े वैज्ञानिक कारखाने अटैच किये जाते और उनके साथ-साथ विद्यार्थियों को व्यवहारिक रूप से ज्ञान का अनुभव कराने का तथा लाभ उठाने का मौका दिया जाता और उसमें वह इतने तल्लीन हो जाते कि दूसरी बातों के सोचने का उन्हें वक्त ही नहीं मिलता।

राष्ट्र की सम्पत्ति में कैसे समृद्धि हो सकती है तथा वैज्ञानिक कैसे सहायक हो सकता है और इस युग में नवयुवक कैसे राष्ट्र का अस्तित्व कायम रख सकते हैं, इन चीजों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये था। हो सकता है कि इस ओर हमारा कदम धीरे-धीरे बढ़ रहा हो। लेकिन यह भी जो कुछ हम कर रहे हैं, अच्छा ही है और इससे हमारे समाज को कुछ न कुछ बल प्राप्त होगा ही और विद्यार्थियों में अनुशासनप्रियता आयेगी और जो परिस्थिति है, आर्थिक स्थिति है, इन सारी चीजों को देखते हुये जो कुछ भी हो रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सदन पूर्ण रूप से, सर्व सम्मति से इसे स्वीकार करेगा।

श्री कैलाशकुमार सिंह (जिला बदायूं)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्य और कारण पढ़ने से ज्ञात होता है कि प्रदेश के नवयुवक विद्यार्थियों में अनुशासन एवं समाज सेवा की भावनाओं को जाग्रत करने के लिये इस विधेयक को लाना इष्टकर था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश कुमार सिंह]

यह शिक्षा १९४७ से यहां पर आरम्भ हुई। इसमें काफी प्रयोग हो चुका है और मेरा अनुभव जो इसके संबंध में है वह मैं थोड़े से शब्दों में आपके सम्मुख रखूंगा।

अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक्स हुये। उससे पहले भी स्ट्राइक्स हुये। उन स्ट्राइक्स को देखने से यह अनुभव होता है कि जितने भी विद्यार्थी एन० सी० सी० और पी० ई० सी० के थे उन्होंने स्ट्राइक्स में भाग नहीं लिया। जितने भी उत्सव वगैरह वहां होते हैं उनमें अनुशासन कायम रखने के लिये उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। वे उनमें सहयोग देते हैं। पी० ई० सी० के विद्यार्थियों के चरित्र और रहन-सहन के तरीके को देख कर अब तक का यह अनुभव है कि इस शिक्षा का अनिवार्यतः हमारे युवकों पर प्रभाव पड़ा है। इस विधेयक को लाकर हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने जो पहले कार्य प्रचलित था उसमें जो कमी थी उसकी पूर्ति की है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। वह इसके लिये बधाई के पात्र हैं।

सैनिक शिक्षा के साथ-साथ समाज सेवा की भावनाओं को भी जाग्रत करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। हमारे एक भाई ने निवेदन किया कि हमारे यहां क्षत्रियत्व भाव की कमी है। लेकिन मैं समझ नहीं सका कि क्षत्रि त्व भाव से उनका क्या मतलब था। मैं जहांतक समझता हूं उसका मतलब यह है कि हम इतने बलवान हों कि किसी की हिम्मत हम पर हमला करने की न पड़े और हम किसी पर हमलावर न हों। हमने पंचशील का सिद्धांत स्वीकार किया है और पंचशील के सिद्धांत के मातहत हम किसी दूसरे देश पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि हम कायर या डरपोक हैं। हम कायर नहीं हैं। हम को इतना बलशाली होना चाहिये और हमें अपनी आने वाली संतानों को इतना बलशाली, मानसिक और शरीरिक तरीके से बनाना चाहिये जिससे हम कोई खतरा महसूस न कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ अहिंसा के सिद्धांत को भी हमें ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रख कर लेजिस्लेशन के जरिये से उनकी मनोवृत्ति के अन्दर उसको उतार देना है।

दूसरे, यह विधेयक हमारे नवयुवकों के चरित्र निर्माण में बड़ा सहायक होता है, शासन-बद्धता और सेवा भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि उससे उच्छृंखलता का ह्रास होता है। विद्यार्थियों को भय रहता है कि मेरे चरित्र पर मेरा कोई अफसर या अध्यापक आक्षेप न कर दे। यह शिक्षा ११वें और १२वें क्लास में दी जायगी। उससे चरित्र निर्माण जो कि नये मनुष्य के एवोल्युशन (evolution) में बहुत ही आवश्यक अंग है वह आरम्भ होगा और जब ११वें, १२ वें दरजे से ही लड़कों के चरित्र में अनुशासनबद्धता, अनुशासनप्रियता और समाज सेवा की भावनायें जाग्रत होंगी और उनके कैम्पों द्वारा वह देहातों में जा कर समाज सेवा करेंगे, कवायद सीखेंगे। उनकी मेंटल ग्रोथ इस प्रकार की होगी कि हर चीज को क्रम-बद्ध रूप में (systematised way) में सोच सकते हैं। आज हम देश के लिये करोड़ों रुपया व्यय कर रहे हैं प्लानिंग और दूसरी योजनाओं में जिनके जरिये हम कृषि, व्यवसाय और उद्योगों को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ-साथ एवोल्युशन आफ मैन (evolution of man) भी आवश्यक है। मेरा ऐसा विचार है कि इस नये मनुष्य की उत्पत्ति में यह विधेयक सहायक होगा। इस विधेयक द्वारा बच्चों की मनोवृत्ति को डेफिनिट चैनल्स में ढाला जा सकता है। नियोजित ढंग से सोचने के लिये उनकी मनोवृत्तियों को संचालित किया जा सकता है। जाहिर है कि इस विधेयक द्वारा जो शिक्षा देने वाले होंगे उनको भी मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी। अब तक ऐसा ही हुआ है और आइन्दा भी इसमें मेरा यही निवेदन है कि इस विधेयक के क्रियात्मक रूप में आने पर इसके कार्यों को देखने के लिये हमारे शिक्षकों और कुछ अन्य सम्मानित व्यक्तियों की एक कमेटी बना दी जाय जिसके द्वारा यह देखा जाय कि इस विधेयक में निहित मनोभाव हमारे विद्यार्थियों में उत्पन्न होते हैं या नहीं।

अधिष्ठाता महोदय, यह भी आवश्यक है कि हम बार-बार इस विधेयक का असर अपने विद्यार्थी वर्ग पर देखते रहें, क्योंकि आज के विद्यार्थी वर्ग में ऐसा भी तत्व है जिसमें उच्छृंखलता है, जो आये दिन छोटी-छोटी बातों में स्ट्राइक, ढेले चलाना, पत्थर फेंकना, सड़कों के बल्ब तोड़ना आदि काम करते रहते हैं। लेकिन मेरा मतलब यह नहीं है कि सभी विद्यार्थी ऐसे हैं। हमारा काफी विद्यार्थी वर्ग अनुशासित है लेकिन बहुत से ऐसे अवांछनीय विद्यार्थी हैं जो ऐसे कार्य करते हैं। उनकी वजह से सब बदनाम होते हैं जैसे कि एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है। तो ऐसे लोगों के लिये भी मेरा यह सुझाव है कि इसमें ऐच्छिक न रखा जाय। जितने भी विद्यार्थी ११वें और १२वें के हों यदि वे ऊपर डिग्री क्लासेज में भी जायं तो उनके लिये यह शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। इससे उनका शारीरिक और मानसिक पुष्टीकरण होगा। इतना ही कहकर अब मैं बैठता हूं।

श्री इस्तफा हुसैन—अधिष्ठाता महोदय, मैं सब से पहले इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब मैंने इस विधेयक को सदन के सन्मुख विचारार्थ रखा था तो मैंने जो अपना भाषण दिया था उसमें शायद इस बात को मैं कह गया कि टेहरी-गढ़वाल के मुख्यवासी नरेंद्रनगर में यह योजना चालू नहीं होगी। यह बात सत्य है, लेकिन इसके साथ-साथ नरेंद्रनगर के अलावा अब जब कि टेहरी-गढ़वाल का मुख्यवासी नगर नरेंद्रनगर से टेहरी नगर हो गया तो यह योजना वहाँ पर अवश्य चालू होगी।

जहां तक अन्य माननीय सदस्यों के विचारों का संबंध है मैं उन सबका बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक का स्वागत ही स्वागत किया है, क्योंकि इस विधेयक की जो आवश्यकता थी उसको सदन के सदस्यों ने मानकर ही अपने विचार रखे हैं। यों तो एकाध सदस्यों ने कुछ ख़यालात ऐसे रखे हैं जो मैं समझता हूं कि ऐसे हैं कि जो इस शिक्षा के प्रति बहुत अधिक व्यापकता के संबंध में हैं। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह योजना समस्त स्कूलों में लागू होनी चाहिये। उनको मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जैसा मैंने बताया था कि यह योजना ११वें और १२वें दरजे में पी० ई० सी० की है और एन० सी० सी० डिग्री कालेजेज में और ९वें और १०वें में पहले से चालू है और जब कभी हमको अवसर मिलेगा और धन मिलेगा तो हम और स्थानों में भी जो मुख्यवासी नगरों के अलावा हैं, उनमें भी अपनी इस योजना को लागू करेंगे।

जहां तक माननीय रामलखन मिश्र जी का विचार है, जो उन्होंने कहा कि हमारे विद्यार्थियों को पौष्टिक सामग्री विद्यालयों में मिलनी चाहिये, तो वह पौष्टिक सामग्री केवल खाने की नहीं हो सकती है। अगर उनके विचार स्वस्थ होंगे तो वही उनके लिये पौष्टिक सामग्री होगी। उस विचार से, उस धारणा से और समाज की सेवा से उनका ही नहीं बल्कि समाज का भी कल्याण होगा। वही उनके लिये कल्याणकारी होगा। हमारा यह विचार है कि यही उनके लिये सब से अच्छी पौष्टिक गिज़ा होगी न कि मेवा और फल। कुछ लोग मेवा और फल भी खाते रहते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता है। वह तो विचारों से संबंध रखता है। अगर विचार इस तरह के होंगे कि जो साफ होंगे और गन्दे नहीं होंगे तो चाहे हम कोई मामूली सी चीज ही खायें उससे फायदा होगा।

और बातों के सिलसिले में माननीय कैलाश कुमार सिंह जी ने जो कहा कि हमें विद्यार्थियों को ऐसी बातें सिखानी चाहिये कि जो मिलिटरी की सी हों और उन्होंने यह भी कहा कि हम यह आवश्यक नहीं समझते कि हमारे देश में कभी यह नौबत आयेगी कि हम किसी दूसरे के ऊपर आक्रमण करेंगे। हम यह समझते हैं कि हमको कभी इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमें किसी दूसरे देश पर धावा बोलना पड़े। हम तो गांधी जी के चेले हैं। हम कभी भी इस बात में विश्वास नहीं करते हैं कि हम को किसी के विरुद्ध हथियार इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़नी चाहिये। लेकिन यूं हमें तैयार हर समय और हर घड़ी रहना

[श्री इस्तफा हुसैन]

चाहिये और हमारे नौजवान, जिन के लिये यह बिल लाया गया है, हम चाहते हैं कि वे मजबूत हों ताकि उनके दिल में विश्वास जमें और उससे हम लोगों को बड़ी ताकत मिलेगी। जब हम समाज की सेवा करेंगे तो हम सेवा करते-करते इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उससे हम अपने को ही नहीं बल्कि देश को भी मजबूत करेंगे। इन शब्दों के साथ में चाहता हूं कि यह सदन इस विधेयक पर विचार करे और पारित करे।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २—५ (क)

परिभाषाएं।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :—

(क) "सैनिक दल" (corps) का तात्पर्य है इस अधिनियम क अधीन संघटित प्रदेशीय शिक्षा दल ;

(ख) "प्रविष्ट" (enrolled) का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन सैनिक दल में प्रविष्ट ;

(ग) "अधिकारी" (officer) का तात्पर्य है धारा ८ के अधीन नियुक्त अधिकारी ;

(घ) "नियत" (prescribed) का तात्पर्य है इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत ;

(ङ) "संस्था" का तात्पर्य है राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अभिज्ञात शिक्षण संस्था जिसमें कक्षा ११ व १२ की शिक्षा दी जाती है ;

(च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य है उत्तर प्रदेश की सरकार ;

(छ) "कैडेट" से तात्पर्य है उस छात्र से जो इस अधिनियम के अधीन सैनिक दल में प्रविष्ट किया गया हो ;

राज्य शिक्षा सैनिक दलों का संघटन।

३—(१) राज्य सरकार द्वारा एक सैनिक दल (corps) का आयोजन, संघटन तथा सम्पोषण होगा और इसका नाम प्रदेशीय शिक्षा दल होगा।

(२) सैनिक दल में एक या एक से अधिक इकाइयां होंगी और किसी इकाई में ऐसी संस्था अथवा संस्थाओं के छात्र भर्ती किये जायेंगे जो नियत शर्तों को पूरा करती हो या हों और जिसका या जिनका नाम राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञापित करे।

(३) राज्य सरकार नियत रीति से इस प्रकार संघटित किसी भी इकाई (units) को विघटित अथवा पुनस्संघटित कर सकती है।

प्रवेश (enrolment)।

४—नियत शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुये धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन विज्ञापित प्रत्येक संस्था की कक्षा ११ तथा कक्षा १२ का प्रत्येक बालक (male) [विद्यार्थी] छात्र जो नियत आयु से कम का न हो सैनिक दल में प्रविष्ट किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि नियत अधिकारी किसी भी विद्यार्थी को स्वास्थ्य, शारीरिक अक्षमता या अन्य किसी ऐसे आधार पर, जो नियत किया जाये, प्रवेश से मुक्त कर सकता है ।

कृत्य (function)

५—प्रत्येक कैडेट कवायद (dril) करने के लिये तथा आयुध प्रयोग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये बाध्य होगा और ऐसी समाज सेवा करेगा तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन एवं अन्य कृत्यों का निर्वहन (discharge) करेगा जो नियत किये जायं ।

छात्राओं की इकाइयां बनाने का अधिकार

५—(क) इस सम्बन्ध में नियत शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुये राज्य सरकार छात्राओं की इकाइयां भी संघटित कर सकती है ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ से खंड ५-(क) तक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामलक्षण तिवारी—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । जब "नहीं" कहने वाला एक व्यक्ति भी नहीं है तो क्या आपका "हां" की संख्या अधिक है, कहना जरूरी होता है ? और जो नहीं में हों "नहीं" कहें, यह पूछना जरूरी है ?

श्री अधिष्ठाता—पूछना तो जरूरी होता है ।

खंड ६ निकाल दिया गया है सेलेक्ट कमेटी से । खंड ७ में संशोधन है ।

खंड ७

कार्यच्युति (Discharge)

७—सैनिक दल में प्रविष्ट प्रत्येक कैडेट संस्था की, जिससे वह सम्बद्ध हो, उपस्थिति पंजी (roll) में उसका नाम न रहने पर सैनिक दल से कार्य-च्युत होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी प्रविष्ट कैडेट, उन शर्तों के अधीन रहते हुये, जो नियत की जायं, किसी भी समय नियत अधिकारी द्वारा दल से कार्य युत किया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७ (क)

परामर्श समिति

७—(क) राज्य सरकार प्रदेशीय शिक्षादल के संगठन व प्रशासन से सम्बन्धित नीति के मामलों में परामर्श देने के लिये एक परामर्शदात्री समिति संघठित करेगी जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :

(१) शिक्षा मंत्री, जो समिति के, अध्यक्ष होंगे,
(२) उपमंत्री, शिक्षा,
(३) शिक्षा सचिव,
(४) शिक्षा संचालक,
(५) सर्किल कमान्डर, एन० सी० सी०,
(६) उत्तर प्रदेश में स्थित किसी विश्वविद्यालय या उपकुलपति जो प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जायगा,

---

नोटः—खंड ६ संयुक्त प्रवर समिति ने निकाल दिया ।

(७) संस्थाओं के दो प्रधानाचार्य तथा दो अध्यापक जो प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे,

(८) विधान मंडल के तीन सदस्य जिन में से दो विधान सभा द्वारा और एक विधान परिषद् द्वारा चुने जायेंगे ।

(९) राज्य सराकर के वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि,

(१०) दो गैर सरकारी सदस्य जो प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे,

(११) निर्देशक, सैनिक शिक्षा, जो समिति के सेक्रेट्री होंगे ।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)---अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ७--क के उपांतीय शीर्षक शब्द 'परामर्श समिति' के स्थान पर शब्द 'परामर्शदात्री समिति' रख दिये जायं ।

अधिष्ठाता महोदय, एक तो यह भाषा को शुद्ध करता है और दूसरे इस धारा में परामर्शदात्री समिति ही लिखा गया है, शब्द 'परामर्शदात्री समिति' ही उस अर्थ को पूरा करता है । उसी से यहां अभिप्राय भी है । अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे ।

श्री रामलखन मिश्र---अधिष्ठाता महोदय, मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि मक्षिका के स्थान पर मक्षिका नहीं होनी चाहिये । परामर्श समिति के स्थान पर परामर्शदात्री समिति रखने के लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन परामर्श समिति इतना पूर्ण और शुद्ध है कि इसमें दात्री शब्द का जोड़ा जाना निरर्थक है, भाषा की दृष्टि से भी और सौंदर्य की दृष्टि से भी । दात्री शब्द का इसमें जोड़ देना कोई आवश्यक नहीं है और यह भाषा की दुर्बलता का सूचक है । मैं यह पांडित्य प्रदर्शन के लिये नहीं कह रहा हूं, यह एक समासिक शब्द बन जाता है और उसकी योजना भाषा के भाव और सौंदर्य दोनों दृष्टियों से उचित है । अतः मैं निवेदन करूंगा परामर्श समिति ही रखा जाय । वैसे सदन जैसा भी उचित समझता हो वैसा निर्णय दे ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इन शब्दों की बहस में तो जाना नहीं चाहता, लेकिन यह परामर्शसमिति बहुत ही आवश्यक है । अगर आपकी आज्ञा हो तो इस पर जरा सा रौशनी डाल दूं । इससे बड़ी मदद मिलेगी ।

हुजूर वाला, एक जमाना था जब हमारे मुल्क में खूबियां ही खूबियां थीं । उसके बाद जमाना पलटा और खराबियां पैदा हो गईं । उनको दूर करने के लिये परामर्श समिति रखी गयी । हमारे मुल्क में विद्वानों और बलवानों की कमी नहीं थी । पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी विद्वान और बलवान थीं । जिस समय शुंभ निशुंभ से लड़ाई छिड़ी तो देवता लोग उनसे हार गये । उसके बाद दुर्गा जी ने कहा कि मैं लड़ूंगी । देवताओं ने कहा कि क्या चूड़ी वाले हाथ हथियार उठायेंगे तो उन्होंने कहा कि हां, मैं लड़ने के लिये जाऊंगी---

जंग में भालों पै खेलेगी यह भोली देखना,
सिंहनी का जब शिकार आये तो बोली देखना ।
चूड़ीवाले हाथों में जब तेग तौली देखना,
दुश्मनों के खून से जब होगी होली देखना ।

खैर बिगुल बजा। स्त्रियों की फौज तैयार हुई। लड़ाई के मैदान में गयीं। दुर्गा ने पहले पगाम भेजा—

त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाःसन्तु हविर्भुजः

यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ।

तीनों लोकों का मालिक इन्द्र हो जाय, देवताओं को यज्ञ का भाग फिर मिले और यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को चले जाओ। तब शुंभ निशुंभ कहने लगे "तुम इतनी सूबसूरत हो, कोमल हो, शेर पर सवार हो, बुजदिल देवताओं के साथ शोभा नहीं पाती हो, वे तो कमजोर हैं; जब मेरा तलवार चमकता है तो उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं, जब मैं गरजता हूं तो वे भागने लगते हैं, यदि तुम मेरे साथ रहो तो पाताल तो क्या नर्क में भी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिये तैयार हूं।"

इस पर दुर्गा जी बोलीं कि "यह ठीक है, लेकिन इसका क्या सबूत है कि तुम बलवान् हो, मेरी शादी की शर्त है कि—

"यो मां जयति संग्रामे, योमेदर्पं व्यपोहति,

यो मे प्रतिबलो लोके, सने भर्ता भविष्यति"

देवी ने कहा कि "मैं उससे शादी करूंगी जो लड़ाई में मुझको जीते और मेरे अभिमान को चूर्ण करे, किन्तु अगर लड़ाई में जीत न सके तो कम से कम मेरे मुकाबले का ही हो।" उसके बाद गजब की लड़ाई हुई, जमीन पर, आसमान में और पाताल में। इसके बाद उन्होंने विजय और सिंहासन को प्राप्त किया। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि रामायण, महाभारत और सप्तशती इसके कोर्स में रख दिये जायं ताकि हमारे सैनिक, लड़के और लड़कियां उस को पढ़ कर लाभ उठा सकें——

दूसरी बात, श्रीमन्, श्रमदान के लिये बड़ा जोर दिया गया है.....

श्री अधिष्ठाता—विषयान्तर हो रहा है, आप संशोधन पर ही आ जायं।

श्री सीताराम शुक्ल—विषयान्तर तो मैं पहले ही से हो रहा हूं, आपकी मेहरबानी से मैंने इतना कह दिया क्योंकि बात जरूरी कह रहा हूं। मैं एक जुमला कह कर समाप्त कर दूंगा। मेरी प्रार्थना है कि यह जो स्कूलों में श्रमदान कराया जाता है इसको समाप्त किया जाय। काशी विद्यापीठ में लड़कों को बढ़ई का काम सिखाया जाता है और वहां के सीखे हुए व्यक्ति यहां मिनिस्टर भी हैं, तो उनको इतने दिन तक बढ़ई का काम सिखलाने से क्या फायदा हुआ? आपको चाहिये कि बढ़ई, लोहारी आदि का काम उन लोगों को सिखलावें जो आगे चल कर अपने जीवन में उसका कुछ फायदा उठा सकें। महात्मा गांधी जी रोज चर्खा काता करते थे, लेकिन आज वर्किंग कमेटी के मेम्बर चर्खा नहीं चलाते हैं। तो इस तरह से जो ब्रिलिएंट लड़के हैं उनका टाइम श्रमदान जैसे काम में नष्ट नहीं करना चाहिये, पढ़ने लिखने वाले लड़कों से पढ़ाने लिखाने का श्रमदान लेना चाहिये। आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का इतना मौका दिया, इसके लिये मैं आपको तहेदिल से धन्यवाद देता हूं।

श्री इस्तफा हुसैन—अधिष्ठाता महोदय, माननीय जगदीश प्रसाद जी ने जो संशोधन 'परामर्शदात्री समिति' के रखने के लिये रखा है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री रामलक्षण तिवारी—अधिष्ठाता महोदय, यदि "परामर्श" और "समिति" के बीच में एक डैस रख दिया जाय तो उसका अर्थ ठीक हो जाता और कोई शिकायत नहीं रह जाती।

श्री जगदीश प्रसाद--अधिष्ठाता महोदय, मुझे कुछ ज्यादा बात नहीं कहनी है मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन ठीक है। कुछ, सज्जन ऐसा समझते हैं कि ऐडवाइस कमेटी होती है, लेकिन वह ऐडवाइजरी कमेटी होता है, ऐडवाइजरी कमेटी नहीं। "परामर्श" के बाद "दात्री" लगा देने से "परामर्शदात्री समिति" हो जाता है और इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन ठीक है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ७--क के उपांतिय शीर्षक शब्द 'परामर्श समिति' के स्थान पर शब्द 'परामर्शदात्री समिति' रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री सूरतचन्द रमोला** (जिला टेहरी गढ़वाल)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७--क का भाग (५) निकाल दिया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, खंड ७--क के भाग (५) में सर्किल कमांडर एन० सी० सी० को परामर्शदात्री समिति का सदस्य रखा गया है। इस संशोधन के द्वारा हम यह चाहते हैं कि सर्किल कमांडर एन० सी० सी० इसका मेम्बर न रहे। इसका कारण है कि इस समिति के लिये लगभग १४ मेम्बर्स हैं, इसमें से ग्यारहवां जो कि निर्देशक सैनिक दल का होगा वह इस समिति का सेक्रेटरी होगा। तो इस दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि सर्किल कमांडर को इस समिति का मेम्बर नहीं होना चाहिये। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस अमेंडमेंट को स्वीकार करें।

श्री कैलाशकुमार सिंह--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा ऐसा मत है कि यह संशोधन उचित नहीं प्रतीत होता। इसलिये कि आगे चल करके भी पी० ई० सी० के बाद, ११ वें, १२ वें दर्जे के बाद जब कि लड़के बी० ए० में जायेंगे तो उनको एन० सी० सी० में हो जाना पड़ता है। और इस उद्देश्य को लेकर के सम्भवतः प्रवर समिति ने इसमें इनको मेम्बर बनाया हो कि वह भी शुरू से इनकी अच्छाइयों और बुराइयों को देखते रहें और उसका जो प्रभाव पड़े उसको देखते रहें। इसलिये इनका रहना एन० सी० सी० के कमांडर का इस समिति में आवश्यकीय है।

श्री इस्तफा हुसैन--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन इस वक्त विचारार्थ हमारे सामने है वह है सर्किल कमांडर एन० सी० सी० के इस परामर्शदात्री समिति का सदस्य होने के वास्ते.....

श्री अधिष्ठाता--आप संशोधन को स्वीकार करते हैं या नहीं?

श्री इस्तफा हुसैन--मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ७--क का भाग (५) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७--क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड ८

अधिकारियों की नियुक्ति।

८—(१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त,

(क) एक सैनिक शिक्षा निर्देशक,

(ख) एक या एक से अधिक सैनिक शिक्षा सहायक निर्देशक,

(ग) एक या एक से अधिक कमान्डेन्ट, सहायक कमान्डेन्ट, क्वार्टर मास्टर तथा स्टाफ इन्स्ट्रक्टर,

(घ) अन्य अधिकारी तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारी वर्ग जिनकी-जिनकी आवश्यकता हो,

समय-समय पर नियुक्त कर सकती है।

श्री जगदीश प्रसाद—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति २ में शब्द "स्टाफ इन्स्ट्रक्टर" के पश्चात् शब्द "तथा" जोड़ दिया जाय।

यह कोई वैसा संशोधन नहीं है। यह क, ख, ग, घ था, तो घ के अन्त में स्वभावतः "तथा" शब्द आ जाना चाहिये था। वह किसी प्रकार रह गया था। इसलिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया था। आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री इस्तफा हुसैन—मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति २ में शब्द "स्टाफ इंस्ट्रक्टर" के पश्चात् शब्द "तथा" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

अधिकार और कर्त्तव्य।

९—(१) सैनिक शिक्षा निर्देशक तथा सैनिक शिक्षा का प्रत्येक सहायक निर्देशक ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा तथा कमान्डेन्टों और अन्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा अधीक्षण (supervision and suprintendence) संबंधी ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो नियत किये जायं।

(२) कोई भी कमान्डेन्ट तथा अन्य अधिकारी इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियमावली द्वारा, या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग अथवा उस पर आरोपित कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

श्री जगदीश प्रसाद—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "तथा" और शब्द "सैनिक" के बीच में शब्द "प्रत्येक" रख दिया जाय, तथा पंक्ति १ के शब्द "का प्रत्येक" निकाल दिये जायं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जिस अधिकारी से सम्बन्ध रखता है उसका पूरा नाम है, "सैनिक शिक्षा का सहायक" और उसके बीच में "प्रत्येक" शब्द रख दिया गया था, पूरे नाम के बीच में "प्रत्येक" शब्द रख दिया गया था। वह भाषा बिलकुल गलत हो गई थी। उसका उपयुक्त रूप इस प्रकार होगा कि वह उसके पहले आये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री इस्तफा हुसैन—मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ९ क उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "तथा" और शब्द "सैनिक" के बीच में शब्द "प्रत्येक" रख दिया जाय, तथा पंक्ति १ के शब्द "का प्रत्येक" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १० व ११

१०--कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी नियम का उल्लंघन करता है ऐसे दंड का भागी होगा जो नियत किया जाय।

इस अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों से रक्षा।

११--(१) इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा अथवा निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के निमित्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन (Prosecution) या अन्य विधिक कार्यवाही न हो सकेगी।

(२) इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा अथवा निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के कारण हुई अथवा सम्भाव्य क्षति के कारण राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद अथवा अन्य विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १० तथा ११ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

अधिकारों का प्रतिनिधायन (Delegation)।

१२--इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कोई भी अथवा समस्त अधिकार, ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा, उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार इस सम्बन्ध में नियत करे, प्रयुक्त अथवा सम्पादित किये जा सकते हैं।

श्री जगदीश प्रसाद--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड १२ की पंक्ति २ में प्रवर समिति द्वारा निकाला गया शब्द "और" पुनः जोड़ दिया जाय।

मैं भी प्रवर समिति में था, माननीय अधिष्ठाता महोदय, परन्तु कुछ याद नहीं पड़ता कि किस तरह से यह निकाल दिया गया? इस "और" के निकालने से भाषा गलत हो जाती है। इसकी बिलकुल आवश्यकता है। ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा और उन शर्तों के अधीन. . . ., इस प्रकार यह है। यह भाषा को ठीक करता है।

श्री जगन्नाथ लहरी--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। क्या सेलेक्ट कमेटी का कोई सदस्य सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में कोई संशोधन प्रस्तुत कर सकता है?

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे विचार में ऐसा संशोधन जिसका गहराई से कोई सम्बन्ध हो, वह तो नहीं होना चाहिये, लेकिन भाषा सौन्दर्य वृद्धि के लिये, उसके शरीर को सुन्दर बनाने के लिये वे संशोधन कर सकते हैं, डिबार नहीं हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी--अधिष्ठाता महोदय, मेरी राय में, आप इन नियमों को देखें तो इसका सही निर्णय भी हो सकता है कि सेलेक्ट कमेटी का कोई भी सदस्य अपनी दी हुई रिपोर्ट में, सदन में विधेयक पर दुबारा विचार करने पर कोई भी संशोधन नहीं पेश कर सकता है। और जब कि जगदीश प्रसाद जी स्वयं कहते हैं कि वे सेलेक्ट कमेटी के सदस्य थे तो उन्हें कोई भी संशोधन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--मैं समझता हूं कि जो बात आप कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं। मगर यह शाब्दिक है। इतना ही है। बात तो आप सही कहते हैं। मेरे ख्याल से संशोधन पेश करने का कोई रूल नहीं है। मगर यह शाब्दिक है।

श्री इस्तफा हुसैन--मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १२ की पंक्ति २ में प्रवर समिति द्वारा निकाला गया शब्द "और" पुनः जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३-१४

प्रकीर्ण

१३--(१) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व राज्य सरकार द्वारा अथवा अन्य किसी अधिकारी द्वारा समाज सेवा प्रशिक्षण, अनिवार्य सैनिक शिक्षा अथवा सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त योजनाओं के अधीन निर्मित कोई नियम, दी गई कोई आज्ञा अथवा दिया गया निर्देश उसी प्रकार प्रवृत्त बना रहेगा मानो वह इस अधिनियम के अधीन नियत, निर्मित, प्रचारित अथवा दिया गया हो तथा वह तदनुसार निरस्त, प्रत्यावर्तित, परिवर्तित अथवा संशोधित (Repealed revoked, varied or amended) किया जा सकता है।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त योजना के अधीन प्रविष्ट कोई व्यक्ति अथवा नियुक्त कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्रविष्ट अथवा नियुक्त बना रहेगा और प्रविष्ट अथवा नियुक्त किया गया समझा जायगा।

स्पष्टीकरण--इस धारा में उल्लिखित समाज सेवा प्रशिक्षण योजना, अनिवार्य सैनिक शिक्षा योजना तथा सैनिक शिक्षा तथा समाज सेवा प्रशिक्षण की संयुक्त योजना से तात्पर्य क्रमशः उसी नाम से इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व राज्य सरकार द्वारा चलायी गयी योजना से है।

नियम बनाने का अधिकार

१४--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बना सकती है।

व्यापकता पर प्रतिकूल विषयों अथवा किसी

(२) विशेष रूप से, तथा पूर्वोक्त अधिकारों की प्रभाव डाले बिना, इन नियमों में निम्नलिखित समस्त भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है :--

(१) वे शर्तें, जिनके अनुसार किसी संस्था में इस अधिनियम के अधीन इकाई (units) संघटित की जा सकेगी;

(२) इस अधिनियम के अधीन व्यक्तियों की अथवा व्यक्तियों के वर्गों की अधिकारी आदि के रूप में नियुक्ति तथा उनकी सेवा की शर्तें ;

(३) वह रीति, अवधि और शर्तें जिनके अधीन रहते हुये कोई भी व्यक्ति सैनिक दल में प्रविष्ट किया जा सकेगा;

(४) इस अधिनियम द्वारा शासित किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग के निमित्त समाज सेवा तथा सैनिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम (courses) तथा उनके पदाधि;

(५) सैनिक दल के सदस्यों में अनुशासन बनाये रखना;

(६) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारियों के कर्त्तव्य, अधिकार तथा कृत्य;

(७) सैनिक दल के सदस्यों तथा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारियों को देय भत्ते तथा अन्य पारिश्रमिक;

(८) इस अधिनियम द्वारा शासित किसी व्यक्ति का हटाया जाना अथवा च्युति (removal or discharge);

(९) इस अधिनियम के अधीन अपराधों तथा दंडों का निर्धारण तथा अपराधों के सम्बन्ध में दी गई आज्ञाओं को कार्यान्वित करने की रीति;

(१०) वर्दी तथा पदों के बिल्ले (badges of ranks) जो विद्यार्थियों तथा अधिकारियों के लिये आवश्यक हों, तथा

(११) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जाने वाले हों अथवा नियत किये जायं।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष कम से कम १४ दिन तक रक्खे जायेंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे जो विधान मंडल उनमें करे।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १३ और १४ विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

प्रदेशीय शिक्षा दल विधेयक, १९५७

शिक्षा सैनिक दलों के संघटन की व्यवस्था करने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि स्कूलों के विद्यार्थियों में चरित्र, अनुशासन, सौहार्द्र, समाज सेवा की भावना और नेतृत्व की क्षमता को विकसित करने की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिये समाज सेवा के साथ ही साथ सैनिक कवायद (Military drill) और आयुध-प्रयोग (use of arms) में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायं,

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम प्रदेशीय शिक्षा दल अधिनियम, १९५७ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह टेहरी गढ़वाल को छोड़कर समस्त जिलों के मुख्यवासी नगरों में तथा टेहरी नगर में तुरन्त प्रचलित होगा। उत्तर प्रदेश के किसी अन्य क्षेत्र में यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार सरकरी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ नियत करे और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकेंगे।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री इस्तफा हुसैन---अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७ (The state educational corps Bill, 1957) जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री जगन्नाथ लहरी---माननीय अधिष्ठाता महोदय जैसा कि शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया है कि सैनिक शिक्षा दल विधेयक, १९५७, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, वैसा ही पारित किया जाय, मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उन्होंने यह कतई सदन से मांग नहीं की कि जैसा इस सदन ने संशोधित रूप में पास किया है। तो मैं समझता हूं शिक्षा मंत्री स्वयं इस बात की मांग नहीं कर रहे हैं कि जो संशोधन इस सदन में हुये हैं उन्हें इसमें शामिल कर लिया जाय। इसलिये मैं समझता हूं संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित राज्य सैनिक शिक्षा दल विधेयक, १९५७ पास किया जाय। मैंने पहले आपके सामने आपत्ति उठायी थी, उससे पूर्व मुझे पता नहीं था कि माननीय जगदीश प्रसाद जी इस समिति के सदस्य हैं और अधिकांश संशोधन श्री जगदीश प्रसाद जी द्वारा ही पेश किये गये हैं। और प्रवर समिति का सदस्य रहने के नाते उन्हें इसे पेश करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस रिपोर्ट को सर्वसम्मति से स्वीकार किया है, तो वह अब संशोधन ला ही नहीं सकते थे। इसलिये जैसा कि यह प्रवर समिति से आया है वैसे ही इसे पास किया जाय और माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा जिस तरह से प्रवर समिति से आये विधेयक को पारित करने की बात कही गई है उसी तरह से इसे पास किया जाय।

श्री इस्तफा हुसैन---अधिष्ठाता महोदय, मुझे क्षमा किया जाय, मुझसे गलती हो गई, मैंने अभी जब यह प्रस्ताव पेश किया था तो इसको पारित करने के लिये गलती से मैंने यह कह दिया कि "जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है" वह पास किया जाय लेकिन मेरा मतलब यह था कि "जैसा कि यहां से संशोधित हुआ है" वह पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि राज्य शिक्षा सैनिक दल विधेयक, १९५७, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है और उसे जैसा कि इस सदन ने संशोधित किया है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५८

*स्वास्थ्य मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्म सिंह)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धर्म सिंह]

जहां तक इस बिल का संबंध है अगर हम इसके उद्देश्य और कारणों को देखें तो यह बहुत छोटा सा विधेयक है और इसमें जहां धारा ४ में १९५८ है वहां उसके स्थान पर १९६३ रखने की बात कही गई है। यानी यह सरकार यहां के बिजली के उत्पादन और सप्लाई पर और जो वितरण आदि का काम होता है उस पर अपना अधिकार चाहती है कि ५ साल तक उसका इन बातों पर पूरे तौर पर अधिकार रहे। यदि हम इस विधेयक को देखें तो शुरू में जिन उद्देश्य और कारणों को लेकर यह विधेयक सन् १९४७ में आया था, उस समय हमारे यहां बिजली का उत्पादन बहुत कम था। हमने अपनी प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में काफी बिजली का उत्पादन बढ़ाया है और तरक्की की है, मैं उन आंकड़ों की बारीकी में तो न जाऊंगा और न मैं उस विवरण के देने की यहां आवश्यकता समझता हूं।

जहां तक उत्पादन का संबंध है हमारे यहां दो तीन तरीकों से बिजली का उत्पादन होता है, एक तो प्राइवेट कम्पनियों के द्वारा, दूसरे विभाग स्वयं उसे तैयार करता है और उसके बाद कुछ उत्पादन केसा द्वारा होता है। आज जब कि हमारे पास कुछ शिकायतें जनता से आती हैं कि जो नियम बने हुये हैं उनके अनुसार बिजली कम्पनियां बिजली नहीं देती हैं और रूल्स आदि के बारे में झगड़ा करती हैं और इस तरह की बातें करती हैं कि जैसे वे महसूस करती हैं कि हम पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। यह सब देखकर ही इस विधेयक को लाने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। मैं इस सदन का अधिक समय न लूंगा क्योंकि इसमें केवल एक ही क्लाज है जिस में केवल ५ साल के लिये यहां के प्रोडक्शन पर यहां की सप्लाई पर, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिब्यूशन पर जो बिजली से संबंधित है, यह सरकार अधिकार चाहती है।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस सदन के सन्मुख उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५८, जैसा कि विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, पर विचार करने के लिये तो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक छोटे से संशोधन से स्वास्थ्य मंत्री सारे प्रदेश को निशाना बनाना चाहते हैं। उनका यह संशोधन दिखाने के लिये एक मामूली संशोधन हो सकता है कि "१९५८" की जगह पर "१९६३" शब्द करना चाहते हैं, लेकिन इसका प्रभाव वही है जो एक ऐटम बम का होता है। एक बम हिरोशिमा इत्यादि को नष्ट करने की क्षमता रखता है। यदि कहीं भारत में कलकत्ता या बम्बई पर गिर जाय तो उसे भी नष्ट कर सकता है। अधिष्ठाता महोदय, इसी एक छोटे से शब्द की आड़ में स्वास्थ्य मंत्री महोदय ५ वर्ष के लिये वह सीमित अधिकार इस सदन से चाहते हैं कि वह बिजली की व्यवस्था, उसके वितरण और उसकी सप्लाई पर एकाधिकार प्राप्त कर सकें।

यह उत्तर प्रदेश की सरकार के लिये दुख और लज्जा की बात है कि १९४३ से जो सरकार बिजली के व्यवसाय, वितरण और सप्लाई पर कंट्रोल किये हुये है वह अभी तक इस प्रदेश में बिजली को सस्ती नहीं बना सकी जिससे यह कहा जा सके कि अब कंट्रोल की आवश्यकता नहीं। पता नहीं स्वयं मंत्री महोदय ने यह लिखा है उद्देश्य और कारणों में कि "इस अधिनियम की वर्तमान अवधि ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त होती है। बिजली सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है, किन्तु बिजली की मांग उससे कहीं अधिक है जितनी कि व्यवसाय सप्लाई कर सकता है, अतएव यह आवश्यक है कि यह अधिनियम ५ वर्षों के लिये और बढ़ा दिया जाय।"

मंत्री जी स्वयं मंजूर करते हैं और कहते हैं कि बिजली की सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो गया है। अगर हो गया है तो सिर्फ एक मांग के बहाने यहां ५ वर्ष के लिये इस कंट्रोल की अवधि को और क्यों बढ़ाना चाहते हैं? मैं मंत्री महोदय का ध्यान उन कंट्रोल

कमेटीज की ओर ले जाना चाहता हूं कि जब उनके ऊपर कंट्रोल था तब उनकी सप्लाई और मांग की क्या व्यवस्था थी और कंट्रोल हटने के बाद मांग और सप्लाई का अन्त कहां आ गया था ? दूर मत जाइये। क्या आपको पता है, मैं एक वस्तु पेट्रोल के कंट्रोल और सप्लाई की तरफ ले जाना चाहता हूं। पेट्रोल जब देश में पेट्रोल का कंट्रोल और राशनिंग था तो पेट्रोल की कितनी फर्जी मांग थी ? कबाड़खाने में पड़ी हुई मोटरगाड़ियों के लिये लोग पेट्रोल की मांग करते थे। उनके लिये प्रार्थना-पत्र आया करते थे, फर्जी कूपन्स दिये जाते थे और धड़ल्ले के साथ वह बिकते थे। जिस तारीख तक यह राशनिंग खत्म नहीं किया गया तब तक बावजूद इसके कि पेट्रोल की कीमत २ रु० १३ आने गैलन थी, १० रुपये गैलन के हिसाब से सिर्फ आपके परमिट बिक जाते थे। पेट्रोल की अत्यन्त कम थी। मोटरें गैस प्लांट से चलने लगीं थी। इंडस्ट्रियल परपज के लिये पेट्रोल बन्द कर दिया गया था। पेट्रोल का अनियमित प्रयोग रोकने के लिये उसमें रंग मिला दिया गया था लेकिन फिर भी इस कंट्रोल और राशनिंग की बदौलत सारे देश में १३ और १४ रुपये गैलन पेट्रोल बिकता था, सिर्फ पेट्रोल के कूपन १० रुपये गैलन में बेंच दिये जाते थे।

लेकिन जिस दिन से सरकार ने पेट्रोल का डि-कंट्रोल किया, मैं इस सदन में निहायत अदब से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई भी महानुभाव यह कहने को तैयार है कि उसके बाद देश में पेट्रोल किसी दिन भी ऊंची कीमत पर बिका ? २ रुपये १३ आने गैलन जो पेट्रोल की कीमत थी उसके अलावा एक आना भी ज्यादा नहीं लिया गया। सिर्फ जब हमने एक्सा इज ड्यूटी बढ़ा दी तब पेट्रोल की कीमत बढ़ी।

अधिष्ठाता महोदय, पेट्रोल की राशनिंग जिस समय इस देश में समाप्त की गयी थी उस समय की अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति की ओर मैं सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारे देश में पेट्रोल का अधिकांश भाग ईरान से आता था। आप इतिहास पलट कर देखिये। उस समय मुसद्दिक के नेतृत्व में ईरान के तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिये क्रान्ति हो रही थी और वहां की रेफाइनरीज से एक बूंद भी पेट्रोल निकलना असंभव हो गया था। ऐसी हालत में हमारे देश में पेट्रोल की स्थिति और भी भयानक हो जानी चाहिये थी, लेकिन भारत सरकार द्वारा इस देश में पेट्रोल राशनिंग को समाप्त करने की घोषणा के बावजूद और ईरान से एक बूंद भी पेट्रोल न आ सकने के बावजूद इस देश में पेट्रोल की कीमत में एक पैसे का भी इजाफा नहीं हुआ।

अभी कुछ दिनों पहले तक आपने देखा होगा, मुझे इस सदन का पुराना अनुभव नहीं, मैं इसी बार निर्वाचित होकर इस सदन में आया हूं, लेकिन जब तक आपने सीमेंट के ऊपर से कंट्रोल नहीं हटाया था तब तक प्रतिदिन इस सदन में सीमेंट के संबंध में प्रश्नोत्तर होते थे। क्या आप बतला सकते हैं कि जब से सीमेंट पर से कंट्रोल हटा है तब से इस सदन में सीमेंट के संबंध में एक भी प्रश्न आया हो ? कहां गई सीमेंट की कमी ? असलियत तो यह है कि कंट्रोल हमारे नैतिक पतन से संबंधित है। जहां कंट्रोल होगा वहां नैतिक पतन होगा। कंट्रोल के द्वारा अनुचित लाभ पैदा करने की लोगों में भावना उत्पन्न हो जाती है।

जिस राष्ट्र-पिता के नेतृत्व में हमने और आपने, सभी ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस नेता को इतिहास हमेशा भारत को स्वाधीन कराने वाले के नाम से संबोधित करेगा, जिस राष्ट्र-पिता की शिक्षा पर देश का निर्माण हो रहा है, क्या कभी मंत्री महोदय ने राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के उन उद्गारों को पढ़ने की कृपा की है जो उन्होंने कंट्रोलों के बारे में जाहिर किये हैं। कंट्रोलों के बारे में उन्होंने लिखा था कि वे चाहते हैं कि एक क्षण के लिये भी कंट्रोल न लगे। लेकिन उसी राष्ट्र पिता की अनुयायी कांग्रेसी सरकार १९४३ से १९५८ तक इलेक्ट्रिसिटी के वितरण पर कंट्रोल करती रही लेकिन इससे भी उसे सब्र नहीं हुआ जब कि इस प्रदेश और भारत

[श्री जगन्नाथ लहरी]

सरकार के एक, दो नहीं करोड़ों रुपये बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिये व्यय किये जा चुके हैं। इस पर भी आज हमारी सरकार को ५ वर्ष के लिये इस टेम्पोरेरी ऐक्ट को बढ़ाने की जरूरत पड़ी है।

मत जाइये दूर आपको बिजली के संबंध में ही मैं बतलाता हूं कि बिजली के संबंध में मेरे कुछ प्रश्न इस सदन के संमुख थे। आप कहीं मत जाइये। मैं आपसे चुनौती देकर कहता हूं कि आप रिवर गैंजेज के हाईड्रो इलैक्ट्रिक सप्लाई रुड़की के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के कार्यालय से प्रार्थना-पत्र देखने की कृपा कीजिये जिनके द्वारा फीरोजाबाद की जनता ने बिजली के कनेक्शनों की मांग की थी और उस समय हर व्यक्ति चाहता था कि उसे पावर का कनेक्शन मिले, बिजली का कनेक्शन मिले, लेकिन नहीं मिलता था। आपके कार्यालय में और इलेक्ट्रीकल इंसपैक्टर के कार्यालय में दौड़ धूप की जाती थी और अगर कोई खुशकिस्मत रहा और बिजली का कनेक्शन ले गया तो मैं आपको बतला सकता हूं कि फीरोजाबाद नगर में दस हार्स पावर के बिजली के कनेक्शन के गुडबिल में लोगों ने २०-२० हजार रुपये में बिक्री की थी। जब लोगों ने देखा कि एक कनेक्शन पर बीस हजार रुपये की इनकम हो जाती है तो कौन सा मूर्ख होगा जो यह प्रयत्न न करे कि उसको बिजली का कनेक्शन मिल जाय। इसी कारण उस समय सैकड़ों और हजारों की संख्या में प्रार्थना-पत्र आते थे।

आज स्थिति बिजली की सप्लाई की संतोष जनक है लेकिन मांग के जो आंकड़े हैं वह कंट्रोल की वजह से ही हैं, वह फर्जी हैं। यदि आप इसका कंट्रोल तोड़ने की हिमम्त करें तो आपको पता चल जायगा कि जितने प्रार्थना-पत्र उपस्थित हैं, बहुत संभव हैं उनमें से एक फीसदी लोग भी कनेक्शन लेने को तैयार न हों। आज से तीन वर्ष पूर्व बिजली की सप्लाई के संबंध में प्रांत में नियंत्रण था लेकिन फीरोजाबाद में आपने कुछ ढिलाई की और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को अधिकार दिया। सरकार प्रार्थना-पत्र नहीं लेगी और न सरकार द्वारा कनेक्शन ही दिये जयेंगे और इंजीनियर के यहां प्रार्थना-पत्र भेजे जायंगे वहीं बिजली देंगे। आप देख लीजिये कि हजारों की संख्या में बिजली के कनेक्शन के लिये प्रार्थना-पत्र आने लगे। लेकिन जिनके कनेक्शन रुड़की द्वारा स्वीकृत हुये उनमें से दस फीसदी लोगों ने भी कनेक्शन नहीं लिये गो तीन साल का समय बीत चुका है।

अभी और दूर न जाइये। दो तीन मास पूर्व आपने फीरोजाबाद के हाइड्रिल सप्लाई पर और भी नियंत्रण ढीला कर दिया है कि अब रुड़की के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं है बल्कि फीरोजाबाद की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कम्पनी का इंजीनियर ही बिजली के कनेक्शन दे सकता है। आप रिपोर्ट मंगा लीजिये तो पता चलेगा कि आज हम दरख्वास्त देते हैं और २-३ दिन में कनेक्शन मिल जाता है। कहां गई बिजली की कमी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो हजारों की तादाद में प्रार्थना-पत्र सरकार के कार्यालय में आते थे, रुड़की में आते थे। आज उनकी मांग करने वालों की वह पल्टन कहां चली गई? वह तो इसलिये थी कि बिजली के कनेक्शन द्वारा लोग अनुचित लाभ उठाना चाहते थे। आज आप किसी वस्तु पर कंट्रोल लगा दीजिये तो व्यापारी यह चाहते हैं कि उससे अनुचित लाभ उठाया जाय।

क्या आप भूल गये, गल्ले के लिये कुछ दिन से लाइसेन्स की व्यवस्था थी। लेकिन मैं समझता हूं कि लखनऊ नगर में या प्रदेश के अन्य नगरों में भी गल्ले का व्यापार करने वाले लोगों ने अधिक प्रार्थना-पत्र लाइसेंस के लिये नहीं दिये कि लाइसेंस की व्यवस्था हो रही है इसलिये हमको लाइसेंस दिया जाय क्योंकि हम गल्ले के व्यापार करने के लिये इच्छुक हैं। लेकिन जैसे ही खाद्य स्थिति भीषण हुई, सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई और गल्ले पर नियंत्रण हुआ तो आप देख लीजिये कि न मालूम व्यापारियों की पलटन कहां से निकल पड़ी। हर जगह सैकड़ों हजारों की तादाद में प्रार्थना-पत्र आ रहे हैं।

आज गल्ले का व्यापार करने वालों की कोई कमी नहीं और उन्हीं कन्ट्रोल की बदौलत अनुचित लाभ उठाने वाले व्यापारियों की ओर से यह भीषण और भयंकर प्रचार किया जा रहा है कि चाहे निहायत ईमानदारी से किसी भी सप्लाई आफिसर या अन्य कर्मचारी ने दूकानें वितरित की हों लेकिन व्यापारियों द्वारा उसका सारा इतिहास काला करवा कर रख दिया गया है कि हर जगह अनुचित तरीके से रुपया लेकर दूकानें दी गयी हैं क्योंकि वे लोग चाहते है कि उस कन्ट्रोल की बदौलत वे फिर से धन दौलत पैदा करें, बिना किसी मेहनत के अनुचित लाभ उठाएं ? इसी ७ तारीख को हमारे प्रदेश के उप खाद्य मंत्री माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य जिस समय फीरोजाबाद पहुंचे उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया । तो उन्होंनें स्वयं इस बात को मंजूर किया कि हम सस्ते गल्ले की दूकानें खोल रहे हैं लेकिन हम राशन की दूकानें नहीं खोलेंगे क्योंकि राशन की दूकानें खोलने से गल्ले पर कन्ट्रोल हो जायगा और कंट्रोल से नैतिकता का कितना पतन होता है ? इसलिये हम भारत के निवासियों को नैतिक पतन के गड्ढे में नहीं ले जाना चाहते ।

मैं बड़े विनम्र शब्दों में मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप बतला सकते हैं कि बिजली की सप्लाई की स्थिति में सुधार होते हुए आज कंट्रोल की क्यों आवश्यकता है ? आप दूर मत जाइये । मैं आपको कुछ सरकारी आंकड़े दे सकता हूं । फीरोजाबाद नगर में सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से सरकार ने ए० आई० सेंटर खोला । उसका रेफ्रीजरेटर ३ साल तक इसलिए काम नहीं कर सका क्योंकि उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, जिस बिजली का कनेक्शन देना आपके हाथ में था । जिस सेंटर पर कई हजार रुपये मासिक आप खर्च करते हैं उसको बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जबकि फीरोजाबाद के अनेक व्यक्तियों को २०, २० हार्स पावर के कनेक्शन दिये गये । वह कनेक्शन क्यों नहीं मिला ? इसलिए कि कनेक्शन की मांग के साथ-साथ जो खुदाई मजार पर चढ़ावा दिया जाता है अधिकारियों को, अगर विभागीय अधिकारी उस खुदाई मजार पर चढ़ावा चढ़ाते तो किस मद में खर्च को दिखाते ? १८००,००० रुपये की लागत से फीरोजाबाद में आपने एक अस्पताल बनवाया । एक साल तक उसकी एक्स-रे मशीन इसलिए काम नहीं कर सकी क्योंकि आपने बिजली का कनेक्शन नहींदिया । तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब कंट्रोल की व्यवस्था आपके हाथ में है तो सरकार के अधिकारी और सरकार यह क्यों नहीं देखती कि कौन सा कनेक्शन आवश्यक है और कौन से अनावश्यक । एक्स-रे मशीन जो ३०,००० रुपया की लागत से आयी वह एक साल तक इसलिए बेकार पड़ी रही कि कंट्रोल के कारण बिजली का कनेक्शन नहीं मिला । मरीजों को तकलीफ उठानी पड़ी । ए० आई० सेंटर का काम इसलिए रुका पड़ा रहा बावजूद इसके कि हजारों रुपये माहवार उस पर खर्च किया जाता है ३ साल तक आपने रेफ्रीजरेटर के लिए कनेक्शन नहीं दिया ।

तो, श्रीमान्, यह है कंट्रोल की देन । फीरोजाबाद में तो हमें यह सौभाग्य प्राप्त है कि हाइडिल की बिजली होने की वजह से कुछ कंट्रोल ढीला कर दिया है और शायद आपने डि-कंट्रोल कर दिया है । लेकिन इसी लखनऊ नगर में जहां मंत्रिमंडल है, जहां पर हमारा सदन है उसी नगर में बिजली का कंट्रोल है । बिजली के कनेक्शन के लिये यह आवश्यक है कि शहर के अनेक व्यक्तियों का उसमें इतमिनान हो । लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके पास सप्लाई कहां है ? आप बड़े उद्योगों के लिये बिजली मत दीजिये । जिन बड़ी-बड़ी योजनाओं से हमारा लाभ नहीं हो रहा है, उनको भी आप बिजली न दीजिये लेकिन उन व्यक्तियों के लिये जो सिर्फ पढ़ने के लिये, प्रकाश के लिये बिजली मांगते हैं उनको बिजली मिलनी चाहिये । आप उनको भी बिजली नही दे रहे हैं । लखनऊ की इस सिटी में बिजली के कनेक्शन की इस प्रकार परेशानी और उधर कैन्ट के इलाके में उसी बिजली की सुविधा, इसका कोई पता नहीं चलता कि अधिकारी किस अक्ल से काम ले रहे हैं ? माननीय मन्त्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करें ।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आप वितरण पर कंट्रोल करना चाहते हैं और सप्लाई पर कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन क्या आपने उन अधिकारों से किसी पूंजीपति पर भी वार किया है ? कानपुर में वहां के गरीब लोग जो २, २ और ४, ४ रुपये की बिजली इस्तेमाल करते थे अगर उनकी तरफ से २ महीने के भीतर पेमेंट नहीं हुआ तो आपने उनके कनेक्शन को केसा से कटवा दिया, लेकिन इसके साथ ही कानपुर के वे ९ सूती मिलों के पूंजीपति जिनके ऊपर २७,००,००० रुपया बाकी है, जिसकी अवधि वर्षों बीत चुकी है, उनका आज तक एक भी कनेक्शन आपने नहीं काटा । यह है आपका पक्षपात और आपका न्याय । कानून सब के लिये एक सा होना चाहिये, न्याय सब के लिये एक सा होना चाहिये, लेकिन गरीबों पर आपके न्याय की तलवार फौरन वार करती है और उनका कनेक्शन काट कर अन्धेरे में भटकने के लिये मजबूर कर देती है । उन कानपुर के बड़े-बड़े पूंजीपतियों के लिये जिनको आपने करोड़ों रुपया कर्जे का भी दिया है और जिनके ऊपर बिजली का २७ लाख रुपया बाकी है उनके लिये आपने क्या कदम उठाया है ? बल्कि सिर्फ बिजली का ही नहीं बिजली की ड्यूटी का जो ६ लाख रुपया बकाया है उसको भी वसूल करने के लिये सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है ।

मैं अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको बिजली के कंट्रोल की आवश्यकता क्यों आन पड़ी ? यदि आप सचमुच यह समझते हैं कि बिजली की कमी है तो नये उद्योगों या योजनाओं के लिये कनेक्शन कुछ दिनों के लिये रोक दीजिये लेकिन लाइट के कनेक्शन पर छूट जरूर दीजिये । इस ऐक्ट में जहां पर आप बिजली पर कंट्रोल लगा रहे हैं वहां पर आप यह भी अधिकार अपने पास रख रहे हैं कि आप प्रोडक्शन पर कंट्रोल करेंगे । आप इस बिजली के कंट्रोल के ऐक्ट के द्वारा इस बात की व्यवस्था करेंगे कि बिजली प्रोडेक्शन पर भी रोक लगा दी जाय । इसके क्लाज ३ में यह दिया हुआ है और इस विधेयक की धारा १०, ११ और १२ और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती है । आप इस बिजली का कंट्रोल ५ वर्ष के लिये और लगाना चाहते हैं । इस विधेयक में सिर्फ इतना संशोधन आप करना चाहते हैं कि सन् १९५८ के स्थान पर १९६३ कर दिया जाय लेकिन आपने इसकी धारा १०, ११ और १२ को देखने की कोशिश नहीं की है । जहां भारतीय संविधान के अन्दर न्याय पाने के लिये हरएक के लिए सुविधा रखी गई है और न्याय सर्वोपरि रखा गया है और न्याय के ऊपर किसी भी प्रकार का बन्धन नहीं रखा गया है वहां आपके इस इलेक्ट्रिसिटी टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल बिल में जो १०, ११ और १२ धारायें इस बात की गवाही देती हैं कि आपने न्याय के भी हाथ बांध दिये हैं । आपने बिजली पर ही नहीं, न्याय पर भी कण्ट्रोल कर दिया है । ऐसा कंट्रोल जिससे नैतिक पतन होता हो, जिस के लिये राष्ट्र पिता महात्मा गांधी ने स्वयं कहा कि उसको एक क्षण के लिये भी यहां लागू नहीं करना चाहिये, जिसकी बुराई उन्होंने की, उसके लिये ५ साल की तो क्या, एक क्षण के लिये भी बढ़ाने की इजाजत नहीं देनी चाहिये ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा मांग करता हूं कि इसको एक क्षण के लिये भी आगे बढ़ाने की आज्ञा न दी जाय । भारत जब स्वाधीन नहीं था, १९४३ में आपने यह मांग की थी । स्वतंत्रता के युग में एक प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई, द्वितीय योजना का काफी समय बीत गया, समय समय पर आपने इसका टाइम बढ़वाया, लेकिन अब समय की मांग है कि इसको समाप्त कर देना चाहिये और मैं आपसे कहता हूं कि विधान और विधेयक सब इस बात के गवाह हैं कि जब समय की मांग हुई, तो इस देश के संविधान में भी संशोधन किया गया । जब आपको आवश्यकता महसूस हुई आपने विधेयक ला कर अपने कानूनों में परिवर्तन किया । आप एक बार कुछ मासों, अथवा एक वर्ष के लिये इस कन्ट्रोल को समाप्त करके अनुभव कीजिये कि यह बिजली की फर्जी मांग कितनी जल्दी समाप्त होती है । यदि आप एक वर्ष में यह अनुभव करें कि यह मांग कम नहीं हुई

है, जैसा कि आप को अंदेशा है, तो आपके हाथ में यह है कि आप इस टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिसिटी कन्ट्रोल ऐक्ट को फिर भी सदन के सामने ले आयें। संशोधन विधेयक पास करना अथवा नया विधेयक ला कर पास कराना सर्वथा इस विधान मंडल के हाथ में है। चाहे जब उसे पास कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल की बुराइयों को देखते हुए उसकी हिमायत करने वाला प्रस्ताव इस सदन से पास करायें, मैं समझता हूं कि इससे अधिक लज्जा की बात हमारे लिए नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका घोर विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि समय की मांग को देखते हुए माननीय मन्त्री महोदय उपने इस विधेयक को वापस लेने की कृपा करें।

श्री जगवीर सिंह की गिरफ्तारी की सूचना

श्री अधिष्ठाता---मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि बुलन्दशहर के माननीय जगवीर सिंह जी की गिरफ्तारी हो गयी है दफा ११४ सी० आर० पी० सी० में।

उतर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १५९८ (क्रमागत)

श्री कैलाश कुमार सिंह (जिला बदायूं)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत विधेयक के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। अभी मुझ से पूर्व लहरी साहब अपनी कंट्रोल की भावनाओं में इस कदर बह गये कि उन्होंने इस बिल की ओर ध्यान ही नहीं रखा और पेट्रोल और तमाम दूसरी चीजों के कन्ट्रोल और कंट्रोल की दुरव्यवस्था और तमाम इस प्रकार की बातों में रहे कि वे इस के असली मुद्दा को नहीं समझ सके।

श्री अधिष्ठाता---लेकिन वह रिलेवेंट बोल रहे थे, इरिलेवेन्ट नहीं।

श्री कैलाश कुमार सिंह---बिजली का व्यवसाय ऐसा टेक्निकल व्यावसाय है कि जिसको हर शख्स यह नहीं समझ सकता कि इस के उत्पादन में कितना खर्चा होता है और किस हिसाब से बिजली मिलनी चाहिये सरकार बिजली बनाती भी है और इस से बड़ी कोई एजेन्सी नहीं है बिजली के उत्पादन की। इस के साथ-साथ जितनी प्राइवेट कंपनियां हैं, (KESA) केसा है और जो साधन हैं बिजली बनाने के, उनके विषय में आये दिन हम अपने बजट की जनरल डिबेट्स में और इस के अलावा भी, जब मौका मिलता है, तो विभिन्न प्रकार की कटु आलोचनायें सुनने को मिलती हैं, प्राइवेट कम्पनीज के कारण। इस बिल के जरिये सरकार ने बिजली के वितरण, उत्पादन एवं सप्लाई पर नियंत्रण के लिये ऐक्स-टेंशन मांगा है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह कम मांगा है। इस ऐक्ट में संशोधन की आवश्यकता है कि जो प्राइवेट कम्पनीज सही तरीके से और कम दामों पर बिजली दें उन्हीं को साल व साल लाइसेंस दिये जावें। आज एक धारणा सी बन गई है कि ये प्राइवेट कम्पनीज भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गई हैं। सरकार की उत्पादित बिजली जहां बढ़ी है उसके साथ-साथ उसकी मांग भी बढ़ी है। हम मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सके हैं लेकिन जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता जायगा उतना ही वितरण भी बढ़ता जायगा। जितना क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, उस पर नियंत्रण रखने के लिये आवश्यक है कि इस कानून के जरिये हम एक्सटेंशन प्रदान करें। मेरा सभी सदस्यों से अनरोध है कि लहरी साहेब के द्वारा जो भावनाओं का प्रवाह प्रदर्शित किया गया कंट्रोल के विषय में, वह इस अवसर पर मेरे विचार से सर्वथा अनुचित है। इस विभाग में सरकार की ओर से अधिकतम नियंत्रण की आवश्यकता है। जिस कंट्रोल की लहरी जी बात करते हैं वह और किस्म का था, उसमें भ्रष्टाचार था और कोई आदमी उसके समर्थन में नहीं होगा।

श्री जगन्नाथ लहरी---बिजली में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है।

श्री कैलाशकुमारसिंह---आपका यह विचार हो सकता है । मुझे इसमें कोई भी सामंजस्य नहीं दिखाई देता है और न मैं इससे सहमत हूं । भ्रष्टाचार हर जगह हो सकता है । आदमी के मन में भ्रष्टाचार हो सकता है । लेकिन इस बढ़ते हुये व्यवसाय पर सरकार की ओर से नियंत्रण रखने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि हम प्राइवेट कम्पनीज पर और अधिक नियंत्रण करें और उनको इस बात पर मजबूर कर दें कि हमारे शहरों में रहने वाले भाइयों को, सब जगह, सही रूप से, नान-इन्टरप्रिटेड (non interpreted) बिजली मिले, और रेट्स भी रैशनलाइज किये जावें । प्रोडक्शन कास्ट (Production cost) को देखकर रेट्स पर नियंत्रण हो । इस प्रदेश के कई शहरों में मैं घूमा झांसी और कानपुर भी गया । हर जगह बिजली के सम्बन्ध में शिकायत थी, कहीं किसी तरह की और कहीं किसी किस्म की । सब जगह प्राइवेट कम्पनीज की शिकायतें सुनने में आती ह । मैं यह तो नहीं कहता कि वे बेई-मान हैं, लेकिन उनके बहुत दिनों से चलने से और पुराने कानून में दोष आने से उन्हें बदलने की आवश्यकता है ।

इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा कि इस संशोधन के बाद सरकार ऐक्ट में और संशोधन लावें जिनके जरिये बिजली के उत्पादन और वितरण में सुविधा हो और शहरों में लोगों को आराम के साथ बिजली मिल सके ।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इसमें दो मत नहीं है कि बन्धन बहुत कष्टकारक होता है । संसार के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों का कथन है--"बेस्ट कंट्री इज दैट ह्विच इज गवर्न्ड दि लीस्ट" सर्वोत्तम देश वह देश है जो सबसे कम अनुशासित होता है । इस दृष्टिकोण से जब हम विचार करते हैं तो सम्भवतः एक कष्ट हमारे सामने हमें दिखाई पड़ता है । परन्तु इसके साथ ही साथ एक कष्ट और हमें होता है । हम सोचते हैं कि इस भौतिक जगत में मौरल ऐथिक्स क्या हैं ? भौतिक उन्नति में उसका नैतिक सदाचार क्या हो ? यह नैतिक सदाचार कभी स्थिर नहीं रहता, इस कारण एक स्थिति बन नहीं पाती है और सर्वत्र आध्यात्मिक दृष्टि से हमें भ्रष्टाचार ही दृष्टिगोचर होता है । यह सत्य है कि इस वक्त प्राइवेट कम्पनियों में बड़ी धांधली है, उत्पत्ति और वितरण के मामले में । उसी को रोकने के लिये राज्य सरकार यह अधिकार मांग रही है कि इसकी मियाद १९५८ से १९६३ कर दी जाय । इसके बनाते समय भी एक धांधली की परिस्थिति थी और वह परिस्थिति आज भी बनी हुई है । इसमें केवल एक छोटी सी मांग की गई है इसलिये विस्तार में जाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता । इसको सदन को स्वीकार करना चाहिये ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक इस सदन में उपस्थित किया गया है, वह छोटा सा विधेयक है । मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जाहिर है कि इस प्रदेश में जो प्राइवेट कंपनीज बिजली पैदा करती हैं, उनमें गोलमाल है । खुशी की बात है कि माननीय हुकुमसिंह जी के हाथ में यह विभाग आ गया है, आशा है उनके शक्तिशाली हाथों में आकर यह विभाग भी सीधा हो जायगा । अभी अगर इस पर से कन्ट्रोल हटा लिया गया तो बड़ी गड़बड़ी हो जायगी, क्योंकि अधिकतर जो कम्पनीज प्राइवेट हैं वे थरमल स्टेशन वाली हैं । जिसके चलाने के लिये उनको कोयला कंट्रोल से मिलता है, क्रूड आयल मिलता है । अगर उन पर से कंट्रोल हटा लिया गया तो वे ब्लैक में चीजों को खरीदें बेचेंगी और जनता को परेशान करेंगी ।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य जो खड़े हैं वे बहुत गलत तरीके से खड़े हैं ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---जो बिजली इस प्रकार से पैदा होती है उस पर नियंत्रण आवश्यक है । मैं समझता हूं माननीय लहरी जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं वे इस विभाग से संबंध नहीं रखते और उन विचारों को वे दूसरे विभागों के लिये रख छोड़ें । जब गल्ले की कमी हुई थी तो लोगों ने कंट्रोल लागू करने की बात की थी । इस खयाल से इस विभाग में कंट्रोल की अत्यन्त आवश्यकता सिद्ध होती है ।

अब मैं अपने जिले की बात कहता हूं । सन् १९५५ में इस सदन में एक ऐलान हुआ था कि इस प्रदेश के ३६ कस्बों में बिजली का प्रसार किया जायगा, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे कानपुर जिले के कस्बों, शहरों में, जहां शहर में 'केसा' जैसा कारखाना है, बिजली नहीं लग पायी। २६ जनवरी, १९५६ में ही हम समझते थे कि बिजली पहुंच जायगी, लेकिन आज तक नहीं पहुंची । कानपुर जिले में ४ कस्बे हैं जहां पोल्स लग चुके हैं और कहीं-कहीं तार भी खिंच चुके हैं । पहले 'केसा' यह लगा रहा था, फिर हाइड्रो विभाग को यह काम दे दिया । उसने काम किया, लेकिन फिर उनसे यह काम ले लिया गया, फलतः वे स्टोर जो उन्होंने जमा किये थे वापस ले लिये गये ।

इतना खर्चा होने के बाद यह काम उनसे भी ले लिया गया । इस तरह से जो काम आज से २ वर्ष पहले हो जाना चाहिये था, वह आज तक पूरा नहीं हुआ । मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कानपुर जिले के इन कस्बों का बिजलीकरण कहीं टलता ही न चला जाय और ऐसा न हो कि कंट्रोल की बात ५ वर्ष से आगे के लिये भी रखी जाय । सन् १९६३ से आगे इस कंट्रोल को नहीं बढ़ना चाहिये बल्कि जल्द से जल्द वे इस काम को पूरा करने की कृपा करें । मैं आशा करता हूं कि यह विधेयक जो बहुत ही छोटा है, सदन इसको स्वीकार करेगा ।

*श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला राय बरेली)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस जरूरी बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं जब माननीय लहरी जी के भाषण को सुन रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि उनकी स्पीच प्रिज्यूडिस्ड थी और उस स्पीच को सुनने के बाद मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि उनकी इस स्पीच का एक ही नतीजा निकलता है कि उनके यहां बिजली की डिमांड ज्यादा है, उनके इलाके में, या उनकी कांस्टीटुएंसी में, जहां के लिये वे बिजली चाहते हैं लेकिन उनको कमी की वजह से वह नहीं मिल पा रही है । मैं समझता हूं कि जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने भी इस स्पीच को सुना होगा, उसके दिमाग में यही खयाल पैदा हुआ होगा और मैं समझता हूं, अधिष्ठाता महोदय, कि आपको भी यही खयाल पैदा हुआ होगा ।

श्री अधिष्ठाता---जी नहीं, मेरा ऐसा खयाल नहीं हुआ ।

श्री रामेश्वर प्रसाद---श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि जब उत्पादन में चौतरफा प्रगति हर दिशा में हो रही है तो यह जरूरी ही है कि यहां भी बिजली की डिमांड बढ़े । तो ऐसी स्थिति में यह नितान्त आवश्यक है कि सरकार जब तक प्राइवेट एफर्ट से या अपने एफर्ट से जनता के लिये इतनी बिजली न पैदा करले कि उसको सुविधा जनक तरीके से बिजली की प्राप्ति हो सके, तब तक के लिये भ्रष्टाचार को रोकने के लिये, असुविधाएं दूर करने के लिये, और ऐसी चीजों के लिये जिनको कि प्रिफरेंस देना चाहिये, इन तमाम बातों को सोचते हुये यह जरूरी है कि सरकार इस पावर को अपने हाथ में ले, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं ।

एक बात लहरी जी ने कही जो कई बार प्रश्नों के जरिये इस असेम्बली के भीतर भी उठायी जा चुकी है । उन्होंने कहा कि सरकार की नीति है कि वह पूंजीपतियों को सरपरस्ती दे । और इसकी नजीर में माननीय लहरी जी ने कानपुर के उन कैपिटलिस्टों का जिक्र किया जिनके ऊपर बिजली के टैक्स का बकाया २७,००,००० रुपये है और उनके ऊपर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन मैं उनका ध्यान इस सदन की कार्यवाहियों की तरफ ले जाना चाहता हूं । अगर उन्होंने उन्हें सुनने की तकलीफ गवारा की होती कि जो सवालों के जवाब में या ऐसे बहस के दौरान में सरकार की तरफ से बार-बार बतलाया गया है कि वह उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करती रही है, उनके ऊपर नोटिस जारी करती रही है और तमाम ऐक्शन लेती रही है । अगर इसके बाद भी वे सदन में इस तरह की बात कहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह उनकी ज्यादती है ।

इसके साथ ही साथ उन्होंने एक सुझाव भी दिया । ऐसा सुझाव उन्हीं का हो सकता है, मेरा नहीं । उन्होंने यह सुझाव दिया कि सरकार को यह करना चाहिये था कि वह उनक

---

*, वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

बिजली के कनेक्शन को काट देती । मैं समझता हूं कि इस तरह का विचार किसी दूरदर्शी आदमी का नहीं हो सकता है, क्योंकि बिजली किसी मिल या फैक्टरी के लिये ही ली गयी होगी जहां नेशन के लिये माल तैयार होते हैं । वहां पर तमाम लेबरर्स हैं और जो माल वहां तैयार होता है वह नेशन के इस्तेमाल के लिये ही होता है । फिर मैं नहीं समझता कि कोई दूरदर्शी आदमी किसी गन्दगी को दूर करने के लिये कोई गन्दा रास्ता ही इस्तेमाल करे । इससे तो नेशन का ही नुकसान होगा । वैसे आजकल लहरी जी के साथ हमारी हमदर्दी है कि वे अपने उन साथियों को छोड़कर इस सदन में उपस्थित हैं, जो स्ट्राइक करना, लाक-अप करना आदि तमाम इस तरह की दूसरी बातें करते फिरते हैं, यह जिसाल भी उन्हीं की तरह है । पता नहीं आज लहरी जी ने अपना टर्न उन साथियों की तरफ क्यों ले लिया है !

श्री अधिष्ठाता---यह पर्सनल बातें मत कीजिए, आप ।

श्री रामेश्वर प्रसाद---अच्छा साहब, नहीं करूंगा । तो मैं यही कह रहा था कि वह ज्यादा बुद्धिमानी की बात नहीं है कि सरकार जो है वह उनका कनेक्शन काट दे, बल्कि यह सरकार जो कार्यवाही कर रही है, जो कार्यवाही होनी चाहिए, उसे सरकार स्वयं समझती है, वह टैक्स जनता का टैक्स है, स्टेट का टैक्स है, मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार चाहे वह पूंजीपतियों की ही सरकार क्यों न हो, जो बकाया है उसको क्षमा नहीं कर सकती। इसको हर व्यक्ति को अपनी निगाह में रखना जरूरी है। अधिष्ठाता महोदय, मैं जल्दी ही कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं आपका इशारा ।

मैं एक बात माननीय मन्त्री जी से यह रिक्वेस्ट के रूप में कहना चाहता हूं। मेरा जिला कुछ ऐसा दुर्भाग्य का जिला है कि न कोई मंत्री वहां को रिप्रिजेंट करता है, न कोई डिप्टी मिनिस्टर है....

श्री अधिष्ठाता---माननीय रामेश्वर प्रसाद जी वहां को रिप्रिजेंट करते हैं ।

श्री रामेश्वर प्रसाद---जी हां, मैं रिप्रिजेंट करता हूं इसलिए अपनी यह रिक्वेस्ट उनके पास पहुंचाना चाहता हूं । बिजली के मामले में उधर कुछ जरूर हमारे जिले की तरफ ध्यान दिया गया था और अबकी साल रायबरेली शहर में बिजली लग गई है, लेकिन करीब-करीब तीन चार साल से कई टाऊन एरियाओं के लिए स्कीम है । देहातों में चारों तरफ खम्भे लगे हुए हैं । वहां के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन लोगों ने अपनी-अपनी चक्कियां बेच डालीं कि अब तो बिजली आ जायगी और उससे काम चलेगा। तो मैं इस ओर मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी जरा इस ओर और तेजी दिखा दें। वैसे मुझे संतोष है जिस तरह से वे काम कर रहे हैं।

इसके साथ-साथ एक अस्पताल मेरे यहां है । बहुत अच्छा बना हुआ है । उसकी बिल्डिंग बहुत बढ़िया है और साधन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिजली की जरूरत है। उस अस्पताल को बिजली का सवाल कई साल से चल रहा है। उसमें यह था कि जब पहले सरकार की स्कीम नहीं थी तो वही अस्पताल के ही तरीके पर वहां बिजली देने की बात थी कि वहीं एक जेनरेटर लगा दिया जाय, लेकिन जब उनकी वाइड स्कीम बनी तो वह भी नीति खत्म हो गई । अब परिस्थिति यह है कि अस्पताल की बिजली की मांग का पूरा किया जाना नितान्त आवश्यक है, भले ही शहर के और किसी कोने में बिजली न पहुंचे, लेकिन बीमारों की सुविधा के खयाल से यह जरूरी है कि वह इस मांग को अवश्य पूरा कर दें और अस्पताल में बिजली जरूर पहुंचा दें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बिल का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि लहरी जी के विचारों को मन्त्री जी ने भी समझ लिया होगा और अब वह अपने विरोध को वापस ले लेंगे।

श्री धर्मसिंह—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं माननीय सदस्यों का कि उन्होंने जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, अपने विचार यहां प्रस्तुत किये। इस दौरान में माननीय लहरी जी ने बहुत सी बातें उठायीं और इस बात की कोशिश की कि इस सदन के विचारों को वह कंट्रोल की तरफ ले जायं। जहां तक कंट्रोल की बात है उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। अगर हम डेमोक्रेटिक सेट अप्स को देखें, दुनिया की पद्धतियों को देखें तो यह बात ठीक है कि कहीं पर कंट्रोल कामयाब होता है और कहीं पर कंट्रोल में इस तरह से कमियां भी होती हैं। लेकिन जहां तक बिजली के उत्पादन का सम्बन्ध है, जहां तक बिजली की समस्या है, मेरी बहुत सी बातों का जिनका मुझे यहां पर उत्तर देना चाहिए था स्वयं माननीय लहरी जी ने उत्तर दे दिया। एक तरफ वे कहते है कि साहब, सरकार एक शक्ति ले रही है, तमाम जहां तक बिजली कम्पनियों की बात है उनके साथ कंट्रोल करने के लिए और दूसरी तरफ बुराइयां हैं उन कम्पनियों में, उनके रेट्स बहुत ज्यादा है, जहां तक उनकी कार्यपद्धित का प्रश्न है उसमें इस तरह की बहुत सी बुराइयां हैं जिनके कारण वह सरकार को मौका नहीं देना चाहते कि जहां तक उनके उत्पादन, डिस्ट्रिब्यूशन और सप्लाई का सम्बन्ध है। सरकार किसी भी प्रकार इस तरह का नियंत्रण रखे।

उन्होंने लखनऊ की बात कही। तो यह ठीक बात है। यहां कई प्रकार की बिजली पैदा होती है। कुछ थर्मल के द्वारा होती है, कुछ डीजल के द्वारा और कुछ हाईडल के द्वारा। और उसके साथ ही साथ प्रदेश में बहुत सी ऐसी कम्पनीज है जिनकी तादाद २४ के करीब है जिनको हम स्वयं सप्लाई देते हैं। और इस तरह की भी कम्पनियां हैं जो स्वयं अपने यहां जनरेट करती हैं और उसके बाद किसी भी प्रकार से कुछ हिस्सा बिजली का विभाग से नहीं लेतीं बल्कि जनरेट करने के बाद लोगों को सप्लाई करती हैं। तो यदि उन पर कन्ट्रोल नहीं किया जायगा, उनके डिस्ट्रीब्यूशन पर, रेट्स पर, जिसको चाहें कनेक्शन दें या न दें, अगर इस पर कन्ट्रोल नहीं रहेगा तो उससे जनता का लाभ नहीं होने वाला है।

एक बात कही गई कि पर्याप्त सुधार हुआ है बिजली में, इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन इतना नहीं हुआ जितनी की यहां डिमांड है। मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि यदि १९४७ से आज तक के आंकड़े देखे जायं तो बहुत बड़ी तादाद में बिजली पैदा होने लगी है, लेकिन इतनी नहीं है कि जो प्रदेश के ग्रिड एरियाओं की समस्यायें है जिसमें देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, एटा, बदायूं, मथुरा आदि जिले आते हैं उनकी मांगों को पूरा कर दें। तो यह विधेयक इसी मंशा से लाया गया है, मांग के अनुसार बिजली न होने के कारण इसकी आवश्यकता है।

पेट्रोल के कंट्रोल तथा और चीजों के कंट्रोल की बात कही गई। जैसा कैलाश जी ने उत्तर दिया था उनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। हां, फिरोजाबाद की बात कही गई। तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यदि बिजली कम्पनीज पर कन्ट्रोल नहीं किया तो लहरी जी स्वयं जानते है, जहां तक फिरोजाबाद का सम्बन्ध है वहां प्राइवेट कम्पनी है और ग्रिड एरिया के द्वारा वहां कनेक्शन्स स्वीकार होते हैं। तो प्रदेश की सरकार ने ग्रिड एरिया के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स को और शारदा ग्रिड के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स को यह पावर दे रखी थी कि वे जितना भी चाहें या जो लोग ऐप्लाई करते हैं १० हार्स पावर के कनेक्शन्स दे सकते हैं और कुछ केसेज में १५ हार्स पावर के कनेक्शन्स स्वीकार कर सकते हैं। तो जहां तक फीरोजाबाद कम्पनी का सम्बन्ध है उस कम्पनी ने कई कनेक्शन्स को नहीं दिया, रेट्स पर झगड़ा चला। उसमें लिखा पढ़ी हुई। कम्पनी का कहना था कि जब शुरुआत में सप्लाई थी तो हम वही रेट्स लागू करना चाहते हैं, विभाग का कहना था कि आप उन रेट्स पर नहीं दे सकते। बल्कि जो हम आपको सप्लाई दे रहे हैं उसके आधार पर रेट्स रखने पड़ेंगे। आखिर में झगड़ा चला और माननीय लहरी जी जानते होंगे कि नियमों के अनुसार कम्पनी होते हुए उसमें काफी झगड़ा चला। जिन लोगों के कनेक्शन्स मंजूर हो चुके थे और बहुतों ने सिक्योरिटी भी जमा कर दी

[श्री धर्म सिंह]

थी उनको भी कनेक्शन्स नहीं मिले। तो गवर्नमेंट ने इस बात की कोशिश और लीगल तरीके से केस को ऐग्जामिन कराया कि उस कम्पनी को सरकार प्राजीक्यूट करे। तो हमारी तो पालिसी है और हम चाहते हैं कि जितनी भी यहां कम्पनीज हैं पूरे तरीके से रेट्स के मामले में, कनेक्शन्स के मामले में या इस तरह से जो छोटी-छोटी कम्पनीज की शिकायतें चली आती हैं उन पर सरकार कन्ट्रोल रखे। और इसी चीज को लेकर यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक कार्यालय का सम्बन्ध है, जहां तक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स का संबंध है और गंगा ग्रिड में और शारदा एरिया में जब शुरू में कनेक्शन्स दिये जाते थे तो बहुत से लोगों ने सिक्योरिटी जमा कर दी लेकिन कनेक्शन्स नहीं मिले। शुरू में जब कुछ थोड़े बाद में बिजली का जनरेशन हुआ तो यू० पी० सरकार की ओर से जैसा कि मैंने निवेदन किया था ग्रिड एरिया में और शारदा एरिया में डि-कंट्रोल किया गया और लाइट, फेन्स और १० हार्स पावर के कनेक्शन्स और कुछ मामलों में १५ हार्स पावर तक के कनेक्शन्स, जैसे वह मुनासिब समझें स्वयं मंजूर कर दें। सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से लेकर जो रेजीडेंट इंजीनियर्स प्राइवेट कम्पनीज के थे उनको इस तरह के कनेक्शन्स देने का अधिकार दिया गया, ताकि तमाम लिखा पढ़ी में और कार्यवाही में अधिक समय न लगे। इस तरह से किया गया है।

एक तरफ तो मैंने निवेदन किया कि कंट्रोल की क्यों आवश्यकता पड़ी और इन्हीं चीजों को लेकर मैंने अपने विचार प्रस्तुत किये थे। फीरोजाबाद की बात कही गई।

श्री अधिष्ठाता—अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१५ सितम्बर, १९५८।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१७५ एल० ए०—१९५८—८४०।